VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

राजव्यवस्था

Classroom Study Material

(May 2021 to January 2022)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

राजव्यवस्था और संविधान

विषय-सूची

1. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution)....4

1.1. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)....4

1.2. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)}....4

1.3. मूल ढांचा/मूल संरचना (Basic Structure)....7

1.4. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)....8

1.5. धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Laws)....9

1.6. राजभाषा (Official Language)....10

1.7. सहकारिता (Cooperatives)....11

1.8. प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizens of India: OCI)....12

1.9. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)....13

2. संसद, राज्य विधान-मंडल/स्थानीय सरकार का कार्यकरण (Functioning of Parliament, State Legislature/Local Government)....18

2.1. संसदीय सत्रों की गिरती उत्पादकता (Declining Productivity of Parliamentary Sessions)....18

2.2. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)....19

2.3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC)....20

2.4. विधान परिषद (Legislative Council)....21

2.5. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)....23

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)....26

3.1. अंतर्राज्यिक जल विवाद (Interstate River Dispute)....26

3.2. भारत में अंतरराज्यीय सीमा विवाद (Interstate Border Disputes in India)....27

3.3. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)....27

3.4. राज्य सरकार की ऋण लेने संबंधी शक्ति (Borrowing Powers of State Government)....28

3.5. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)....29

4. न्यायपालिका (Judiciary)....33

4.1. विधि का शासन (Rule of Law)....33

4.2. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)....34

4.3. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)....35

4.3.1. जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा {Appointment of Judges at District Level: All India Judicial Service {AIJS)}....36

4.4. अधिकरण (Tribunals)....37

VISION IAS

 © Vision IAS

4.5. मध्यस्थता विधेयक, 2021 (Mediation Bill, 2021) 37

4.6. भारत में न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure in India) 39

4.7. न्यायालयीय मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग (Live Streaming of Court Cases) 40

4.8. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 40

5. निर्वाचन (Elections) 44

5.1. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill} 44

5.2. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law) 46

5.3. चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds) 47

5.4. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 48

6. महत्त्वपूर्ण विधान/विधेयक (Important Legislations/Bills) 51

6.1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} 51

6.2. वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) 52

6.3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 {Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Amendment Bill, 2021} 53

6.4. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 55

7. सुर्ख़ियों में रहे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक/सांविधिक/कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies In News) 59

7.1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (CBI and ED) 59

7.2. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 59

8. अभिशासन के महत्त्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance) 61

8.1. सिटीजन चार्टर (Citizen's Charter) 61

8.2. ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan) 62

8.3. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) 63

8.4. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) 64

8.5. डिजिटल अधिकार (Digital Rights) 66

8.6. सार्वजनिक खरीद (अधिप्राप्ति) और परियोजना प्रबंधन (Public Procurement and Project Management) 66

8.7. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 68

9. विविध (Miscellaneous) 72

9.1. जुआ/द्यूत (Gambling) 72

9.2. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News) 72

9.3. न्यायालय के ऐतिहासिक वाद/मामले (Landmark Court Cases) 76

VISION IAS

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. संविधान से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Constitution)

1.1. निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण (Local Reservation in Private Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में 75% आरक्षण रोकने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम, 2020 15 जनवरी, 2022 को लागू हुआ था।
- हरियाणा ऐसा कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य नहीं है। **महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश** जैसे अन्य राज्यों ने पहले ही स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों को आरक्षित करने का प्रयास किया है। हालांकि, ये सभी राज्य विवादों में फंसे हुए हैं।

"सन्स-ऑफ-द-सॉयल (या भूमि-पुत्र)" के लिए कानून के मुद्दे पर संबंधित जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में **सभी सरकारी नौकरियों को "राज्य के युवाओं" के लिए आरक्षित** कर दिया था। इस कदम से समानता के मौलिक अधिकार पर प्रश्न उठे थे।

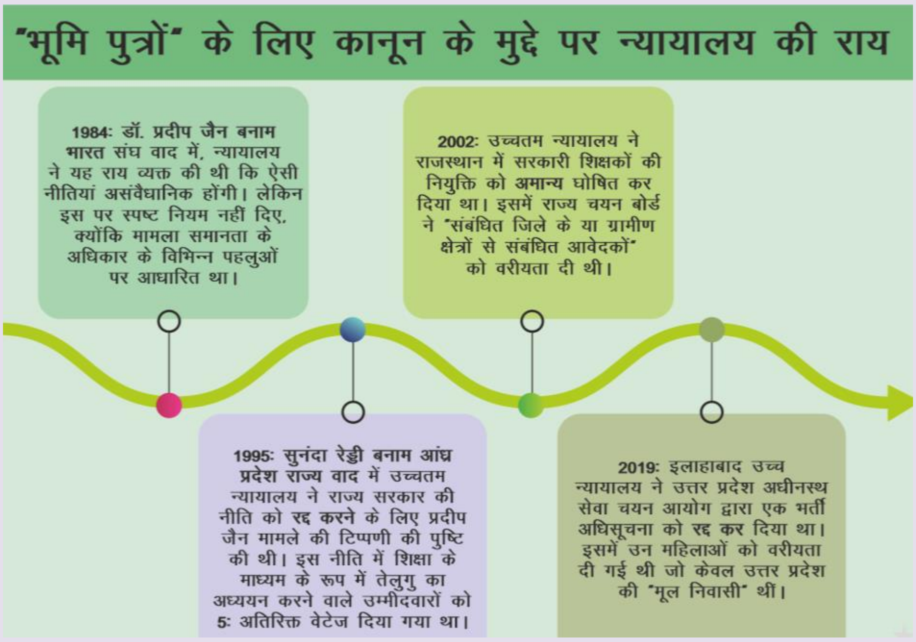

- **"सन्स-ऑफ-द-सॉयल" के लिए कानून के मुद्दे पर संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 16:** यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कानून के तहत समान व्यवहार की गारंटी देता है। साथ ही, **राज्य को जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।**
  - **अनुच्छेद 16(2):** कोई भी नागरिक केवल **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर** राज्य के तहत किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा, या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
    - **समानता की गारंटी देने वाले संविधान के अन्य खंड इस प्रावधान के पूरक हैं।**
  - **अनुच्छेद 16(3): अपवाद** के रूप में कहा गया है कि संसद किसी विशेष राज्य में **नौकरियों के लिए निवास की आवश्यकता को "निर्धारित" करने वाला कानून** बना सकती है। यह शक्ति केवल संसद में निहित है, **राज्य विधान सभाओं में नहीं।**
  - **संविधान निवास के आधार पर आरक्षण को प्रतिबंधित क्यों करता है?**
    - भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र आवाजाही की स्वतंत्रता देती है। जन्म स्थान या निवास की आवश्यकता किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोजगार देने के लिए योग्यता नहीं हो सकती है।

1.2. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की संभावना की जांच हेतु गठित **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** के कार्यकाल में छह माह के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है।

OBC आरक्षण की पृष्ठभूमि

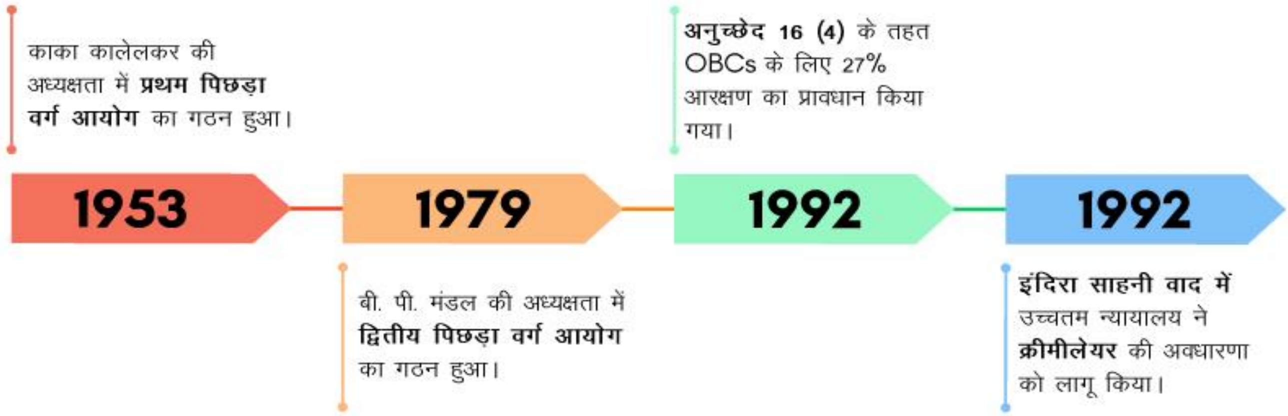

न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग

- केंद्र सरकार ने **वर्ष 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत न्यायमूर्ति जी. रोहिणी** (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में **चार सदस्यीय आयोग** का गठन किया था। इसका उद्देश्य **OBCs के मध्य आरक्षण के लाभों का न्यायसंगत बंटवारा करना है।**
    - **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एक सामूहिक शब्द है। इसका उपयोग सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत** करने के लिए किया जाता है, जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं। ज्ञातव्य है कि OBC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है।
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति हेतु शर्तें निर्धारित करता है।

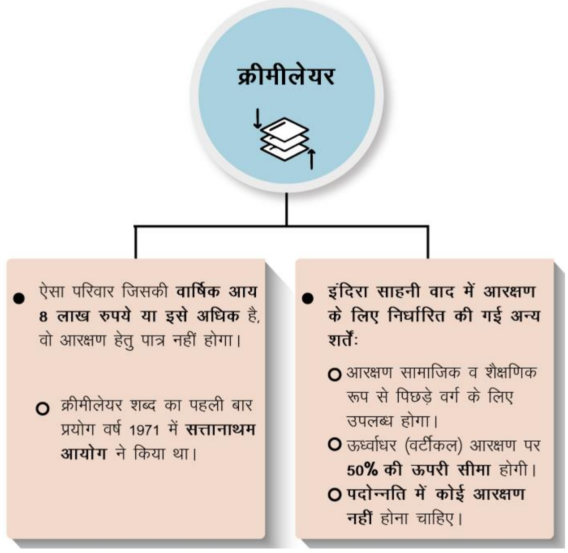

- **आयोग का अधिदेश:**
    - केंद्रीय OBC सूची के संदर्भ में **जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों** (अर्थात् नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण) के **असमान वितरण की सीमा की जांच करना।**
    - **OBCs के उप-वर्गीकरण के लिए** वैज्ञानिक दृष्टिकोण में **तंत्र, मानक, शर्तें और मापदंड** तैयार करना।
- आयोग ने **OBCs** को चार उप-श्रेणियों 1, 2, 3 और 4 में विभाजित करने और 27% को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अनुसार, 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु) ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण के लिए **OBCs** को उप-वर्गीकृत किया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC)

- NCBC को **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993** के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था।
- **102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय (संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़कर) बना दिया गया है।**
- **इस आयोग द्वारा निष्पादित मुख्य कार्य:**
    - आरक्षण लागू न होने, आर्थिक शिकायतों, हिंसा आदि से संबंधित **परिवादों या शिकायतों** के मामले में नागरिक आयोग के समक्ष अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे।
    - **अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की जांच करना।**

 © Vision IAS

102वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित घटनाक्रम

- 102वें संशोधन द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342A** को शामिल किया गया था।
  - **अनुच्छेद 338B** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की संरचना, कर्तव्यों एवं शक्तियों से संबंधित है, और
  - **अनुच्छेद 342A** (दो खंडों के साथ), राष्ट्रपति को किसी वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (Socially and Economically Backward Class: SEBC) के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति और संसद को केंद्रीय SEBC सूची को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- हाल ही में, **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342A में संशोधन किया है।** यह संशोधन संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने वाले **OBCs की पहचान करने हेतु राज्यों की शक्ति को पुनर्बहाल करने के संबंध में** एक **तीसरा खंड- अनुच्छेद 342A(3)** समाविष्ट करता है।
- कुछ समय पहले तक, राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थीं, कि उनके राज्य में कौन-सी जातियां OBCs सूची का भाग होंगी। इन निर्णयों में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती थी। कई राज्यों की OBCs सूची में ऐसी जातियों एवं समुदायों को शामिल किया गया है, जिन्हें उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार की OBC सूची में स्थान नहीं दिया गया है।
  - **अनुच्छेद 15(4), 15(5)** एवं **16(4)** राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान करने तथा उनकी घोषणा करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- हालांकि, **मराठा आरक्षण** पर दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल **राष्ट्रपति** ही किसी भी समुदाय को OBC घोषित कर सकते हैं और वह भी ऐसा केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की संस्तुति पर ही कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने भविष्य में **OBCs की एक "एकल सूची"** की संभावना पर भी टिप्पणी की है। इसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं पर जारी किया जाना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section: EWS) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 'अखिल भारतीय कोटा (All India Quota: AIQ) योजना' के अंतर्गत कोटा प्राप्त कर रहे हैं।

- **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **AIQ योजना के तहत OBCs के लिए 27 प्रतिशत** तथा **EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण** की घोषणा की है।
- AIQ योजना **वर्ष 1986** में आरंभ की गई थी। इसका प्रयोजन किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए अधिवास प्रमाण मुक्त (domicile-free) व योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध करवाना है।
  - इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG सीटों का 15% और PG सीटों का 50% शामिल है।
  - इससे पहले, **वर्ष 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं था।**
    - वर्ष 2007 में, योजना के तहत अनुसूचित जाति (AIQ सीटों का 15%) और अनुसूचित जनजाति (AIQ सीटों का 7.5%) के लिए आरक्षण लागू किया गया था।

अनुच्छेद 15 और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान

- **अनुच्छेद 15 (5)** नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 15(5) के प्रावधानों के आधार पर **वर्ष 2006-07** में केंद्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 27% OBC आरक्षण लागू किया गया था।
  - लेकिन इसके अंतर्गत राज्यों में **OBCs** के लिए अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीटें शामिल नहीं थीं।
  - वर्ष 2019 में, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, **अनुच्छेद 15(6)(b)** के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण बढ़ा दिया गया था।
    - लेकिन इसने EWS के लिए अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल कोर्स की सीटों को भी बाहर कर दिया है।

स्थानीय निकाय चुनावों में OBCs के लिए आरक्षण

- केंद्र स्थानीय निकायों और नगर निगमों में **OBCs को राजनीतिक आरक्षण** की स्वीकृति देने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है, जब तक कि राज्य ट्रिपल टेस्ट मानदंड का पालन नहीं करते हैं।
  - इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पक्ष में दिए गये 27% आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय दिया था।

- SC द्वारा जारी आदेश **'कृष्ण मूर्ति वाद'** के निर्णय पर आधारित हैं। इस निर्णय में कहा गया था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान चरित्र की नहीं है।

- **ट्रिपल टेस्ट में शामिल हैं:**
  - राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना।
  - आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना।
- आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

1.3. मूल ढांचा/मूल संरचना (Basic Structure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केशवानंद भारती श्रीपद्गलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य वाद** के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया।

केशवानंद भारती वाद के बारे में

- ज्ञातव्य है कि केशवानंद भारती वाद में निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने संविधान की **मूल संरचना (या मूल ढांचे) (Basic Structure)** को रेखांकित किया था।
- यह वाद **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत सरकार द्वारा केशवानंद की भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण को चुनौती देने वाली केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31** में प्रत्याभूत मूल अधिकारों (FRs) के अतिक्रमण का आरोप लगाया था।
- इस मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। यह उच्चतम न्यायालय की उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी।
- सुनवाई की प्रक्रिया के आरंभ होने पर, **वाद के दायरे का निम्नलिखित को संबोधित करने के लिए विस्तार किया गया था:**
  - **गोलकनाथ मामले** की व्याख्या- उच्चतम न्यायालय ने माना था कि- **अनुच्छेद 368** केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन संसद को **इसे संशोधित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।**
  - **अनुच्छेद 368** की व्याख्या- कुछ शर्तों के साथ संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
  - **24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 और 3 तथा 29वें संविधान संशोधन अधिनियम** की वैधता।

मूल संरचना के विभिन्न तत्व (Various Elements of Basic Structure)

- वर्तमान में कुछ सिद्धांत जो 'मूल संरचना' (या बेसिक स्ट्रक्चर) का हिस्सा हैं, निम्नलिखित हैं:
  - भारत की संप्रभुता;
  - नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएँ;
  - कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए अधिदेश;
  - संविधान की सर्वोच्चता;
  - सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप;
  - संविधान की पंथनिरपेक्ष और संघीय प्रकृति;
  - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण;
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता;
  - न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति;
  - मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन;
  - संसदीय प्रणाली;
  - विधि का नियम;
  - समता का सिद्धांत;
  - स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन;
  - न्यायपालिका की स्वतंत्रता;
  - संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति;
  - न्याय तक प्रभावी पहुँच;
  - मूल अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत (या सार);
  - अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां;
  - अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ आदि।

© Vision IAS

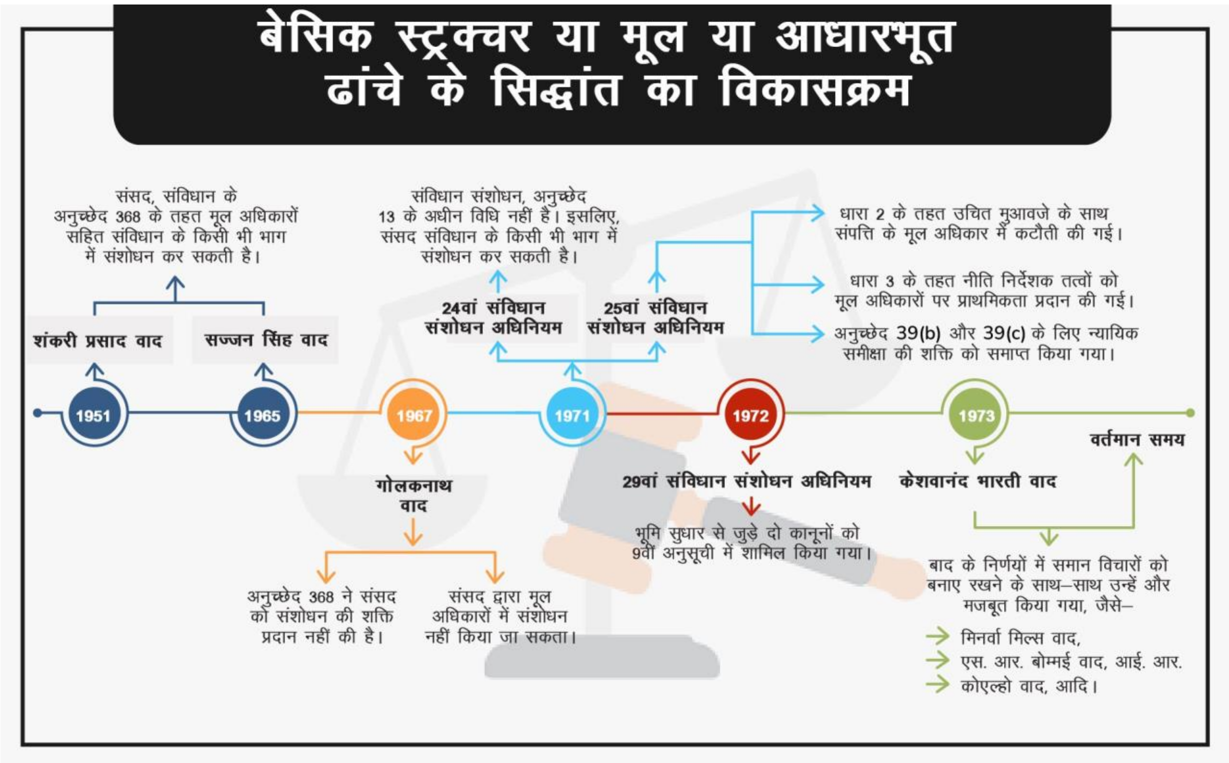

केशवानंद भारती वाद के निष्कर्ष

- **24वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा संविधान की अनिवार्य विशेषताओं या मूलभूत सिद्धांतों या मूल ढांचे में परिवर्तन, उनकी क्षति या लोप नहीं होना चाहिए। इसे **"मूल ढांचे के सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine)** के रूप में जाना जाता है।
- **गोलकनाथ मामले के निर्णय को सही किया गया:** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं तथा **संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां एवं विधायी शक्तियां भिन्न-भिन्न हैं।**
- **अन्य निर्णय:** उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन (समीक्षा) की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर 25वें एवं 29वें संशोधन को वैध स्वीकार किया और यह भी कहा कि **उद्देशिका संविधान का एक भाग है तथा इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।**

1.4. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विधि और न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2019 में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) का कार्यान्वयन, लोक नीति का विषय है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- **समान नागरिक संहिता ऐसे एकल कानून** को संदर्भित करती है, जो **भारत के सभी नागरिकों पर उनके व्यक्तिगत मामलों,** जैसे- विवाह, विवाह-विच्छेद, अभिरक्षा, दत्तक-ग्रहण और विरासत के संदर्भ में लागू होता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 44** यह प्रावधान करता है कि 'राज्य संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।'

भारत में समान संहिता की स्थिति:

- **भारतीय कानून द्वारा अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान संहिता का अनुसरण किया जाता है,** जैसे- भारतीय संविदा अधिनियम,1872; नागरिक प्रक्रिया संहिता; संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882; भागीदारी अधिनियम, 1932; साक्ष्य अधिनियम, 1872; आदि।

- हालाँकि, राज्यों द्वारा सैकड़ों संशोधन किए जा चुके हैं और इसलिए, कुछ मामलों में, इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधताएं मौजूद हैं।
- हाल ही में, **कई राज्यों ने समान मोटर वाहन अधिनियम, 2019 को अपनाने से इनकार कर** दिया है।
- **गोवा एकमात्र भारतीय राज्य है जहां सामान परिवार कानून के रूप में समान नागरिक संहिता लागू** है।

UCC की पृष्ठभूमि

- **स्वतंत्रता पूर्व (औपनिवेशिक युग):**
  - **अक्टूबर 1840 की लेक्स लोकी रिपोर्ट:** इसके तहत अपराधों, साक्ष्य और संविदा से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की महत्ता और आवश्यकता पर बल दिया गया था। हालांकि, इसके तहत यह भी सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानूनों को इस प्रकार के संहिताकरण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
  - **महारानी की 1859 की उद्घोषणा:** इसमें धार्मिक मामलों में पूर्ण रूप से हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी।
  - वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए **बी. एन. राव समिति** का गठन किया गया था।
- **स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद:**
  - **हिंदू कोड बिल:** डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने हिंदू कानूनों में सुधार के लिए इस विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जिसके तहत तलाक को वैध ठहराया गया, बहुविवाह का विरोध किया गया, बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान किया गया।
  - **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** को हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिख के मध्य "निर्वसीयत या वसीयतनामा के बगैर उत्तराधिकार" (Intestate or Unwilled Succession) से संबंधित कानूनों में संशोधन और संहिताकरण करने के लिए लाया गया था। हालांकि, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग-अलग व्यैक्तिक कानून लागू किये गए थे।
    - **निर्वसीयत:** यदि संपत्ति के बारे में वसीयत जाहिर किये बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो, व्यक्ति की मृत्यु उस संपत्ति के विषय में निर्वसीय समझी जाती है।
- **न्यायालय के ऐतिहासिक वाद:** शाह बानो वाद (1985), सरला मुद्गल वाद (1995) तथा डैनियल लतीफी जैसे वाद में न्यायालय ने जोर देते हुए अपने निर्णय में कहा है कि एकरूपता लाने के लिए सरकार को एक UCC के अंगीकरण हेतु प्रयास करना चाहिए।

1.5. धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-Conversion Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कर्नाटक विधान सभा** ने **कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021[1] पारित किया।** ऐसे विधेयक को आमतौर पर **धर्मांतरण विरोधी विधेयक (Anti-conversion Bill)** के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात् यह विधेयक **कर्नाटक विधान परिषद** के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐसे राज्य जहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून हैं:

वर्तमान में, देश में **कम-से-कम नौ राज्यों** में गैर-कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है। ये राज्य हैं:

- ओडिशा,
- मध्य प्रदेश,
- अरुणाचल प्रदेश,
- गुजरात,
- हिमाचल प्रदेश,
- छत्तीसगढ़,
- झारखंड,
- उत्तराखंड, और
- उत्तर प्रदेश

[1] Karnataka Right to Freedom of Religion Bill, 2021

धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय

- **रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य वाद (वर्ष 1977):** इस मामले में मध्य प्रदेश और ओडिशा में सबसे पुराने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की जांच की गई। न्यायालय ने दोनों राज्यों के अधिनियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के ये प्रयास अंतःकरण की स्वतंत्रता (Freedom Of Conscience) और लोक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए हैं।
  - अपने **धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता,** जैसा कि अनुच्छेद 25 (1) के तहत निर्धारित है, **किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित कराने का मौलिक अधिकार नहीं देती है।** पीठ ने यह फैसला सुनाया कि एक **उद्देश्यपूर्ण धर्मांतरण** सभी नागरिकों को दी गई **"अंतःकरण की स्वतंत्रता" के विपरीत है।**
  - यह भी माना गया कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम **सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 1** के दायरे में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे धर्मांतरण पर रोक लगाकर **लोक व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए हैं। ऐसे धर्मांतरण से समुदायों को ठेस पहुंच सकती है।**
- **सरला मुद्गल वाद (वर्ष 1995):** उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि **बहुविवाह प्रथा को मानने के लिए** इस्लाम धर्म अपनाया गया है तो वह वैध नहीं होगा।
- **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य:** उच्चतम न्यायालय ने अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों के मामलों में हिंसा या धमकियों के कृत्यों पर **कड़ी सजा की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला।
- **एम. चंद्र बनाम एम. थंगमुथु तथा अन्य वाद (वर्ष 2010) - उच्चतम न्यायालय ने धर्मांतरण साबित करने के लिए शर्तें निर्धारित की:** पहला, सही मायने में **धर्मांतरण हुआ हो** और दूसरा यह कि, उस **समुदाय में स्वीकृति** जिसमें व्यक्ति धर्मांतरित हुआ है। न्यायालय ने यह भी कहा कि **धर्मांतरण की आवश्यकता** को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।

1.6. राजभाषा (Official Language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में तुलु भाषी लोगों ने तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- तुलु एक **द्रविड़ भाषा** है। यह मुख्य रूप से **कर्नाटक के दो तटीय जिलों यथा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले** में बोली जाती है।

राजभाषा के बारे में

- **भारतीय संविधान का भाग XVII** (अनुच्छेद 343 से 351 तक) राजभाषा से संबंधित है। आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 (भाग XVII) में हैं।
- **भाषाओं को संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल किया जाता है।**
- संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट नहीं करता है। वर्तमान में, **संविधान में किसी भाषा को** आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए **कोई मापदंड मौजूद नहीं है।**
  - संविधान के **अनुच्छेद 345 के** अनुसार, "किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकता है।"

आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं समाविष्ट हैं:

- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

आठवीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने का महत्व

- जब किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह राजभाषा बन जाती है।
- साहित्य अकादमी द्वारा उस भाषा को मान्यता दी जाएगी और उस भाषा की पुस्तकों का भारत में मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा।
- सांसद और विधायक राज्य विधानसभाओं एवं संसद में उक्त भाषा में संवाद कर सकते हैं।
- उम्मीदवार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषा में लिखने में सक्षम होंगे।

1.7. सहकारिता (Cooperatives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक अलग **सहकारिता मंत्रालय** बनाया गया है।

सहकारिता के बारे में

- यह समान आवश्यकताओं वाले **व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ** होता है, जो **साझे आर्थिक लक्ष्यों** और हितों की **प्राप्ति के लिए** एकजुट होते हैं।
    - इसमें सहकारी समितियां (सोसाइटियां), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS), सहकारी बैंक आदि शामिल होते हैं।
- **97वाँ संशोधन अधिनियम:** यह संशोधन अधिनियम देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। संविधान में किए गए इस परिवर्तन के तहत **अनुच्छेद** 19(1)(c) को संशोधित (सहकारिताओं को संरक्षण देने के लिए) किया गया तथा इनसे संबंधित **अनुच्छेद 43B** और **भाग IXB** को संविधान में शामिल किया गया है।
    - **अनुच्छेद 19(1)(c):** यह कुछ निर्बंधनों के अधीन **संगम या संघ अथवा सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता** की गारंटी प्रदान करता है।
    - **अनुच्छेद 43B:** इसमें उपबंधित किया गया है कि राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना (Voluntary Formation), उनके स्वशासी कार्यकरण (Autonomous Functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (Democratic Control) और पेशेवर या वृत्तिक प्रबंधन (Professional Management) का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।
    - **संविधान का भाग IXB:** इसने सहकारी सोसाइटियों को संचालित करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया है। यह एक सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की अवधि और यहां तक कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण करता है।

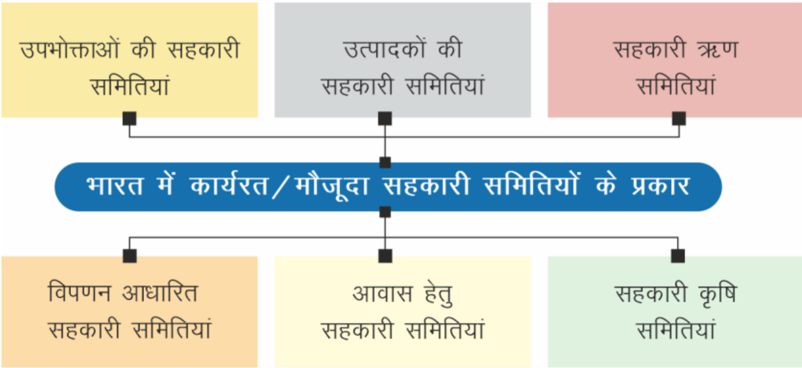

क्या आप जानते हैं?

- सहकारिता आंदोलन **पहली बार ब्रिटेन में** 28 बुनकरों द्वारा **वर्ष 1844 में** शुरू किया गया था।
- पहली सहकारी समिति की शुरुआत **रॉबर्ट ओवेन ने वर्ष 1844** में की थी। इसका नाम **रोचडेल सोसाइटी ऑफ़ इक्विटेबल पायनियर्स** था। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराकर गरीब लोगों की मदद करना, बिचौलियों को हटाना और इसके सदस्यों को बेहतर सेवाओं की आपूर्ति प्रदान करना था।

संवैधानिक या सांविधिक स्थिति

- सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के **सातवीं अनुसूची** में उल्लिखित राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
- सहकारी समितियों के गठन को **97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011** के तहत एक मूल अधिकार माना गया है।
- संविधान के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43–B) के अंतर्गत उल्लिखित **'सहकारिता को बढ़ावा देने के प्रयास' को राज्यों के लिए एक संवैधानिक निर्देश** के रूप में संदर्भित किया गया है।
- **बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002** में भी **एक से अधिक राज्यों के लिए समितियों के पंजीकरण का प्रावधान** किया गया है।

© Vision IAS

- **भाग IX-B को अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक विस्तारित कर दिया गया है।**

- सर फ्रेडरिक निकोल्सन को देश में **'सहकारिता आंदोलन के जनक'** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
    - भारत में, **सर फ्रेडरिक निकोल्सन,** जिन्होंने मद्रास अकाल के उपरांत किसानों की समस्याओं के निस्तारण के संदर्भ में एक व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने 1895 ई. में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके कारण भारत में सहकारी कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों की स्थापना हुई और **'सहकारी आंदोलन' का मार्ग प्रशस्त** हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने देश में "सहकारी समितियों " को शासित या नियंत्रित करने वाले **97वें संशोधन अधिनियम के कुछ भाग और संविधान के भाग IXB को निरस्त** कर दिया है।
- इस अधिनियम को राज्य विधान सभाओं के अनुमोदन के बिना ही संसद द्वारा पारित किया गया था, जबकि संविधान के अनुसार इस संदर्भ में उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक था।
- न्यायालय ने घोषणा की है कि संविधान का भाग IXB केवल तभी प्रभावी है, जब यह विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित हो।

1.8. प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizens of India: OCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार पत्रकारों और शोधकर्ताओं जैसे OCI पेशेवरों को भारत में अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। कई OCIs गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।

अधिसूचना के साथ समस्याएं:

- यह भारत में अधिवासित OCIs की तुलना विदेशी नागरिकों से करता है।
- अनिवासी भारतीय (NRI) कोटे के तहत **अत्यधिक उच्च शुल्क** कई OCIs द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है।
- भारत में अधिवासित OCI छात्र भारत के साथ-साथ अपनी नागरिकता वाले देश में भी **अधिवास की स्थिति (domicile status) से वंचित** हैं।

तुलना के तत्व	अनिवासी भारतीय (NRI)	प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI)
कौन?	एक भारतीय नागरिक, जो सामान्यतः **भारत से बाहर निवास** करता है और एक **भारतीय पासपोर्ट** धारक है।	नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत **OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।**

क्या लाभ प्राप्त होते हैं?	सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन **भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सभी लाभ।**	• कार्डधारक किसी भी उद्देश्य हेतु भारत आने के लिए **बहु-प्रवेश वाला आजीवन वीजा** प्राप्त कर सकता है।
		• **भारत में कितनी भी अवधि तक रह सकता है, इसके लिए पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है।**
		• **अनिवासी भारतीयों (NRIs) के साथ समानता**
		  ○ **वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र** में उपलब्ध प्रत्येक सुविधा में समानता, परन्तु कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर।
		  ○ उन्हें भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कृषि या बागवानी संपत्ति विरासत में प्राप्त करने की अनुमति है।
		  ○ **भारतीय बच्चों को गोद (दत्तक) लेने की अंतर्देशीय सुविधा।**
		  ○ चिकित्सक, फार्मासिस्ट जैसे पेशों को अपना सकते हैं।
		  ○ देश में किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय के दर्शन के क्रम में घरेलू यात्रा और प्रवेश शुल्क एवं विमान शुल्क को लेकर **भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं।**

कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता किस प्रकार अर्जित कर सकता है?	एक व्यक्ति पहले से ही एक भारतीय नागरिक है।	नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, **5 वर्ष के लिए OCI के रूप में पंजीकृत व्यक्ति** और **पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 माह तक भारत में रहने वाला** व्यक्ति नागरिकता के लिए पात्र है।

संविधान का भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) नागरिकता से संबंधित है।

नागरिकता अधिनियम, 1955:

- यह अधिनियम **जन्म (धारा 3), वंश (धारा 4), पंजीकरण (धारा 5) और देशीयकरण (धारा 6)** तरीके से भारत की नागरिकता के अर्जन का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम तीन तरीकों से, अर्थात् स्वैच्छिक त्याग, समापन/पर्यवसान और वंचन द्वारा भारतीय **नागरिकता के निरसन** का प्रावधान भी करता है।

नागरिकता **संघ सूची** का एक विषय है। **गृह मंत्रालय** नागरिकता अधिनियम, 1955 की **धारा 16** के तहत समय-समय पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य को अधिकार प्रदान करता है।

- हाल ही में, पांच राज्यों के 13 जिलों को अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के कुछ आवेदकों को नागरिकता देने का अधिकार प्रदान किया गया था।

1.9. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

संविधान सभा	**संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए**
	• संविधान सभा की **प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946** को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी।
	  ○ **कैबिनेट मिशन योजना, 1946** (फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे) **की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था।**
	    ▪ संविधान सभा को **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा मान्यता दी गई थी।**
	• **संरचना:** सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था।
	  ○ **व्यवस्था:**
	    ▪ प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए थे।
	    ▪ इसमें शामिल 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, तथा
	    ▪ 4 सदस्यों ने चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। **(कुल सदस्य = 389)**।
	  ○ हालांकि **3 जून, 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणामस्वरूप,** पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणामस्वरूप, संविधान सभा **की सदस्यता घटकर 299 रह गई थी।**
	• **सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।**
	• स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने में संविधान सभा को **दो वर्ष, ग्यारह महीने और अठारह दिन**

 © Vision IAS

	का समय लगा था।
दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण {Reservation in Promotions for Persons with Disabilities (PWDs)}	**उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संबंधी निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।** • **उच्चतम न्यायालय** ने आदेश दिया है कि **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** {Rights of Persons with Disabilities (PwD) Act, 2016} की **धारा 34** के अनुसार निर्देश जारी किए जाने चाहिए। यह धारा संदर्भित (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए **न्यूनतम 4 प्रतिशत** आरक्षण निर्धारित करती है। ○ **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के अनुसार, "संदर्भित दिव्यांग व्यक्ति" से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है, जो एक निर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से कम दिव्यांग नहीं है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। ○ इस अधिनियम के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। **SC के महत्त्वपूर्ण वाद:** • इससे पूर्व, **सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य वाद** में, जनवरी 2020 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की थी कि **दिव्यांगजनों को केवल नियुक्ति में ही नहीं बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार** प्राप्त है। ○ किंतु, केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। • **नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाद में,** उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की गणना समूह A, B, C और D पदों (अर्थात दोनों चिन्हित तथा गैर चिन्हित पद) के मामले में कैडर स्ट्रेंथ में रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण की गणना करके की जाएगी। • **राजीव कुमार गुप्ता वाद में,** उच्चतम न्यायालय ने सरकार को समूह A तथा B में सभी चिन्हित पदों पर दिव्यांगजनों को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था।
सरकारी अनुदान	उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि **किसी संस्थान द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार, मूल अधिकार नहीं** है। • संविधान के अनुच्छेद 30 (2) में यह उपबंध किया गया है कि **"शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि उसका प्रबंधन धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के अधीन है।"** • **संविधान के अनुच्छेद 30 में युक्तियुक्त निर्बंधनों (reasonable restrictions) की व्यवस्था की गई है।** इसके तहत **सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए, अल्पसंख्यक** और **गैर-अल्पसंख्यक** वर्गों के मध्य कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। किन्तु, यदि कोई संस्था ऐसी सहायता से जुड़ी शर्तों को स्वीकार अथवा उनका अनुपालन नहीं करना चाहती है, तो वह अपने अनुसार सरकारी अनुदान को अस्वीकार करने तथा स्वयं के निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
राजद्रोह	• **भारतीय दंड संहिता, 1860** की **धारा 124A** में राजद्रोह (सेडिशन) की परिभाषा दी गयी है। इस परिभाषा के अनुसार, जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित के माध्यम से (भारत में) **विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति** घृणा या अवमान उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, असंतोष (अप्रीति) उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है तो उसके कृत्य को **राजद्रोह** माना जाएगा: ○ **बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या** ○ **संकेतों द्वारा, या** ○ **दृश्यरूपण प्रस्तुति (visible representation) द्वारा, या अन्यथा किसी प्रकार से** • **'असंतोष/अप्रीति' (Disaffection)** में **अभक्ति (disloyalty) और शत्रुता की सभी भावनाएँ सम्मिलित होती हैं।** हालांकि, घृणा, अवमान या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना की गई टिप्पणियों को इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। • **यह एक गैर-जमानती अपराध है।** ○ इसके अंतर्गत, व्यक्ति को जुर्माने के साथ तीन वर्ष या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। ○ रोमेश थापर वाद (1950), केदार नाथ सिंह वाद (1962), कन्हैया कुमार वाद (2017) आदि मामलों में दिए गए विभिन्न निर्णयों ने राजद्रोह को फिर से परिभाषित किया है। कोई कृत्य राजद्रोह तभी कहा जाएगा, जब उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व विद्यमान हों-

	▪ लोक व्यवस्था का भंग होना, ▪ एक वैध सरकार को हिंसक रूप से सत्ता से हटाने का प्रयास करना तथा ▪ राज्य या जनता की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करना।
हेट स्पीच	गृह मंत्रालय ने "वाक् और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों" पर सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया है • चूंकि, ब्रिटिश काल में विकसित भारतीय दंड संहिता (IPC) में "हेट स्पीच" की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए **आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति** पहली बार इस प्रकार के वाक् को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। • इससे पूर्व, **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो** (Bureau of Police Research and Development) ने हेट स्पीच को "ऐसी भाषा, जो किसी व्यक्ति को उसकी **पहचान और अन्य लक्षणों (जैसे लैंगिक अभिविन्यास या दिव्यांगता या धर्म आदि) के आधार पर** कलंकित, अपमानित, धमकी देना या **लक्षित** करती है" के रूप में परिभाषित किया था। • इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी **हेट स्पीच पर रणनीति और कार्य योजना (Strategy and Plan of Action on Hate Speech)** जारी की है। यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हेट स्पीच को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली हेतु **रणनीतिक मार्गदर्शन** निर्धारित करती है। • **भारत में हेट स्पीच के लिए कानूनी प्रावधान** ○ संविधान के अनुच्छेद 19(2) द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन। ○ IPC की धारा 124A में राजद्रोह का दंड। ○ IPC की धारा 153A और 153B उन कृत्यों को दंडित करती है, जो दो समूहों के बीच शत्रुता और घृणा का कारण बनते हैं। • IPC की धारा 505(1) और (2) किसी भी ऐसे कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार को दंडित करती है, जिससे वर्गों के मध्य सार्वजनिक अशांति और शत्रुता, वैमनस्य या द्वेष उत्पन्न होता है। • भारतीय विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार आम तौर पर नस्ल, नृजातीयता, लिंग, यौन ओरिएंटेशन, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। • **विभिन्न समितियों की सिफारिशें:** ○ **विश्वनाथन समिति 2019:** इसने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन ओरिएंटेशन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, दिव्यांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने हेतु उकसाने के लिए धारा 153C(b) और धारा 505A को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। ○ **बेजबरुआ समिति 2014:** IPC की धारा 153C में प्रस्तावित संशोधन, पांच वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों तथा IPC की धारा 509A तीन वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों। ▪ **153C-** मानव गरिमा के लिए हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना। ▪ **509A-** किसी विशेष जाति के सदस्य का अपमान करने के उद्देश्य से कोई शब्द, संकेत या कार्य।
बेअदबी या पवित्र वस्तुओं के अनादर की घटना (Sacrilege)	**पंजाब सरकार** ने धर्मग्रंथों का अपमान करने पर उम्रकैद के प्रस्ताव वाले अपने विधेयक को मंजूरी हेतु **केंद्र सरकार को पत्र लिखा** है। इस विधेयक में **चार धर्मों के धर्मग्रंथों के अपमान पर सजा का प्रावधान किया गया है।** • किसी धार्मिक प्रतीक/वस्तु या स्थान को समुचित सम्मान न देना या अनादर करना **बेअदबी (इसे ईशनिंदा के रूप में भी जाना जाता है)** कहलाती है। • भारत व पाकिस्तान जैसे अन्य देशों के विपरीत एक पंथनिरपेक्ष देश है, जो **ईशनिंदा कानूनों के तहत सभी धर्मों की रक्षा करता है।** • वर्तमान में **भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) की धाराएँ 295 और 295A, 296, 297, 298** ईशनिंदा की घटनाओं से संबंधित हैं। ○ यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र समझी जाने वाली किसी **धार्मिक वस्तु को क्षति पहुंचाता है, उसे नष्ट करता है या मलिन करता है,** तो **धारा 295** के तहत वह सजा का भागीदार है। इन धार्मिक वस्तुओं में मूर्तियों और किताबों के अलावा अन्य वस्तुएं भी

© Vision IAS

	शामिल हैं। ○ यदि कोई व्यक्ति **दुर्भावना से बोले गए शब्दों के माध्यम से या लिख कर या सांकेतिक रूप से या चित्रों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या उसका अपमान करने का प्रयास करता है,** तो वह **धारा 295A** के तहत सजा का भागीदार है।
निवारक निरोध (Preventive Detention)	उच्चतम न्यायालय ने **'बांका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य'** वाद में यह निर्णय दिया है कि **'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन की संभावित आशंका के आधार पर निवारक निरोध के उपबंध को लागू नहीं** किया जा सकता है। निवारक निरोध का आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है, जब संबंधित **गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता** हो। • **निवारक निरोध के बारे में:** ○ **'निवारक निरोध' किसी व्यक्ति द्वारा संभावित अपराध/अनुचित कृत्य किए जाने के संदेह के आधार पर संबंधित** व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्रवाई है {दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 151}। ○ भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित मामलों** में सुरक्षा प्रदान करता है। ▪ संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत करवाना, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करना और प्रतिरक्षा प्राप्त करना आदि। ○ हालांकि, ये अधिकार किसी **तत्समय शत्रु अन्यदेशीय नागरिक या निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति** को प्रदान नहीं किए गए हैं।
विरोध-प्रदर्शन का अधिकार (Right to Protest)	हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसानों के **विरोध प्रदर्शन के अधिकार** को यातायात या लोक आवाजाही में बाधक नहीं बनना चाहिए। • **विरोध प्रदर्शन के अधिकार के बारे में** ○ **अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b)** के तहत विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मूल अधिकार है। ▪ यह व्यक्तियों को (शस्त्र रहित) **एकत्रित होने** और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से **अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है।** यह सरकार को जवाबदेह बनाकर भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध जन चेतना उत्पन्न करता है। ○ परन्तु यह **निरपेक्ष (असीमित) अधिकार** नहीं है। **अनुच्छेद 19(2) और 19(3)** के तहत, यह युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है।
भूल जाने जाने का अधिकार (Right to be Forgotten: RTBF)	दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति के भूल जाने के अधिकार (RTBF) को यथावत रखा है। • भूल जाने का अधिकार' (RTBF) वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है जब यह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। ○ RTBF **निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है।** • वर्तमान में, भारत में RTBF पर **वैधानिक प्रावधानों का अभाव** है। • यह लंबित **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill), 2019** का हिस्सा है। परन्तु इस विधेयक में डेटा विलोपन के विशिष्ट अधिकार का अभाव है, जैसा कि **यूरोपीय सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुच्छेद 17** द्वारा प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311(2) {Article 311 (2) of the Indian Constitution}	• हाल ही में, जम्मू एवं कश्मीर में एक सरकारी शिक्षक की **सेवाओं को बिना किसी जांच के समाप्त** कर दिया गया था। • **अनुच्छेद 311(2)** सरकारी कर्मचारियों की पद से बर्खास्तगी, निष्कासन या पदावनति से पूर्व जांच को अनिवार्य बनाता है। • हालांकि, **अनुच्छेद 311(2)(c)** के तहत पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं होती है, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में, इस प्रकार की जांच करना समीचीन नहीं है।

विदेशी अधिकरण (Foreigners' Tribunals: FT)	असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा शाखा को गोरखाओं के विरुद्ध किसी भी मामले को **विदेशी अधिकरणों (Foreigners' Tribunals: FT) के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने** का आदेश दिया है।
	• विदेशी अधिकरण (FTs) अर्ध-न्यायिक निकाय हैं। इनकी स्थापना **विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश (Foreigners' Tribunal Order), 1964** तथा **विदेशियों विषयक अधिनियम (Foreigners Act), 1946** के अनुसार की गई है। ये यह पता लगाने के लिए अधिदेशित हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं ।
	  ○ **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946** केंद्र सरकार को विदेशियों के प्रवेश या प्रस्थान के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।
	  ○ **विदेशी अधिकरण पहली बार वर्ष 1964 में स्थापित किए गए थे। ये असम के मामले में विशिष्ट हैं।** देश के शेष हिस्सों में, अवैध रूप से निवास करने पर पुलिस द्वारा पकड़े गए किसी विदेशी के ऊपर स्थानीय अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और बाद में उसे निर्वासित/ डिटेंशन केंद्रों में डाल दिया जाता है।
	• इन अधिकरणों को दो प्रकार के मामलों हेतु अधिदेशित किया गया है: प्रथम, वे जिनके विरुद्ध मामला सीमा पुलिस द्वारा "संदर्भित" किया गया है और दूसरे, वे जिनके नाम मतदाता सूची में संदिग्ध (Doubtful-D) के रूप में संदर्भित किए गए हैं।
	• विदेशी विषयक अधिकरण की अध्यक्षता एक सदस्य करता है। यह **एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, नौकरशाह या अधिवक्ता** (जिसे विधिक पेशेवर के रूप में कार्य करने का सात वर्ष का अनुभव हो) हो सकता है।
	• वर्ष 2019 में, गृह मंत्रालय ने विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया था। इसके तहत **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के जिलाधीशों को यह निर्धारित करने के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया था** कि भारत में अवैध रूप से निवास करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं।
	• इससे पहले, **विदेशी अधिकरणों का गठन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास थी।)**

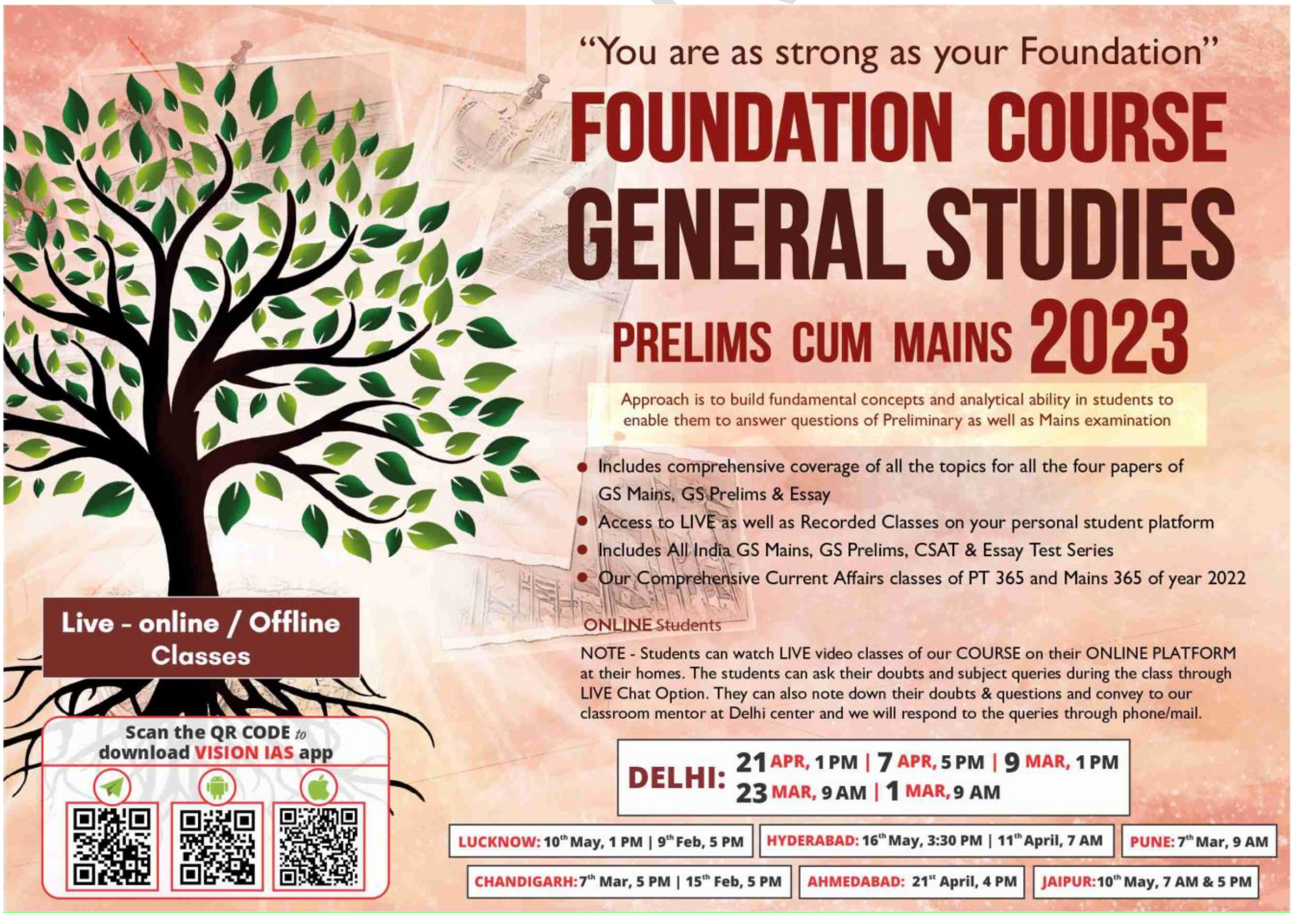

2. संसद, राज्य विधान-मंडल/स्थानीय सरकार का कार्यकरण (Functioning of Parliament, State Legislature/Local Government)

2.1. संसदीय सत्रों की गिरती उत्पादकता (Declining Productivity of Parliamentary Sessions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह मानसून सत्र विगत दो दशकों में **लोक सभा के लिए तीसरा सबसे कम उत्पादक (21%) सत्र** और **राज्य सभा के लिए आठवां सबसे कम उत्पादक (28%)** सत्र था।

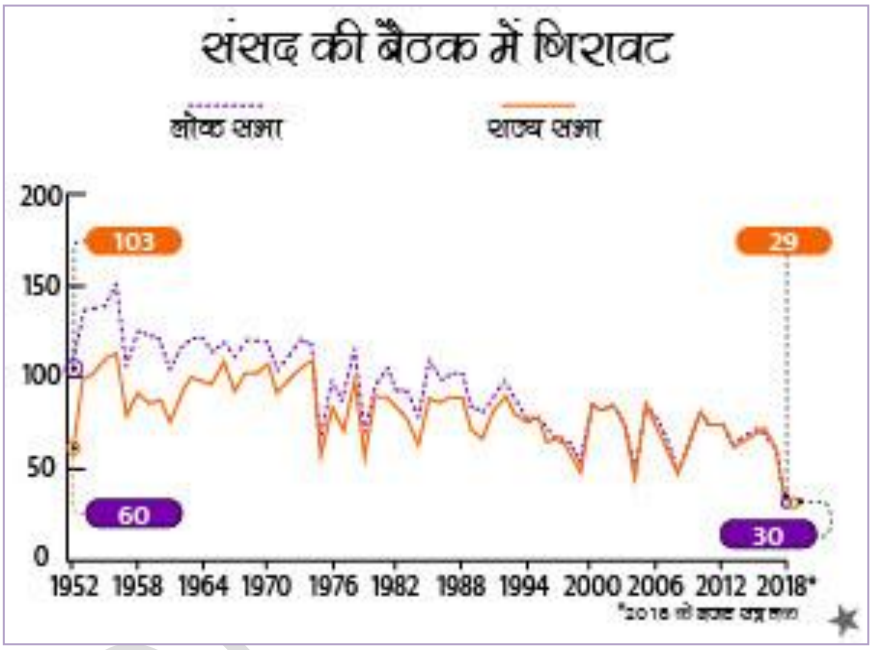

संसद का सत्र आहूत करने के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 85** में संसद का सत्र आहूत करने का उपबंध है।
- संसद का सत्र आहूत करने की शक्ति सरकार के पास है। यह निर्णय संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय को **राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक स्वरूप** प्रदान किया जाता है, जिसके नाम पर सांसदों को एक सत्र की बैठक के लिए बुलाया जाता है।
- भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार, संसद की बैठक एक वर्ष में तीन सत्रों के लिए होती है, जिसमें **बजट सत्र** (सबसे लंबे समय तक), **मानसून सत्र** और **शीतकालीन सत्र** शामिल हैं। संसद के दो सत्रों के बीच **6 माह से अधिक का समय नहीं** हो सकता।

क्या आपको याद है?

- **स्थगन:** संसद की बैठक को कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए स्थगित करना।
- **अनिश्चित काल के लिए स्थगन:** संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
- **सत्रावसान:** बैठक और सत्र की समाप्ति। सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति कर सकता है।
- **अवकाश:** सत्रावसान और अगली बैठक के बीच का समय।
- **विघटन:** इससे लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। केवल राष्ट्रपति ही सदन को भंग (विघटित) कर सकता है।

2.2. लोक सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लोक सभा सचिवालय से 2 वर्ष से अधिक समय से लोक सभा के उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर जवाब मांगा है।

उपाध्यक्ष और उसके निर्वाचन के बारे में

- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष **लोक सभा के पीठासीन अधिकारी** होते हैं।
- जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या सदन की किसी बैठक से अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, तब **अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करता है।**
- **संविधान के अनुच्छेद 94** के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
- **अनुच्छेद 93** के तहत, "लोक सभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।"
- हालांकि **अनुच्छेद 93** के तहत निर्वाचन के लिए **कोई समय-सीमा प्रदान नहीं** की गई है।
  - राष्ट्रपति, अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है।
  - अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की जाती है।

लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम एवं उपाध्यक्ष

- लोक सभा **की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 8** के तहत उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का दायित्व अध्यक्ष का होता है।
- इसके **नियम 9** के अनुसार, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन होने के लिए अध्यक्ष द्वारा **10 सदस्यों की एक तालिका बनाई जाती है।** लेकिन, उन्हें उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

- 11वीं लोक सभा के बाद से यह **आम सहमति** रही है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष/गठबंधन से होगा और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को जाएगा।
- **पदावधि:** अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष भी लोक सभा की समयावधि (5 वर्ष) के दौरान आमतौर पर पद पर बना रहता है।
- **निष्कासन/हटाया जाना:** लोक सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है।
- **उपाध्यक्ष बजट समिति का अध्यक्ष होता है। वह सचिवालय के बजट प्रस्तावों को आम बजट में शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने से पहले मंजूरी देता है।**

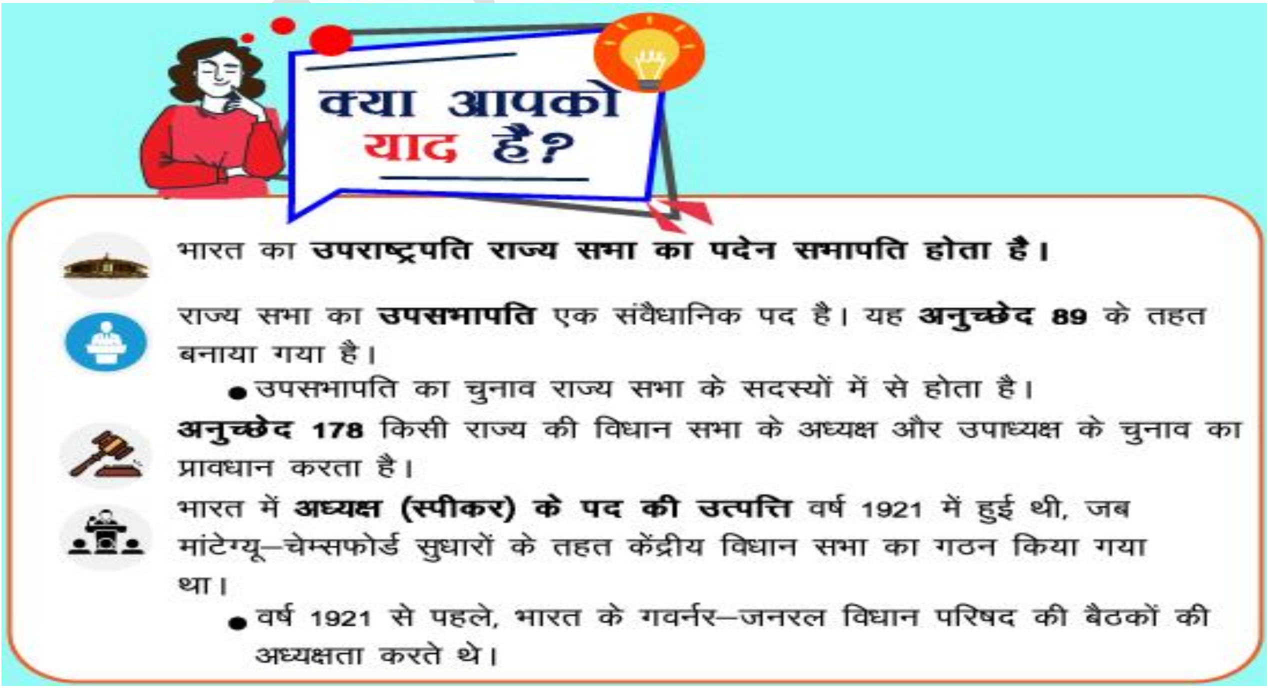

© Vision IAS

2.3. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) का **शताब्दी समारोह** आयोजित किया गया।

लोक लेखा समिति के बारे में

- **यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है।** यह **वर्ष 1921** में भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणामस्वरूप) के प्रावधानों के तहत गठित की गई थी।
- इस समिति में कुल 22 **सदस्य होते हैं जिनमें से 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा** से चुने जाते हैं।

लोक वित्त और सरकार के खर्च पर निगरानी रखने के लिए अन्य संसदीय समितियां

प्राक्कलन समिति

- बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्च या व्यय की समीक्षा करने और सार्वजनिक व्यय में 'मितव्ययिता' लाने हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 1950 में प्राक्कलन समिति को गठित किया गया था।
- मूल रूप से इसमें 25 सदस्य होते थे, किन्तु वर्ष 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गयी। इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से ही होते हैं।
- लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से ही चुना जाता है।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1964 में गठित किया गया था।
- वर्ष 1974 में इसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 22 कर दी गयी (लोक सभा से 15 और राज्य सभा से 7 सदस्य)
- लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा केवल लोक सभा के सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।

- **लोक सभा अध्यक्ष,** इस समिति के अध्यक्ष को उसके सदस्यों में से नियुक्त करता है।
    - **डब्ल्यू. एम. हैली** इसके प्रथम अध्यक्ष थे और **भूपेंद्र नाथ मित्रा** इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंतिम अध्यक्ष **लियाकत अली खान** थे।
    - वर्ष 1966-67 तक समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल से संबंधित होते थे। हालांकि, **वर्ष 1967 से एक परंपरा विकसित हुई** है जिसके तहत **समिति के अध्यक्ष को हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है।**

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) तथा लोक लेखा समिति (PAC)

- अनुच्छेद 148 में भारत के **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग)** के स्वतंत्र पद का प्रावधान है। वह **भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है।**
- CAG **राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:**
    - विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
    - वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और
    - सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
- **राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है।**
- इसके बाद, **लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है** और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है।

- **कार्य:** संसद द्वारा **प्रत्येक वर्ष इसका गठन** किया जाता है। **इस समिति के कार्यों में शामिल हैं-**
    - भारत सरकार के खर्च के लिए संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के व्यय को दर्शाने वाले खातों (या विनियोग लेखाओं),
    - भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं
    - और संसद के सामने रखे गये ऐसे अन्य खातों, जिन्हें समिति ठीक समझे, की जांच करना। साथ ही, यह समिति आवश्यकतानुसार स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों के लेखाओं की भी जांच करती है।
        - यह समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों और सरकारी कंपनियों से संबंधित लेखाओं की जांच नहीं करती जिसकी जांच सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति करती है।

अन्य संबंधित तथ्य

विभागों से संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs) का पुनर्गठन किया जा रहा है।

DRSCs के बारे में

- संसद DRSCs का गठन करती है। ये **तीन महत्त्वपूर्ण कार्य** संपन्न करती हैं:
    - उन्हें **संदर्भित विधेयकों की जांच** करना;
    - **मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन** करना और
    - **सरकार द्वारा कार्यान्वयन की संवीक्षा** करना तथा **विभागों के बजटीय परिव्यय की जांच** करना।

- 24 DRSCs में से **8 राज्य सभा के तहत और 16 लोक सभा के अंतर्गत** कार्य करती हैं।
- नियम 268 के तहत गठित **प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य** होते हैं। **उनमें से 10 सदस्य राज्यसभा से और 21 सदस्य लोक सभा से होते हैं।**
    - इन सदस्यों को क्रमशः लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाएगा।
- कोई मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है।
- समिति के सदस्य **अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण** करेंगे।

क्या आपको याद है?

संसदीय समितियां **अनुच्छेद 105** और **अनुच्छेद 118** से अपना प्राधिकार प्राप्त करती हैं।
- **अनुच्छेद 105** संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 118** संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है।

संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां।

स्थायी समितियां निरंतर यानी स्थायी प्रकृति की होती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय समितियां (3), विभागीय स्थायी समितियां (24) और अन्य स्थायी समितियां।

तदर्थ/चयन समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं और सौंपे गए कार्य के पूर्ण होने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तदर्थ समितियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् जांच समिति और सलाहकार समिति।

वर्ष 1993 में लोक सभा की **नियम समिति की सिफारिश पर संसद में 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां (DRSCs) स्थापित की गई थीं।** वर्ष 2004 में, ऐसी सात और समितियां स्थापित की गई थीं। इससे इनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई है।

2.4. विधान परिषद (Legislative Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

विधान परिषद के बारे में

- **विधान परिषद,** राज्य सभा की भांति ही राज्य विधायिका में **उच्च सदन** होता है तथा यह एक **स्थायी सदन** है।
- विधान परिषद के सदस्य या तो **राज्य के राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट** होते हैं या **अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** होते हैं।
- विधान परिषद के सदस्यों का **कार्यकाल छह वर्ष** का होता है तथा सदन के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष उपरांत सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- **पात्रता मानदंड:** भारतीय नागरिक जो कम से कम 30 वर्ष का हो। एक व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।
- **संविधान के अनुच्छेद 169** के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उत्सादन कर सकती है। हालांकि इस हेतु विशेष बहुमत (विधान सभा के दो-तिहाई सदस्यों) से उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है।

© Vision IAS

- साथ ही, **अनुच्छेद 171** के तहत **विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं** होगी, परन्तु किसी भी दशा में **40 से कम नहीं** होगी। (किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम न हो)।
- परिषद की स्थापना के बाद, **पश्चिम बंगाल** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद) **विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली वाला 7वां भारतीय राज्य बन** जाएगा।

विधान परिषद की संरचना

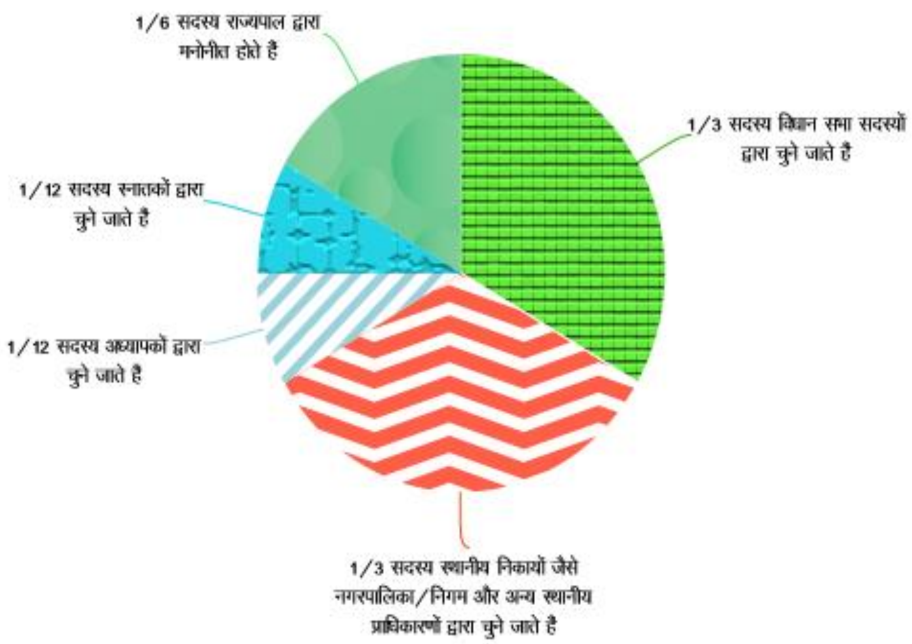

विधान परिषद और विधान सभा के बीच अंतर

तुलना का आधार	विधान परिषद	विधान सभा
अर्थ	यह राज्य विधान–मंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं।	यह राज्य विधान–मंडल का निम्न सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
पीठासीन अधिकारी	सभापति	स्पीकर/अध्यक्ष
सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु	30 वर्ष	25 वर्ष
सदस्य संख्या	विधान सभा के कुल सदस्यों का अधिकतम एक तिहाई और न्यूनतम 40	अधिकतम 500 और न्यूनतम 60
धन विधेयक	यह इसे पेश / संशोधित / अस्वीकार नहीं कर सकता	यह इसे पेश / संशोधित / अस्वीकार कर सकता है
बजट	यह बजट पर चर्चा कर सकता है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता।	अनुदान मांगों पर मतदान करना विधान सभा का विशेष विशेषाधिकार है।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव	यह भाग नहीं ले सकता	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं

अन्य संबंधित तथ्य:

मद्रास विधान परिषद (Madras Legislative Council: MLC) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

- मद्रास विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। यह **वर्ष 1947 के उपरांत तक तत्कालीन मद्रास राज्य की विधान सभा के रूप में और उसके पश्चात वर्ष 1969 से तमिलनाडु की विधान सभा के रूप में कार्य** करती रही है।
- इसकी स्थापना **भारत सरकार अधिनियम, 1919** के तहत की गई थी।
- MLC ने **अब तक कई ऐतिहासिक कानून पारित किए हैं,** जैसे-
  - **वर्ष 1921 में महिलाओं को मतदान** का अधिकार प्रदान करना।
  - **मुथुलक्ष्मी रेड्डी** परिषद की प्रथम महिला सदस्य थीं।
  - **हिन्दू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट (वर्ष 1926)** पारित करना।
  - **देवदासी प्रथा का अंत** करना।
  - निर्धनों के आवास हेतु **निःशुल्क पट्टे** जारी करना।

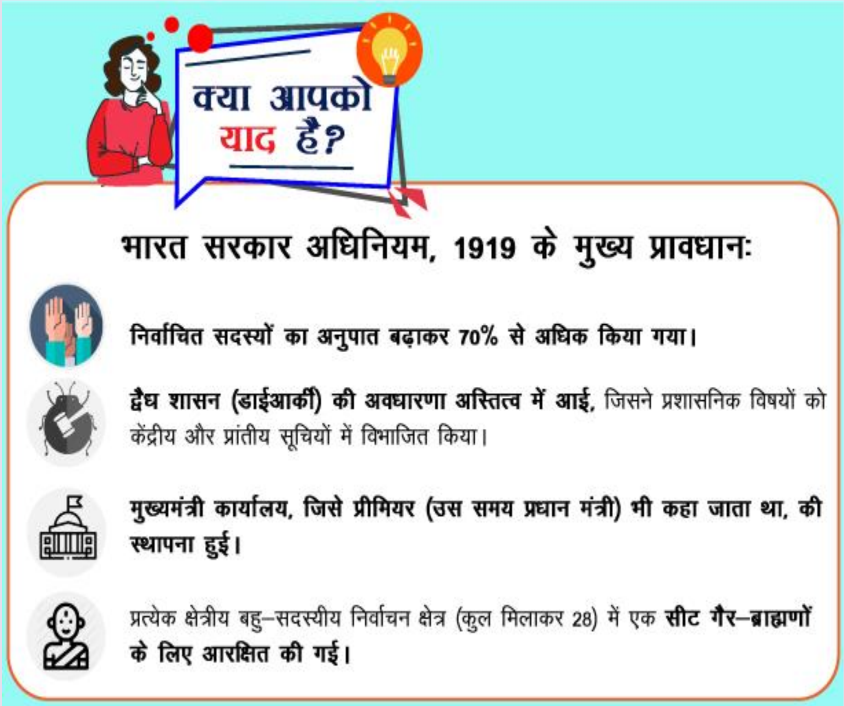

2.5. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

लाभ का पद (Office of Profit)	उच्चतम न्यायालय ने माना कि **मणिपुर** में कथित रूप से लाभ का पद (OoP) धारण करने वाले 12 विधायकों की अयोग्यता पर राज्यपाल चुनाव आयोग (EC) की राय पर विलंब नहीं कर सकता है।
	• लाभ के पद को **संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) में परिभाषित नहीं किया गया है।** किंतु विभिन्न न्यायालयों ने इसकी व्याख्या कुछ कर्तव्यों के साथ एक विशिष्ट पद के रूप में की है, जो **लगभग सार्वजनिक प्रकृति के हैं।**
	  ○ सार यह है कि **विधायकों को वर्तमान सरकार के प्रति किसी भी उत्तरदायित्व के बिना स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाती है।**
	  ○ **इसके अतिरिक्त, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959** में ऐसे कई पद सूचीबद्ध हैं, जिन्हें **निरर्हता** से छूट प्रदान की गई है।
	• **संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) में,** एक सांसद या विधायक को केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई भी लाभ का पद धारण करने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है।
	  ○ इसके अतिरिक्त **RPA, 1951 के अंतर्गत,** लाभ का पद धारण करना **निरर्हता का आधार है।**
	उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक मामले
	• **वर्ष 1964 में,** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति लाभ के पद का धारक है या नहीं का परीक्षण, **नियुक्ति का ही परीक्षण** है।
	• **प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वपन रॉय (2001):** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए **चार व्यापक सिद्धांतों** को रेखांकित किया कि क्या कोई पद संवैधानिक अयोग्यता को आकर्षित करता है अथवा नहीं।
	  ○ क्या सरकार पद धारक की नियुक्ति, उसे हटाने, उसके प्रदर्शन और पद के कार्यों

© Vision IAS

	पर नियंत्रण रखती है? ○ क्या पद से कोई पारिश्रमिक जुड़ा हुआ है? ○ क्या जिस निकाय में पद है, उसके पास सरकारी शक्तियां हैं? (जैसे- धन जारी करना, भूमि का आवंटन, लाइसेंस देना आदि)। ○ क्या पद, धारक को संरक्षण के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है? • **जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद (2006):** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए कि कोई लाभ का पद धारण कर रहा है या नहीं, प्रासंगिक यह है कि क्या पद धन लाभ या आर्थिक लाभ देने में सक्षम है या नहीं औरक्या व्यक्ति ने वास्तव में कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त किया था?
सांसदों का निलंबन	**राज्य सभा के 12 सांसदों को संपूर्ण सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है** • यह निर्णय **राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम 256 के तहत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने** के बाद लिया गया है। यह नियम संसद से किसी सदस्य को निलंबित करने का प्रावधान करता है। ○ वर्ष 1962 से 26 सदस्यों (कुछ को कई बार) को निलंबित करने के लिए अतीत में 13 बार इस नियम का उपयोग किया जा चुका है। • **नियम 256 के अनुसार,** यदि सभापति आवश्यक समझे तो **वह उस सदस्य को निलंबित कर सकता है, जो सभापति के प्राधिकार की उपेक्षा करता है** या जो बार-बार और जानबूझकर राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा डालकर राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करता है। ○ **इस प्रकार नामित सदस्य** को शेष सत्र से अनधिक अवधि के लिए **निलंबित** किया जा सकता है। ○ राज्य सभा, किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर इस तरह के निलंबन को समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकती है।
मंत्रिपरिषद का विस्तार	**केंद्र सरकार** ने नए मंत्रियों को शामिल करके और कनिष्ठ मंत्रियों की पदोन्नति कर अपनी **मंत्रिपरिषद का विस्तार** 77 मंत्रियों तक कर दिया है। • **संविधान के 91वें संशोधन ने अनुच्छेद 75(1A)** को समाविष्ट किया गया है। इसमें उपबंध किया गया है **कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की क्षमता लोक सभा में सांसदों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है।** • मंत्रिपरिषद एक **संवैधानिक निकाय है;** हालांकि संविधान में इसके आकार और वर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। ○ **त्रिस्तरीय निकाय में वर्गीकरण** (कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री) ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है।
राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया {Rajya Sabha passes Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021}	• विधेयक **अरुणाचल प्रदेश राज्य** से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करने पर केंद्रित है जैसे: ○ 'अबोर' जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया गया है। ○ 'मिश्मी, इदु और तारोन' के स्थान पर **'मिश्मी-कमान (मिजु मिश्मी), 'इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारू मिश्मी)'** को शामिल किया गया है। ○ 'मोम्बा' के स्थान पर **'मोन्पा, मेम्बा, सारताङ और सजोलाङ (मिजी)'** जनजातियों को शामिल किया गया है आदि। • संविधान **राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (STs) को निर्दिष्ट करने** का अधिकार प्रदान करता है।

	○ इसके अतिरिक्त, **यह संसद** को अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की इस **सूची को संशोधित करने की अनुमति** देता है।
कानून निरस्त करने की प्रक्रिया	**हाल ही में, सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है।** • एक कानून को निरस्त कर दिया जाता है, जब **संसद** (संविधान के अनुच्छेद 245 से शक्ति प्राप्त करते हुए) **यह मानती है, कि अब कानून के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।** ○ आमतौर पर, इस उद्देश्य के लिए **निरसन और संशोधन शीर्षक** से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे अन्य विधेयकों की तरह ही प्रक्रिया से पारित किया जाता है। ○ **इस शक्ति का उपयोग पिछली बार वर्ष 2019** में किया गया था, जब संसद ने 58 अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया था। • **सूर्यास्त खंड:** कानून में एक **"सूर्यास्त" खंड** (सनसेट क्लॉज) **भी हो सकता** है। यह एक विशेष तिथि होती है, जिसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ○ उदाहरण के लिए, आतंकवाद रोधी कानून "आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1987", जिसे आमतौर पर टाडा के रूप में जाना जाता है, में एक सूर्यास्त खंड था। इस खंड के कारण ही यह वर्ष 1995 में स्वतः निरस्त हो गया था।

3. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

3.1. अंतर्राज्यिक जल विवाद (Interstate River Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने **वर्ष 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम**[2] के अंतर्गत **गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड**[3] और **कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड**[4] के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है।

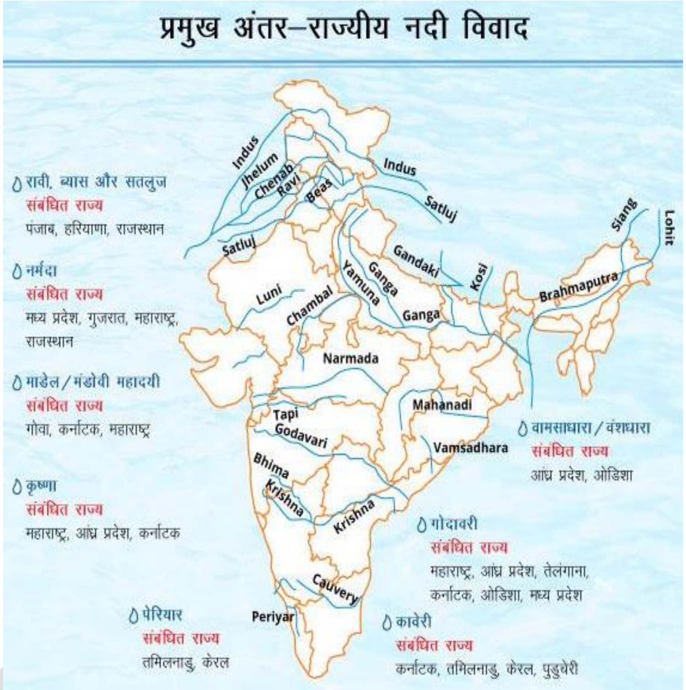

अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची के अंतर्गत:**
  - **राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 17 जल,** अर्थात् जल आपूर्ति (वाटर सप्लाई), सिंचाई, नहर, जल निकास, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित है।
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56,** केंद्र सरकार को अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास की शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति की सीमा वहीं तक है, जहां तक संसद द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया गया हो।
- **अनुच्छेद 262** में **अंतर्राज्यिक नदियों** या नदी घाटियों के **जल से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन** के लिए प्रावधान किया गया है।
  - इसके अंतर्गत संसद, विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में **न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।**
- **संसद ने दो कानूनों को अधिनियमित किया है:**
  - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए **नदी बोर्डों की स्थापना** का प्रावधान करता है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  - **अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को अंतर्राज्यिक नदी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए **अधिकरण की स्थापना**

जल विवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और नियम

- **तटवर्ती अधिकारों का सिद्धांत (Doctrine of Riparian Rights):** यह नदी तटवर्ती भूमि के सभी भू–स्वामियों द्वारा जल के प्रयोग के समान अधिकारों की मान्यता पर बल देता है। ये अधिकार तब तक मान्य होंगे, जब तक इसके परिणामस्वरूप अन्य तटवर्ती भू–स्वामियों के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न हो।
- **पूर्णतया राज्यक्षेत्रीय संप्रभुता का सिद्धांत या हार्मन का सिद्धांत:** इस सिद्धांत के अधीन, कोई भी तटवर्ती राज्य अपने राज्यक्षेत्रीय जल का प्रयोग अपने अनुसार कर सकता है, बिना यह ध्यान दिए कि अन्य सह–तटवर्ती राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।
- **पूर्व विनियोग सिद्धांत:** इसके अनुसार, पहला उपयोगकर्ता जो जल का लाभप्रद तरीके से उपयोग करेगा, उसका प्राथमिक अधिकारी होगा। इस प्रकार अन्य अनुवर्ती उपयोगकर्ता, पहले उपयोगकर्ता द्वारा शेष जल का ही उपयोग कर सकते हैं।
- **कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत:** इसके अनुसार, विभिन्न राज्यों से होकर बहने वाली नदी एक ही इकाई है और उसका प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जल का इष्टतम उपयोग हो सके।
- **न्यायसंगत बंटवारे का सिद्धांत:** इसमें कहा गया है कि अंतर–राज्यीय जल विवादों का अधिकारों की समानता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। समान अधिकारों के निर्धारण में राज्यों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएँ, जल का लाभकारी उपयोग आदि शामिल हैं।
  - इस सिद्धांत का भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, सिंधु आयोग, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों में।
- **अंतर्राज्यीय जल के न्यायसंगत उपयोग का सिद्धांत:** इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बेसिन राज्य नदी बेसिन के जल के लाभकारी उपयोग में उचित और समान हिस्सेदारी का हकदार होना चाहिए। वर्ष 1966 के हेलसिंकी नियम इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।
- **कैंपियोने नियम:** इसमें उचित व न्यायसंगत हिस्से का निर्धारण करते समय एक जलभृत (अर्थात, भूमिगत जल या जीवाश्म जल) के जल को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
- **बर्लिन नियम, 2004:** इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि परिषद द्वारा अपनाया गया है। इन नियमों के अनुसार, बेसिन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय अपवाह बेसिन के जल का प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें इस दायित्व का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे अन्य बेसिन राज्य को अधिक हानि न हो।

---

[2] Andhra Pradesh Reorganization Act: APRA

[3] Godavari River Management Board: GRMB

[4] Krishna River Management Board: KRMB

करने का अधिकार प्रदान करता है। **अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।**

- **जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है।**
- हाल ही में, **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक विवाद समाधान समिति और विवाद निपटान के लिए एक स्थायी अधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार अधिनियम के तहत विवाद निपटान तंत्र को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

3.2. भारत में अंतरराज्यीय सीमा विवाद (Interstate Border Disputes in India)

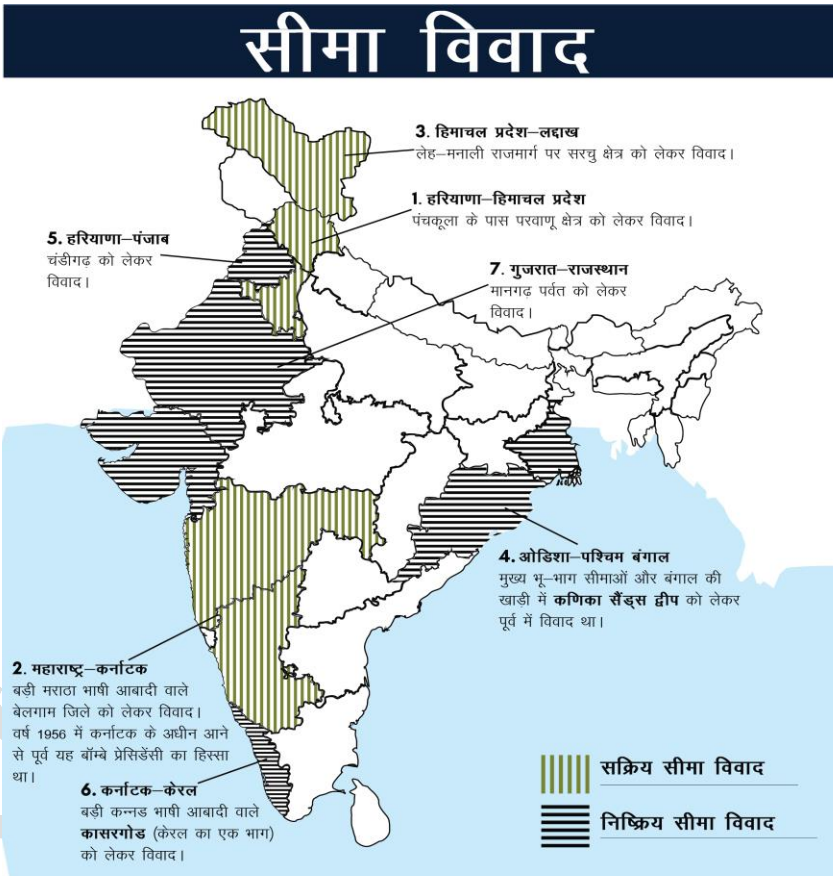

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम और मेघालय सरकार ने कम से कम **छह क्षेत्रों** में काफी समय से लंबित **अंतर-राज्यीय सीमा विवादों** को निपटाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मेघालय का गठन असम को विभाजित करके किया गया था। इसे **वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।**
- दोनों राज्यों के बीच विस्तारित **884 कि.मी.** से अधिक सीमा क्षेत्र पर **12** विवादित क्षेत्र/बिंदु विद्यमान हैं। इनमें मुख्यत: कामरूप, **कामरूप महानगर और हैलाकांडी** जिलों में लैंगपीह, बोको आदि क्षेत्र शामिल हैं।
- इस विवाद की उत्पत्ति मेघालय सरकार द्वारा **वर्ष 1969 के असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम** को अस्वीकार किए जाने से हुई है।
- हालिया निर्णय दोनों राज्यों द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु **विशेष क्षेत्रीय समितियों** के गठन के पश्चात् लिया गया है।

भारतीय प्रशासनिक प्रभाग और इसके अंतरराज्यीय सीमा विवाद

- विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक, वर्तमान भारतीय संघ का गठन **550 से अधिक रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों** का विलय कर के किया गया था।
- **वर्ष 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग**[5] ने भारतीय क्षेत्र को भाषाई एवं अन्य आधारों पर **14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (UTs)** में विभाजित किया था।
- वर्तमान में, परवर्ती पुनर्गठन के माध्यम से, भारत में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या **28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र** हो गई है। यह विभाजन कुछ सीमाओं को खंडित किए बिना नहीं हो सकता है

3.3. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह ने जलवायु परिवर्तन और महामारी की मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर संविधान की **सातवीं अनुसूची** की गहन समीक्षा की बात कही है।

---

[5] State Reorganisation Commission: SRC

© Vision IAS

सातवीं अनुसूची के बारे में

- अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडलों को विधायी शक्तियां प्रदान करता है।
- सामान्यतः, **राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रविष्टियां संघ को आवंटित की गई हैं और स्थानीय महत्व की प्रविष्टियों को राज्यों को आवंटित किया गया है।**
- सरकारिया आयोग के अनुसार, **समवर्ती सूची के विषय न तो केवल राष्ट्रीय सरोकार के हैं और न ही केवल स्थानीय सरोकार के हैं,** इसलिए इन्हें संवैधानिक 'ग्रे' क्षेत्र में शामिल किया गया है।

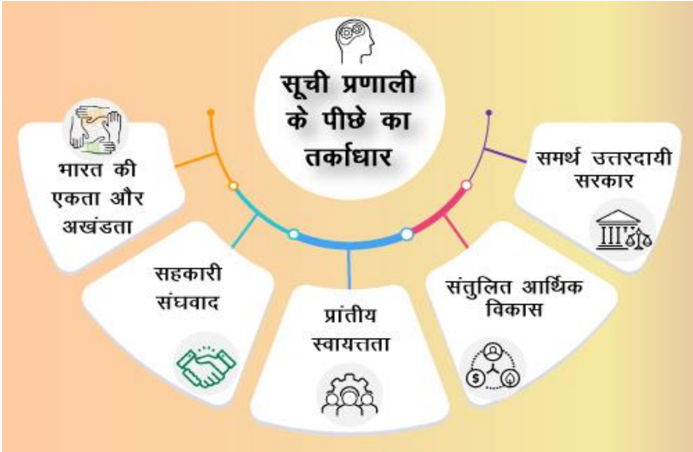

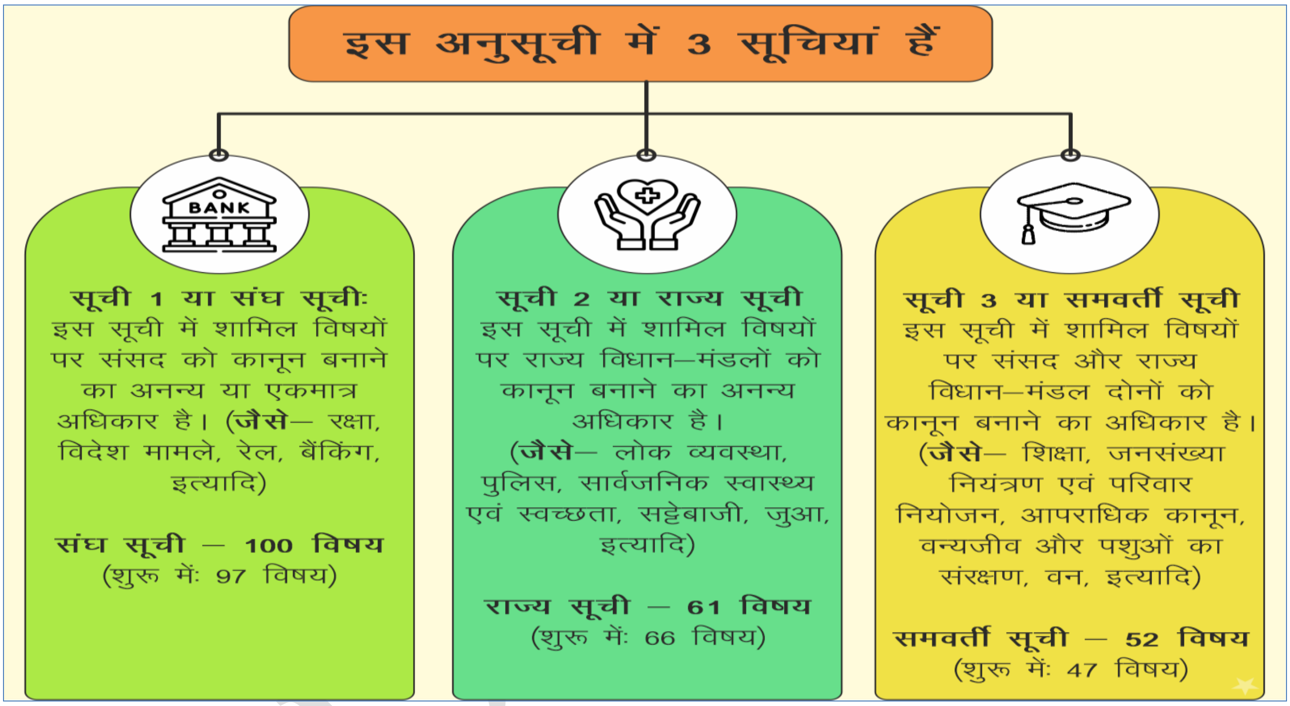

3.4. राज्य सरकार की ऋण लेने संबंधी शक्ति (Borrowing Powers of State Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत वर्ष, केंद्र सरकार ने **राज्यों के लिए ऋण लेने की सीमा GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी थी।**

अन्य संबंधित तथ्य

- उक्त 5% की वृद्धि में से **1% निम्नलिखित चार सुधार उपायों में प्रगति प्रदर्शित करने से संबंधित थी:**
  - **एक देश एक राशन कार्ड;**
  - **व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business);**
  - **विद्युत वितरण;**
  - **शहरी स्थानीय निकाय राजस्व।**

क्या आपको याद है?

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) को वर्ष 2003 में लागू** किया गया था। यह सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है।
- यह अधिनियम निश्चित शर्तों के तहत वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से विचलन की भी सुविधा प्रदान करता है।
- वर्ष 2021–22 में राजकोषीय घाटे को **GDP के 6.8% पर लक्षित** किया गया था। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को धीरे–धीरे कम करके **GDP के 4.5% तक लाना है।**

- यह नीति **राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अंगीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करती है।**
- कुल मिलाकर, 23 राज्यों ने 2.14 लाख करोड़ रुपये की सीमा में से 1.06 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण का लाभ उठाया है।

केंद्र और राज्यों की ऋण लेने संबंधी शक्ति

आधार	केंद्र	राज्य
संवैधानिक प्रावधान	**संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत,** केंद्र सरकार के पास संसद द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन ऋण लेने की अप्रतिबंधित शक्ति है।	**अनुच्छेद 293** के तहत यह शक्ति राज्य विधान–मंडल के अधिनियम द्वारा सीमित है।
क्षेत्रीय प्रतिबंध	कोई प्रतिबंध नहीं। घरेलू और विदेश स्रोतों से ऋण ले सकते हैं।	केवल घरेलू स्तर पर ऋण जुटा सकते हैं।
अन्य प्रतिबंध	N/A	➤ राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार ले सकते हैं। ➤ **अनुच्छेद 293** के तहत, कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना उधार नहीं ले सकता, यदि उसका कोई ऋण बकाया है, जो भारत सरकार को चुकाया जाना है।

3.5. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा	**विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय।**
	• राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच हस्ताक्षरित और संवितरित की गईं सहायता प्राप्त परियोजनाओं[6] हेतु लिए गए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ये विशेष सहायता उपाय प्रदान किए जाएंगे।
	• विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित किया गया था। यह उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा प्रदत्त एक वर्गीकरण है, जो **पहाड़ी क्षेत्रों, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन तथा गैर-व्यवहार्य राज्य वित्त जैसी भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक हानि का सामना करते हैं।**
	  ○ चौदहवें वित्त आयोग ने **विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को केवल उत्तर-पूर्वी और तीन पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रखा था।**
	• विशेष श्रेणी राज्य श्रेणी के तहत, **केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं** और बाहरी सहायता पर **राज्य व्यय के 90% हिस्से का भुगतान करती है,** जबकि शेष 10% ब्याज की शून्य प्रतिशत दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है।
	  ○ **जो धन खर्च नहीं हो पाता, वह लैप्स (व्यपगत) नहीं होता है** और उसे अगले वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है।
	  ○ विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों में छूट प्रदान की गई है।

इनर लाइन परमिट (ILP)	लद्दाख प्रशासन ने अपने **संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले** सभी भारतीय नागरिकों के लिए **ILP प्रणाली** को समाप्त कर दिया है। यह कदम **ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत की संप्रभुता को रेखांकित करने** के लिए उठाया गया है। • हालांकि, इन संरक्षित क्षेत्रों में जाने के इच्छुक विदेशियों को अब भी एक संरक्षित क्षेत्र परमिट (Protected Area Permit) की आवश्यकता होगी। इसकी वैधता अब 7 दिनों से बढ़ाकर 15 दिन कर दी गई है। • **ILP के बारे में**

[6] Externally Aided Projects: EAP

© Vision IAS

	○ इनर लाइन परमिट किसी राज्य द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज (Official Travel Document) होता है। इस प्रकार का परमिट भारतीय नागरिकों को देश के अंदर के किसी संरक्षित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है। 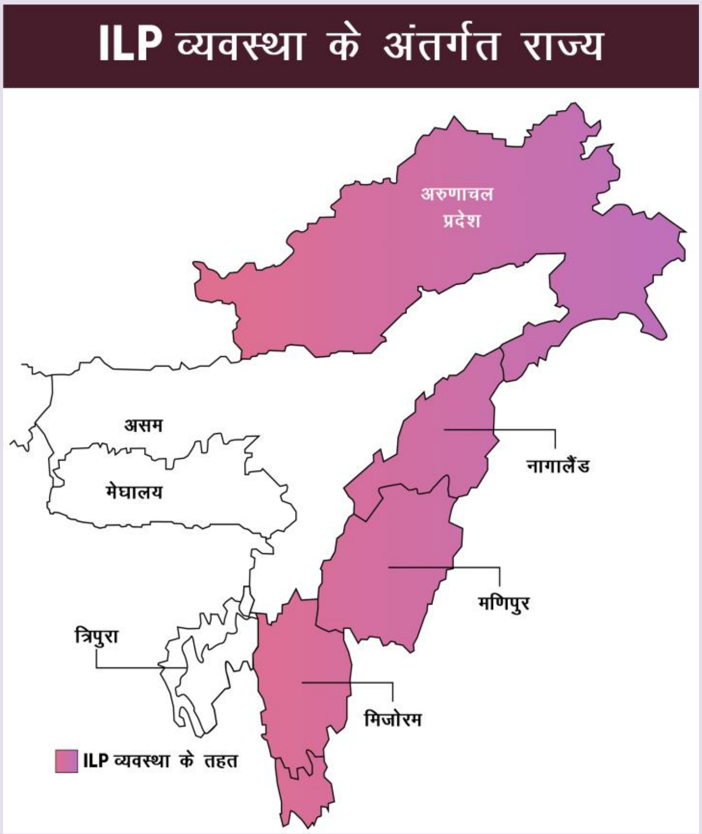 ○ यह प्रणाली वर्तमान में **चार उत्तर पूर्वी राज्यों यथा- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम** में लागू है। ○ इसका उपयोग भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र के **देशज समुदायों की रक्षा** के लिए तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कुछ क्षेत्रों में **आवाजाही को विनियमित व निगरानी के अधीन करने** के लिए किया जाता है। ○ इस अवधारणा की शुरुआत **बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम (Bengal Eastern Frontier Regulation Act), 1873** से हुई है। इसके तहत अंग्रेजों ने निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने और बाहरी लोगों के ठहरने को नियंत्रित करने संबंधी नियम निर्मित किए थे। ▪ इस अधिनियम का उद्देश्य "ब्रिटिश प्रजा" (British Subjects) (भारतीयों) को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर क्राउन के अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना था।
नए जिलों का गठन (Formation of New Districts)	हाल ही में **पंजाब सरकार ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला** घोषित किया है। • **नए जिलों का गठन** ○ **नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों में परिवर्तन या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास** है। यह कार्य संपादन या तो कार्यकारी आदेश या राज्य विधानसभा के माध्यम से किया जाता है। **क्या आपको याद है?** **नए राज्यों का गठन:** भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाने या एक राज्य को दूसरे में विलय करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया को **राज्यों का पुनर्गठन** कहा जाता है। • पुनर्गठन का आधार भाषाई, धार्मिक, नृजातीय या प्रशासनिक हो सकता है। • नए राज्य भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 2, 3 और 4** के प्रावधानों के तहत गठित किये जाते हैं। • इस संबंध में, राष्ट्रपति का संदर्भ (Presidential Reference) राज्य विधान सभा को भेजा जाता है, लेकिन **संसद राज्य विधायिका के विचारों को स्वीकार करने या उन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है।** • ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में केवल आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। ○ हालांकि, **जब कोई राज्य किसी जिले**

	या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का इच्छुक होता है, तो उसे कई अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग आदि से **अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता** होती है।
छठी अनुसूची (Sixth Schedule)	हाल ही में लद्दाख के सांसद द्वारा, **लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग की गयी है।** • **छठी अनुसूची** में अनुच्छेद 244(2) के तहत **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम** राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। • यह **उच्च स्वायत्तता वाले स्वायत्त जिलों और परिषदों के गठन की अनुमति देता है,** ताकि स्थानीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकें।

पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति {Appointment of Director General of Police (DGP)}	उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा **पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भागीदारी के बिना स्वयं ही उसकी नियुक्ति करने** की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना अस्वीकृत कर दिया है।
	
	• **'पुलिस' राज्य सूची का विषय है।**
	• इससे पूर्व, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार **(वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह वाद का निर्णय, जिसमें वर्ष 2018 में संशोधन किया गया)** पर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह आदेश दिया था कि **राज्यों को DGP पद के उम्मीदवारों के नाम UPSC को प्रेषित करना आवश्यक** है। UPSC द्वारा **वरिष्ठता, अनुभव, सेवा रिकॉर्ड और अन्य मानदंडों के आधार पर योग्य नामों में से तीन उम्मीदवारों का चयन** किया जाता है।
	  ○ इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा शीर्ष तीन उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन किया जाता है, किंतु नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम छह माह की सेवा-अवधि शेष होनी चाहिए।
	• **प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद**
	  ○ न्यायालय ने पुलिस प्रणाली में गहराई तक स्थापित हो चुकी समस्याओं यथा- पुलिस का राजनीतिकरण, जवाबदेही तंत्र का अभाव और प्रणालीगत कमजोरियों का निराकरण करने के उद्देश्य से **सात निर्देश (इन्फोग्राफिक देखें)** जारी किए हैं। यह सर्वविदित है कि इन उल्लिखित समस्याओं के परिणामस्वरूप पुलिस के प्रदर्शन में गिरावट आई है एवं आम नागरिकों के बीच पुलिस व्यवस्था के प्रति असंतोष व्याप्त है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (Section 51 of the Disaster Management Act, 2005)	पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव को **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51** के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा **कारण बताओ नोटिस** जारी किया गया। • यह धारा, अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने से इनकार करने के संदर्भ में **"बाधा के लिए दंड"** निर्धारित करती है। • यह आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर **दो वर्ष के कारावास** का प्रावधान करती है।
जिला स्तरीय समितियां (District-Level Committees: DLCs)	**विद्युत मंत्रालय** (MoP) द्वारा **जिला स्तरीय समितियां** (District-Level Committees: DLCs) गठित की जाएंगी, जो केंद्र सरकार की **सभी विद्युत संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण करेंगी।** • ध्यातव्य है कि समिति में **जिले के वरिष्ठ सांसद अध्यक्ष के रूप में**, जिले के अन्य सांसद **सह-अध्यक्ष** के रूप में तथा जिला कलेक्टर सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित होंगे।

	• इसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को सूचित करते हुए **जिला विद्युत समितियों की स्थापना को अधिसूचित और सुनिश्चित करना है।**
	• यह देश में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में **लोगों की भागीदारी एवं निगरानी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।**
	• **विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलें**
	  ○ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY),
	  ○ एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme: IPDS),
	  ○ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA/सौभाग्य) आदि।
	• हाल ही में, मंत्रिमंडल ने ₹3.03 ट्रिलियन की **'पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना' (Revamped Distribution Sector Scheme)** को स्वीकृति प्रदान की है, जो एक सुधार-आधारित और परिणाम संबद्ध योजना है।
	  ○ इसका उद्देश्य **निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों** (डिस्कॉम्स/DISCOMs) **को छोड़कर** सभी डिस्कॉम्स/विद्युत विभागों की **परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।** डिस्कॉम्स को परिणाम संबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

4. न्यायपालिका (Judiciary)

4.1. विधि का शासन (Rule of Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विधि के शासन पर एक व्याख्यान दिया तथा उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि, **"विधि का शासन और कुछ नहीं बल्कि मनुष्यों की सभ्यता का इतिहास है।"**

विधि का शासन क्या है?

- **ए. वी. डायसी के अनुसार,** विधि के शासन का आशय **स्वैच्छाचारी शक्ति के प्रभाव के विपरीत नियमित विधि की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रभुत्व** से है। इसमें स्वैच्छाचारी या व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के अस्तित्व का अभाव होता है।
- जिस देश में **न्याय और समानता के आदर्शों को आत्मसात करने वाली विधियों का शासन है,** उसे 'विधि के शासन' द्वारा शासित देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। प्रो. डायसी के अनुसार, **विधि के शासन में तीन सिद्धांत शामिल हैं:**
- **'विधि के शासन' सिद्धांत** की उत्पत्ति प्राचीन रोम में प्रथम गणतंत्र के गठन के दौरान हुई थी। तब से इसे यूरोप में कई मध्ययुगीन विचारकों, जैसे- **हॉब्स, जॉन लॉक** और **रूसो** द्वारा प्रचारित किया गया।
- भारतीय दार्शनिकों जैसे कि **चाणक्य** ने विधि के शासन का समर्थन यह वर्णित करते हुए किया कि राज्य का शासन, शासक या लोगों के मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बल्कि विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। **'विधि का शासन'** फ्रांसीसी वाक्यांश **'ला प्रिंसिपल डा लीगलाइट'** से ग्रहण किया गया है। इसका आशय **'विधि के सिद्धांतों' या 'वैधता के सिद्धांतों' पर आधारित सरकार से है।**

विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन (Rule of Law Vs Rule by Law)

- संक्षेप में, **'विधि के शासन'** का तात्पर्य **राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करने से है,** जबकि **'विधि द्वारा शासन' राज्य के सर्वोच्च विधि निर्माता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है।**
- साधारणत: **विधि का शासन** तभी बनाए रखा जा सकता है जब विधि न्याय और समानता जैसे आदर्शों द्वारा निर्देशित होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार,** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- दूसरी ओर, **विधि द्वारा शासन** नैतिक के साथ-साथ अनैतिक विधियों को भी शामिल कर सकता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को अधिनियमित विधियों के आधार पर उचित ठहराया गया था।

विधि के शासन पर बल देने वाले प्रमुख सिद्धांत

- **विधि स्पष्ट और सुलभ होनी चाहिए:** विधियों को **सरल और स्पष्ट भाषा** में उपबंधित किए जाने की आवश्यकता है।

* **विधि के समक्ष समानता:** न्याय तक समान पहुंच विधि के शासन का आधार है।
* **विधियों के निर्माण और संशोधन में भाग लेने का अधिकार**
* **सुदृढ़ स्वतंत्र न्यायपालिका:** इसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि निर्मित विधियां संविधान के अनुरूप हों।

विधि का शासन और भारतीय संविधान

विधि का शासन भारतीय संविधान का एक मूलभूत स्तंभ है और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित है। इन्फोग्राफिक देखें-

4.2. न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी कानून अवमानना के लिए सजा देने की न्यायालय की शक्ति को छीन नहीं सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

* उच्चतम न्यायालय ने **अनुच्छेद 142 और 129** के बीच अंतर करते हुए कहा कि अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। इसे विधायी अधिनियम द्वारा भी न तो कम किया जा सकता है, न ही छीना जा सकता है।
    * अनुच्छेद 142(2) के तहत स्वयं की किसी भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, विधायी अधिनियम द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के प्रावधानों के अधीन है। हालाँकि जहां तक अनुच्छेद 129 का संबंध है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

यह क्या है?	**यह न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार का अनादर करने के अपराध को संदर्भित करता है।**	
संवैधानिक प्रावधान	**अनुच्छेद 261**	न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।
	अनुच्छेद 19 (2)	युक्तियुक्त प्रतिबंध।
	अनुच्छेद 129 और 215	न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति।
	अनुच्छेद 142 (2)	अवमानना के लिए दंडित करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति।
विधिक प्रावधान	**न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971**	○ यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता है। ○ न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानना की संज्ञा दी गई है। ○ दांडिक अवमानना की स्थितियां: ▸ न्यायालय को कलंकित करना। ▸ न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना ✓ 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना। ✓ कथित अवमानना की समाप्ति के एक वर्ष बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।
अपवाद	○ न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग। ○ न्याय की योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना। ○ केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी और कार्यवाही में हस्तक्षेप की प्रवृत्ति नहीं होना। ○ वर्ष 2006 में संशोधन – यदि ऐसा लोकहित में किया गया है जो सत्य के रूप में प्रस्तुत है।	

4.3. न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय (SC) कॉलेजियम द्वारा SC में नियुक्ति के लिए अनुशंसित सभी नौ नामों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें **तीन महिला न्यायाधीश** भी शामिल हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

- संविधान के **अनुच्छेद 124(2)** और **217** क्रमशः **उच्चतम न्यायालय** और **उच्च न्यायालयों** में न्यायाधीशों की नियुक्ति को शासित करते हैं।
- दोनों प्रावधानों के तहत, **राष्ट्रपति "उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझता है"** उनकी नियुक्तियां करने हेतु प्राधिकृत है।

न्यायपालिका में महिलाएं

- वर्ष 1950 से अब तक नियुक्त कुल 247 न्यायाधीशों में से केवल **आठ महिला न्यायाधीश** रही हैं। वर्ष 1980 में, **न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी** शीर्ष न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थीं।
- **न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी** 7 अगस्त, 2018 को पदोन्नत होने के बाद शीर्ष न्यायालय में एकमात्र सेवारत महिला न्यायाधीश हैं।

- वर्ष 1981, 1993 और 1998 के **तीन वाद** के पश्चात्, जिन्हें **तीन न्यायाधीशों के वाद** के रूप में जाना जाता है, **उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली विकसित की थी।**
- **कॉलेजियम प्रणाली:** यह एक ऐसी प्रणाली है, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के तीन सदस्य (उक्त उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के मामले में), उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में **नियुक्तियों तथा स्थानांतरण से** संबंधित निर्णय लेते हैं।
- एक बार जब उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम सिफारिशों का समर्थन कर देता है, तो केंद्र सरकार को कॉलेजियम का निर्णय प्राप्त होने के 3-4 सप्ताह के भीतर ऐसी नियुक्तियां करनी होती हैं।
- सरकार कॉलेजियम की सिफारिश वापस कर सकती है, लेकिन यदि सिफारिश पुन: भेजी जाती है, तो सरकार इसे मानने के लिए बाध्य होती है।

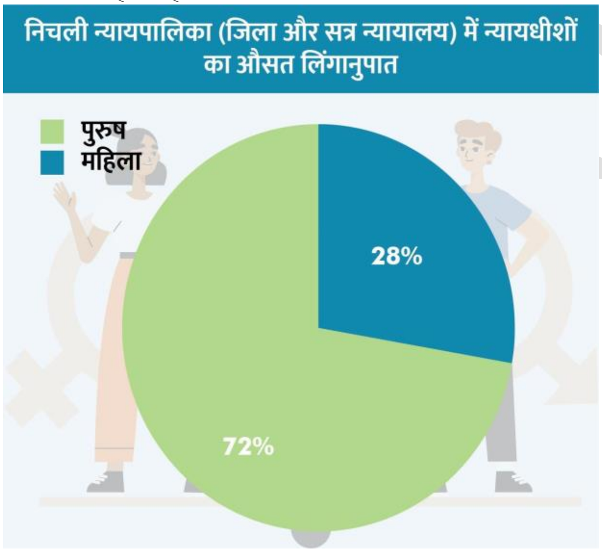

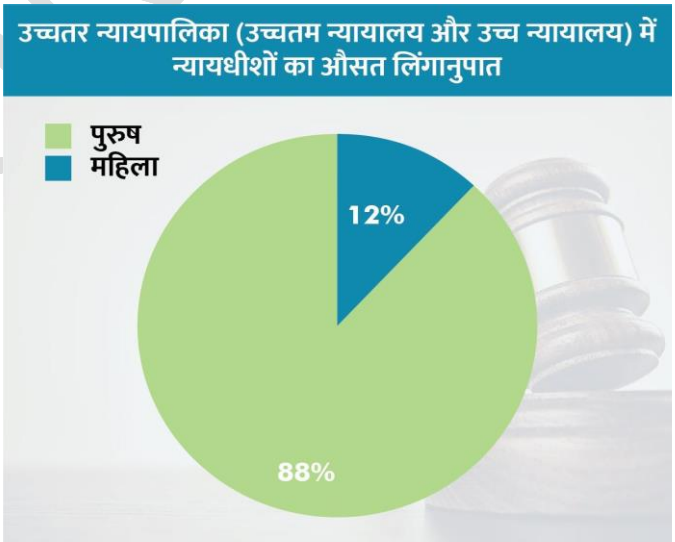

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 222 के तहत एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) के स्थानांतरण** के लिए प्रावधान किये गए हैं।
- एक न्यायाधीश के स्थानांतरण के प्रस्ताव की **पहल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा की जानी चाहिए,** जिसकी राय इस संबंध में निर्धारक होती है।
- किसी न्यायाधीश के **प्रथम या उसके बाद के स्थानांतरण के लिए** उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- संविधान **उन आधारों या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करता है,** जिनके द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

© Vision IAS

- न्यायाधीशों का **चयन करने, नियुक्त करने और स्थानांतरित करने की शक्ति तीन न्यायाधीशों के मामलों में** उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ली गई है। न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों **से निम्नलिखित बिंदु उभर कर आये हैं:**
  - न्यायाधीश का स्थानांतरण **दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता।**
  - **'न्याय के बेहतर प्रशासन'** के लिए **'जनहित'** पर ही स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।
  - **प्रभावी परामर्श के बाद CJI की सहमति के आधार** पर ही राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।

4.3.1. जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा {Appointment of Judges at District Level: All India Judicial Service {AIJS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार केंद्रीय सिविल सेवा की तर्ज पर निचली न्यायपालिका के लिए **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)** की स्थापना को नए सिरे से बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) क्या है?

- AIJS वस्तुतः **न्यायपालिका में सुधार हेतु** संचालित एक पहल है। इसके अंतर्गत **सभी राज्यों में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्रीकृत** किया जाएगा।
- **जिस प्रकार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया आयोजित** करता है और **कार्यपालिका को सफल उम्मीदवारों की सूची भेजता है,** ठीक उसी प्रकार AIJS के तहत भी निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों को केंद्रीय रूप से भर्ती करने और राज्यों को आवंटित करने का प्रस्ताव लाया गया है।

वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती पद्धति:

- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं,** और ये नियुक्तियां राज्य अधिकारिता अंतर्गत आती हैं।
- चयन प्रक्रिया **राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) और संबंधित उच्च न्यायालय** द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं।
- निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन **प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा** के माध्यम से किया जाता है। PCS (J) को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है।

- वर्तमान में, न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय और राज्य सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

AIJS की पृष्ठभूमि

- केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार **14वें विधि आयोग, 1958 की 'न्यायिक प्रशासन में सुधार पर रिपोर्ट'** में प्रस्तुत किया गया था।
- **वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 312(1) में संशोधन किया था।** इससे संसद को संघ एवं राज्यों, दोनों के लिए एक **संयुक्त एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन** के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था, **जिसमें AIJS भी शामिल है।**
  - संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य **चयन मानक में एकरूपता सुनिश्चित करना और न्यायपालिका में योग्य और युवा प्रतिभा को आकर्षित** करना है ताकि पूरे देश में प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष ट्रायल और त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके।
- **वर्ष 2006 में, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति** ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा** के विचार का समर्थन किया था।
- **AIJS पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण:**
  - वर्ष 1992 में, **ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को एक AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, AIJS के सृजन पर प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा भी विचार किया गया था और इसकी सिफारिश की गई थी। इसे **जस्टिस शेट्टी कमीशन** के नाम से भी जाना जाता है।
  - वर्ष 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था और **"केंद्रीय चयन तंत्र"** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

4.4. अधिकरण (Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले वर्ष लोक सभा में अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021 {Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Act} पेश किया गया था।

इस विधेयक के बारे में

- यह विधेयक अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- **विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह विधेयक कुछ **मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करके उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों को स्थानांतरित** करता है।
    - इनमें चलचित्र अधिनियम, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एकस्व (Patents) अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम (Trademark Act), माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम आदि शामिल हैं।

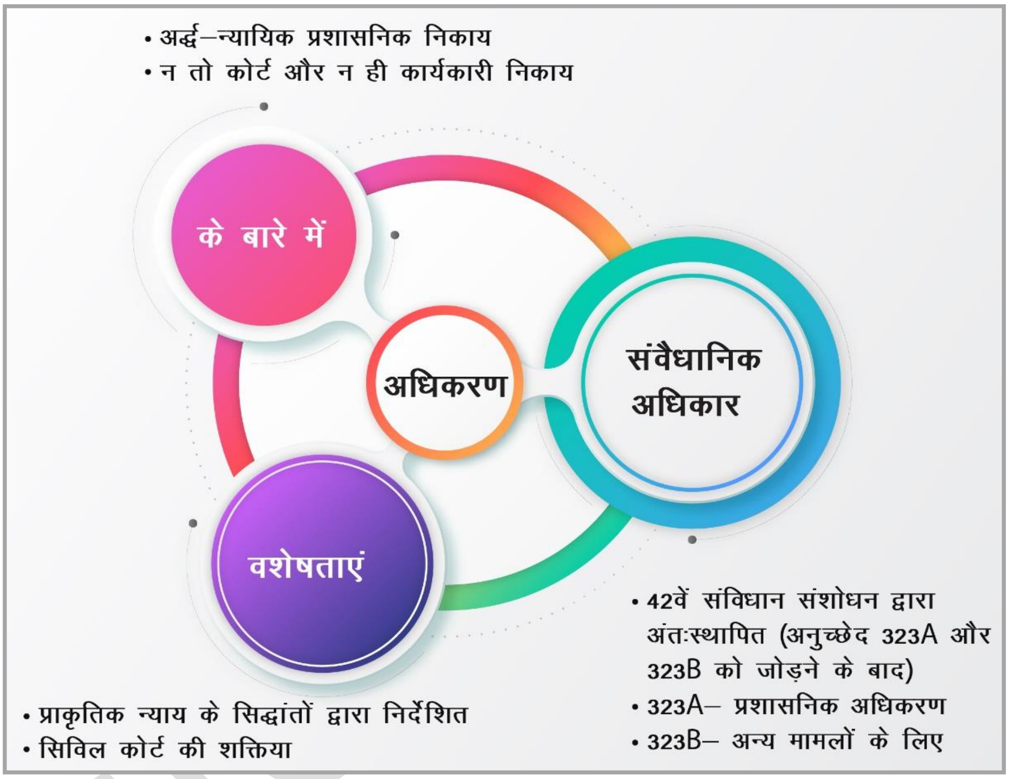

  - इस अधिनियम के अनुसार अधिकरण के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की पदावधि **चार वर्ष** की होगी। यह पदावधि **अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष** और **अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष** की ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी।
    - ज्ञातव्य है कि पूर्व में, उच्चतम न्यायालय द्वारा **वित्त अधिनियम 2017** की **धारा 184** को निरसित कर दिया गया था। न्यायालय के अनुसार इसमें सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14** के सिद्धांतों के विपरीत था।
  - यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए।

4.5. मध्यस्थता विधेयक, 2021 (Mediation Bill, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस विधेयक को हाल ही में राज्य सभा में पेश किया गया था। हालांकि, इसे अब स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।

मध्यस्थता विधेयक के बारे में

- प्रस्तुत विधेयक, **मध्यस्थता (विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता) को बढ़ावा देने** एवं उसे सुगम बनाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक या संबंधित अन्य किसी भी विवाद का समाधान करना और मध्यस्थता समझौते को लागू करना है।

© Vision IAS

- यह एक **प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया हेतु प्रतिबद्धता** प्रकट करता है, **जो देश में 'व्यवसाय करने में सुगमता' में सुधार कर सकती है।**

* वर्तमान में, **मध्यस्थता के वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है,** यद्यपि वे विभिन्न मौजूदा कानूनों में उल्लेखित किये गये हैं।
* **इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
    - भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना।
    - निवार्य मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता और समझौता।
    - ऑनलाइन मध्यस्थता को उचित मान्यता प्रदान करना।
    - सामुदायिक मध्यस्थता का प्रावधान करता है।
    - मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 180 दिनों की अवधि।
    - मध्यस्थता कोष की स्थापना करना।

वैकल्पिक विवाद समाधान

वैकल्पिक विवाद समाधान या ADR न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान करने के किसी भी माध्यम को संदर्भित करता है। ADR में आम तौर पर प्रारंभिक तटस्थ मूल्यांकन, वार्ता, सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम शामिल हैं।

माध्यस्थम

माध्यस्थम एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक मध्यस्थों द्वारा विवाद में शामिल पक्षों के मध्य समझौता करवाया जाता है। विवाद पर मध्यस्थों द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

सुलह

सुलह एक स्वैच्छिक, लचीली, गोपनीय और हित–आधारित प्रक्रिया है। इसके उपयोग से पक्ष सुलहकर्ता के रूप में ज्ञात तटस्थ तृतीय–पक्ष की सहायता से एक सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। एक बार जब वे तैयार हो जाते हैं, तब विवादित पक्ष, सुलहकर्ता से उन्हें एक गैर–बाध्यकारी निपटान प्रस्ताव प्रदान करने के लिए कहते हैं।

मध्यस्थता

मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक तटस्थ मध्यस्थ, पक्षों को उनके विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। समझौता तब एक लागू करने योग्य अनुबंध में दर्ज किया जाता है। सैद्धांतिक रूप में एक मध्यस्थ को किसी भी गैर–बाध्यकारी समाधान निर्णय से बचना होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का विज़न और मिशन वक्तव्य तथा विधिक सेवा ऐप जारी किया है।

* NALSA का **गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य **कमजोर वर्गों** को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालतों का आयोजन करना है।
    - सरकार द्वारा वर्ष 1976 में **42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A** को समाविष्ट किया गया था। यह अधिनियम **राज्य को उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित** करता है। इसके पश्चात, भारतीय संसद ने वर्ष 1987 में **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987** पारित किया था।

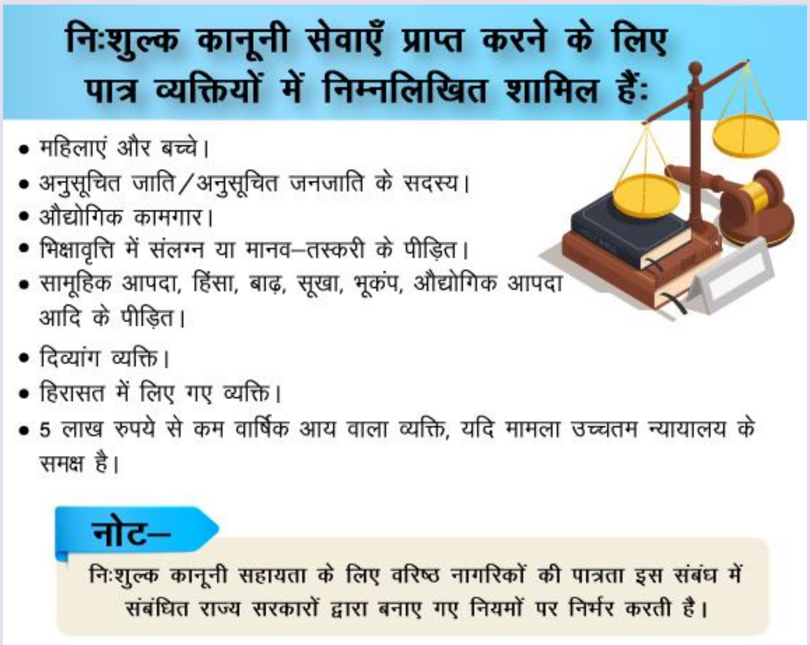

* **लोक अदालत के बारे में:**
    - यह **वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक** है। यह एक ऐसा मंच है, जहां **विधिक न्यायालय में या मुकदमे से पूर्व स्तर पर लंबित विवादों/मामलों** को परस्पर सहमति से निपटाया जाता है।
    - **लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 {Legal Services Authorities (LSA) Act, 1987} के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।**
    - LSA के तहत, लोक अदालतों द्वारा **दिए गए निर्णय को एक सिविल न्यायालय का निर्णयादेश माना जाता है। यह निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता** है। इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है।
    - जब लोक अदालत में मामला दायर किया जाता है, तो कोई **न्यायालयी शुल्क देय नहीं** होता है।
    - हाल ही के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया है कि **लोक अदालतों को गुण-दोष के आधार पर किसी मामले का निर्णय देने का**

कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। एक बार समझौता या समाधान विफल हो जाने पर, लोक अदालत को उक्त वाद को उस न्यायालय को पुनः प्रेषित करना होगा, जहां से उसका संदर्भ प्राप्त हुआ है।

- **यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, जिसे "सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन" के रूप में भी जाना जाता है, को लागू कर दिया गया है।**
    - भारत ने जुलाई 2019 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हेतु अपनी मंजूरी प्रदान कर दी थी।
    - हाल ही में आयोजित भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में, संबोधित करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने **मध्यस्थता के कार्यान्वयन को प्रत्येक स्वीकृत विवाद के समाधान के लिए अनिवार्य पहला कदम** बताया था।
    - यह **संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि है जिसका नाम सिंगापुर के नाम पर रखा** गया है।
    - यह कन्वेंशन **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने** और व्यापारिक विवादों को हल करने के एक वैकल्पिक तथा प्रभावी तरीके के रूप में **मध्यस्थता को बढ़ावा देने का एक साधन** है।
    - यह **मध्यस्थता पर निर्मित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में निश्चितता और स्थिरता लाने में मदद** करेगा, जिससे सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) मुख्य रूप से SDG 16 (यानी शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **भारत में मध्यस्थता को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
    - **न्यायालय द्वारा संदर्भित/निर्दिष्ट मध्यस्थता:** न्यायालय भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत लंबित मामले/वाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित/निर्दिष्ट कर सकता है।
        - मध्यस्थता के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वर्ष 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCPC) की स्थापना की गई थी।
    - **निजी मध्यस्थता:** एक **निश्चित शुल्क के आधार पर** योग्य कर्मचारी, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

4.6. भारत में न्यायिक अवसंरचना (Judicial Infrastructure in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने **भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण**[7] के गठन का प्रस्ताव दिया है।

NJIAI के बारे में

- इसका उद्देश्य देश में **अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और अवसंरचना विकास को** NJIAI के नियंत्रण के अधीन लाना है।
- **प्रस्तावित निकाय की मुख्य विशेषताएँ:**
    - इसे **नालसा अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**[8] **मॉडल पर स्थापित किया जाएगा,** जहाँ यह एक **केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करेगा। इसमें प्रत्येक राज्य का अपना राज्य न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण होगा।**
        - **नालसा, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करता है।** नालसा एक राष्ट्रव्यापी निकाय है। राज्य और जिला स्तर पर भी इसके जैसे निकाय कार्यरत हैं।
    - **भारत के मुख्य न्यायाधीश NJIAI के प्रमुख संरक्षक (Patron-In-Chief) होंगे।** नालसा, कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन है, जबकि NJIAI को भारत के **उच्चतम न्यायालय के अधीन रखा जाएगा।**
    - NJIAI के सदस्यों में **उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी शामिल होंगे।**

[7] National Judicial Infrastructure Authority of India: NJIAI

[8] National Legal Services Authority: NALSA

© Vision IAS

न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना:

- इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय घरों के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करना है।
- हाल ही में, केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता में, न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन[9] के एक भाग के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए भी निधि शामिल है।
    - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुँच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत, ग्राम न्यायालय स्थापित किये गए हैं।
    - प्रणालीगत विलंब और लंबित मामले को कम करते हुए न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए NMJDLR को वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था।

4.7. न्यायालयीय मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग (Live Streaming of Court Cases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने न्यायिक कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों का मसौदा (Draft Model Rules) जारी किया है।

मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग के बारे में

- **स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का उच्चतम न्यायालय वाद 2018** में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। न्यायालय के अनुसार:
    - लाइव स्ट्रीमिंग की कार्यवाही **संविधान के अनुच्छेद 21** के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का एक हिस्सा है।
    - न्यायालयीय कार्यवाही का प्रकाशन **अनुच्छेद 129** का एक पहलू है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।

न्यायपालिका को अधिक कुशल और सुगम बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित **कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म** का भी उपयोग कर रहा है:

- **SUPACE: न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल** (Supreme Court's Portal for Assistance in Court's Efficiency: SUPACE) एक ऐसा उपकरण है, जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है तथा उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है।
- **सुवास (SUVAAS):** यह उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एक **महत्वपूर्ण अनुवाद उपकरण** है।
- न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण के दृष्टिकोण से **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना** की संकल्पना की गई थी।
- **"फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स" (फास्टर) प्रणाली:** यह अदालतों से जेलों में ई-प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। इस प्रणाली के शुभारंभ होने से विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा होने के लिए अब कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले उनकी रिहाई हेतु आवश्यक जमानत आदेशों की प्रमाणित हार्ड प्रतियों के जेल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था।

- **गुजरात उच्च न्यायालय** जैसे कुछ उच्च न्यायालयों में पहले ही ऐसे **न्यायालयीय कार्यवाहियों की लाइव-स्ट्रीमिंग** की शुरुआत की जा चुकी है।
- **मसौदा नियमों के मुख्य प्रावधान:**
    - **वैवाहिक विवादों, यौन अपराधों, यौन हिंसा आदि से संबंधित मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग नहीं की** जाएगी।
    - न्यायालयीय कार्यवाहियों को **दस मिनट के विलंब के साथ प्रसारित** किया जाएगा।
    - भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और न्यायालय की अवमानना के तहत **लाइव-स्ट्रीमिंग का अनधिकृत उपयोग दंडनीय** होगा।

4.8. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण	• **उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दीवानी प्रकृति का अपराध प्रतीत होने पर न्यायालय SC/ST अधिनियम में कार्यवाही को निरस्त कर सकता है।** • उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के **अनुच्छेद 142** के तहत उसकी शक्तियों तथा **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482** के तहत किसी उच्च न्यायालय (HC) की शक्तियों को SC/ST अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को निरस्त करने के

[9] National Mission for Justice Delivery & Legal Reforms: NMJDLR

<table>
<tr><td>अधिनियम), 1989 के तहत न्यायालय की शक्तियां {Powers of Court under Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act), 1989 (SC/ST Act)}</td><td>लिए लागू किया जा सकता है।
○ अनुच्छेद 142 किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय को "पूर्ण न्याय" हेतु आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 482, उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देती है।
• उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित स्थितियों को भी सूचीबद्ध किया है, जहां मामलों की सुनवाई को रद्द करने की शक्तियां लागू की जा सकती हैं:
○ जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अपराध:
▪ प्रकृति में प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी है,
▪ पीड़ित की जाति के आधार पर कारित नहीं किया गया है,
▪ जहां कानूनी कार्यवाही को जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
○ यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या उसे कम नहीं किया जाएगा, भले ही विचाराधीन अपराध को दंडित न किया गया हो।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में:
○ अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध करने पर रोक लगाता है तथा ऐसे अपराधों की जांच एवं पीड़ितों को तीव्र न्याय प्रदान करने हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।
○ इसे इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों को कमजोर करने वाले उच्चतम न्यायालय के एक विवादास्पद निर्णय को रद्द करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था।</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय अपील न्यायालय (NCA)</td><td>भारत के महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय पर कार्यभार कम करने के लिए राष्ट्रीय अपील न्यायालयों (National Courts of Appeal: NCA) की स्थापना पर बल दिया है।
• यह विचार संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। यह विचार 4 क्षेत्रीय NCA (प्रत्येक में 15 न्यायाधीश) की स्थापना करने के 11 वर्ष पुराने प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।
○ इस विचार को स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 1986 में और विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था।
• प्रस्तावित NCA के बारे में
○ NCA राज्य के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के बीच मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालयों के रूप में कार्य करेंगे।
○ इनमें प्रत्येक में 15 न्यायाधीश होंगे।
○ ये दीवानी, फौजदारी, श्रम और राजस्व मामलों में अपने क्षेत्र के उच्च न्यायालयों तथा अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों से निपटने में न्याय के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करेगा।
○ ध्यातव्य है कि इन अपीलीय न्यायालयों के निर्णय अंतिम रूप से मान्य होंगे।
○ हालांकि, NCA की स्थापना के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय मुकदमा नीति (National Litigation Policy: NLP)</td><td>सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति (National Litigation Policy: NLP) का निर्माण कर रही है
• हाल ही में, सरकार ने सूचित किया है कि मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु एक NLP विचाराधीन है।
○ इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा इस उद्देश्य से एक NLP प्रस्तुत की गई थी कि सरकार को निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, विशेषकर जहां सरकार के विरुद्ध कोई ऊंचा/बड़ा दावा नहीं किया गया है। इस नीति को लागू नहीं किया गया था।
• महत्व:
○ इस नीति का उद्देश्य सरकार को एक कुशल और उत्तरदायी वादी में परिवर्तित करना है।
▪ सर्वविदित है कि राज्यों और केंद्र में सरकारें जिला अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक में कुल 3.14 करोड़ मामलों में से 46% मामलों में वादी के रूप में शामिल हैं।
○ यह नीति न्यायालय में किसी मामले के लंबित रहने की औसत अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने में सक्षम बनाकर न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत करेगी।</td></tr>
</table>

© Vision IAS

टेली-लॉ	हाल ही में, **विधि और न्याय मंत्री ने सिटीजन टेली-लॉ मोबाइल ऐप** लॉन्च किया है।
	• टेली-लॉ न्याय विभाग की एक पहल है। इसे **डिजिटल इंडिया योजना** के तहत विकसित किया गया है। यह पहल देश में **प्री-लिटिगेशन तंत्र को मजबूत** करेगी।
	  ○ इस सेवा का ऐप संस्करण **इसके पहुंच एवं विस्तार को तीव्र करने** में मदद करेगा। साथ ही, यह **नागरिक केंद्रित न्याय वितरण तंत्र की दिशा में भी सुधार** करेगा।
	  ○ टेली-लॉ, **शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए** लाभार्थी को कानूनी सलाह या परामर्श प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे परामर्श प्राप्त करने के लिए एक पैनल में **वकीलों के साथ जुड़ने की सुविधा** भी प्रदान करता है।

वैवाहिक बलात्कार	**केरल उच्च न्यायालय** ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि **वैवाहिक बलात्कार तलाक के लिए एक वैध आधार** है। हालांकि, भारत में वैवाहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान नहीं है।
	• **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 (अपवाद)** के अनुसार, किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, तो वह **बलात्संग** नहीं है। इस प्रकार यह धारा ऐसे कृत्यों को अभियोजन से प्रतिरक्षित करती है।
	• भारत उन 36 देशों में से है, जहां वैवाहिक बलात्कार विधिक अपराध नहीं है।
	• **महिलाओं के लिए उपलब्ध विधिक प्रावधान**
	  ○ **धारा 498A** महिलाओं के साथ उनके पति या उनके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार से संबंधित है।
	  ○ भारतीय कानून के तहत **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005** बलपूर्वक लैंगिक संबंध बनाने के कृत्य को दंडनीय मानता है।
	    ▪ हालांकि, कानूनी रूप से एक मजिस्ट्रेट को अपनी **पत्नी के साथ बलात्कार करने वाले किसी व्यक्ति के कृत्य** को अपराध घोषित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है।

दया मृत्यु (Mercy Killing)	**आंध्र प्रदेश की एक अदालत में 9 वर्ष के एक बालक हेतु मर्सी किलिंग (दया मृत्यु) की याचिका दायर की गई है**

- **इच्छामृत्यु (Euthanasia), अर्थात मर्सी किलिंग (दया मृत्यु)**, एक ऐसे व्यक्ति को **पीड़ा रहित मृत्यु देने के कार्य** को संदर्भित करती है, जो या तो बहुत वृद्ध हो या अधिक बीमार हो ताकि उसके दर्द और पीड़ा का निवारण किया जा सके। यह 2 प्रकार की होती है अर्थात **निष्क्रिय** (Passive) और **सक्रिय** (Active) (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **भारत में इच्छामृत्यु से संबंधित घटनाक्रम**
    - वर्ष 1994 में **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य वाद** में यह माना गया था कि **सहायता प्राप्त आत्महत्या और इच्छामृत्यु दोनों गैरकानूनी** थे।
        - पीठ ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 21 के तहत **जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं** है।
        - इसने **पी. रथिनम बनाम भारत संघ वाद** के निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया था। इस वाद में भारतीय दंड संहिता की **धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास)** को असंवैधानिक करार दिया गया था।
    - हालांकि, बाद में **अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ वाद 2011** में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि **असाधारण परिस्थितियों के मामले में और शीर्ष न्यायालय की सख्त निगरानी में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को स्वीकृति** प्रदान की जा सकती है।
    - **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद 2018** में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **जीवन और गरिमा के मूल अधिकार में उपचार को अस्वीकृत करने एवं सम्मान के साथ जीवनत्याग करने का अधिकार** भी शामिल है, क्योंकि "सार्थक अस्तित्व" के मूल अधिकार में **एक व्यक्ति की बिना पीड़ा के मृत्यु** का विकल्प भी शामिल है।
- **सक्रिय या आक्रामक इच्छामृत्यु:** सक्रिय तरीकों से रोगी को मृत्यु देना। उदाहरण के लिए, रोगी को किसी दवा की प्राणघातक खुराक का इंजेक्शन लगाना।

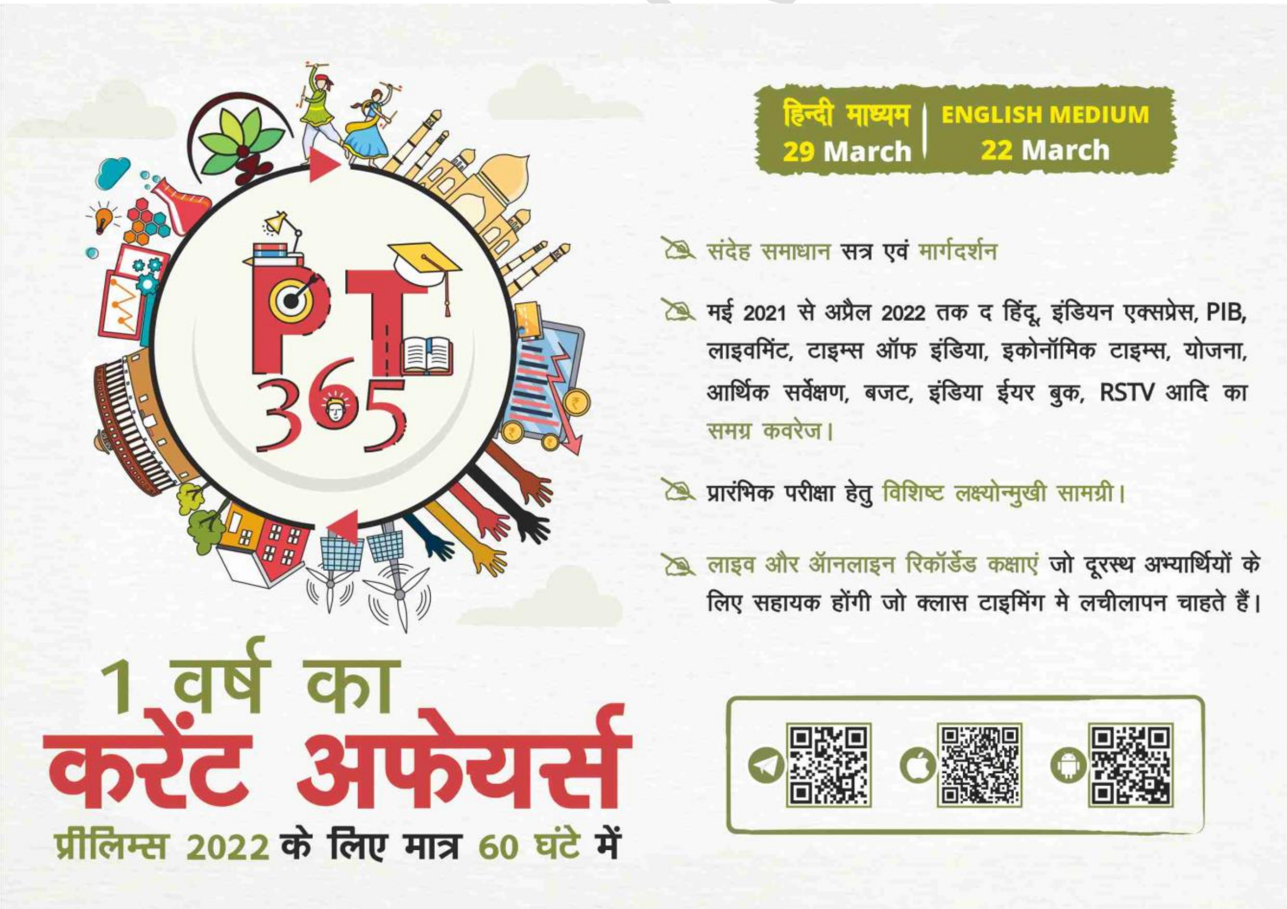

© Vision IAS

5. निर्वाचन (Elections)

5.1. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया।

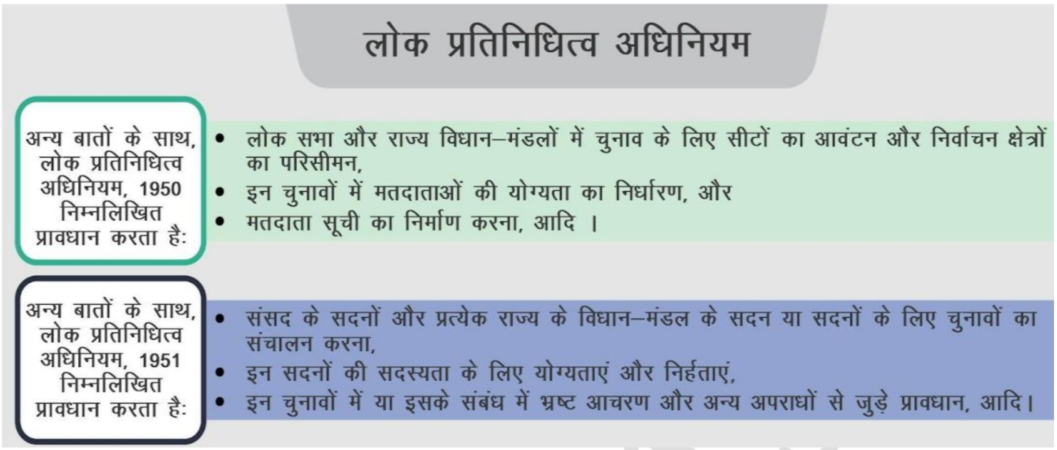

इस विधेयक के बारे में

- इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950**[10] और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**[11] में संशोधन करने का प्रावधान है।

संशोधन द्वारा लाये गए बदलाव इस प्रकार हैं (तालिका में देखें):

संशोधन	मूल प्रावधान	किये गए परिवर्तन
मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना (RPA, 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा)	• 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक **व्यक्ति** किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए **निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।** • **सत्यापन के पश्चात्** यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह **आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा।**	• निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी **किसी व्यक्ति** से कह सकता है कि **अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए।** • यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के **सत्यापन**[12] **के लिए** आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। • यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी **आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ** है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से **वंचित नहीं किया जाएगा** या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ○ ऐसे व्यक्तियों को **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की **अनुमति दी जा सकती है।**
मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि (RPA, 1950 की **धारा 14** के खंड (b) में संशोधन द्वारा)	• वर्ष 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाती है, उस वर्ष की **1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता था।** • इसका तात्पर्य यह है कि **1 जनवरी के बाद** 18 वर्ष का (अर्थात् मतदान के लिए पात्र) होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता था, जब **अगले वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार/संशोधित की जाए।**	• यह विधेयक एक कैलेंडर वर्ष में **चार पात्रता तिथियाँ** प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो **1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी।**
लिंग-तटस्थ या जेंडर-	• 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक	• विधेयक के द्वारा RPA, 1950 और 1951 में **'पत्नी**

[10] Representation of the People Act (RPA), 1950

[11] Representation of the People Act, 1951

[12] Authentication of Entries in the Roll

न्यूट्रल प्रावधान (RPA, 1950 की **धारा 20** और RPA, 1951 की **धारा 60** में संशोधन द्वारा)	नामावली में पंजीकरण करने की अनुमति देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में **सामान्य रूप से निवास**[13] **करते हैं।** ऐसे व्यक्तियों में सरकारी **सेवा से जुड़े लोग,** जैसे कि **सशस्त्र बलों** के सदस्य या भारत के बाहर तैनात/नियुक्त **केंद्र सरकार के कर्मचारी** शामिल हैं। • ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों को भी **सामान्य रूप से उसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला माना जाता है** यदि वे उनके साथ रहती हैं। • 1951 का अधिनियम सेवा से जुड़े व्यक्ति की पत्नी को **व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने** में सक्षम बनाता है।	**(Wife)'** शब्द की जगह **'पति/पत्नी (Spouse)'** शब्द को शामिल किया गया है।
निर्वाचन संबंधी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग (RPA, 1951 की **धारा 160** में संशोधन)	• 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं, जिनका **मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मत पेटी रखने हेतु उपयोग में लाने या लाए जाने की संभावना है।**	• यह विधेयक उन **उद्देश्यों का विस्तार** करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। • इनमें **मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने** और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के **रहने के लिए** परिसर का उपयोग शामिल हैं।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली

संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324–329 निर्वाचनों से संबंधित हैं। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- निर्वाचन, **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर होते हैं। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह भारत की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। **धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।**
- लोक सभा तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं में **अनुसूचित जातियों (84 सीटों) और अनुसूचित जनजातियों (47 सीटों) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।**
- **परिसीमन आयोगों** की मदद से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। चुनाव दर चुनाव क्षेत्र/सीमाएँ बदलती रहती हैं, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्ष 2026 तक नहीं बदली जाएगी।
- लोक सभा निर्वाचन के मामले में **सरल बहुमत प्रणाली** (First Past the Post System: FPTP) के माध्यम से और राज्य सभा चुनाव के निर्वाचन में **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** (Proportional Representation: PR) के माध्यम से मतदान होता है।
- राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियाँ

निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधान सभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए **मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है।**

- **कारण:** मतदाताओं की बढ़ती संख्या, वृद्धि के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक आदि।
- **बड़े राज्यों में लोक सभा सीटों के लिए** खर्च की सीमा को **70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख** रुपये किया गया है। छोटे राज्यों में इस सीमा को 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया है।
- **विधान सभा सीटों के लिए बड़े राज्यों** में व्यय सीमा **28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये** और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये की गई है।

[13] Ordinarily Residing

© Vision IAS

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजाब विधान सभा चुनाव स्थगित किये।

- ECI ने यह कदम **गुरु रविदास जयंती समारोह के मद्देनज़र चुनाव स्थगित** करने के अनुरोध के बाद उठाया है।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के तहत** निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न करवाने के लिए "समय/तिथि बढ़ा" सकता है।
    - हालांकि, **इस तरह का विस्तार सदन** (लोक सभा या राज्य विधान सभा) **के सामान्य विघटन/ कार्यकाल की तिथि से आगे की तिथि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।**
- **सदन का कार्यकाल केवल संसद द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान ही** बढ़ाया जा सकता है।
    - संविधान के अनुसार **आपातकाल केवल निम्नलिखित दो स्थितियों** में ही लागू किया जा सकता है-
        - युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण।
        - देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण।

5.2. दल-बदल रोधी कानून (Anti-Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के लिए, **दल-बदल मामले** में आदेश पारित करने की समय सीमा तय कर दी है।

दल-बदल क्या है?

दल-बदल को किसी राजनीतिक दल के **एक सदस्य द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में** परिभाषित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लोक सभा में, यदि पार्टी ए के सांसद पार्टी बी में शामिल हो जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने दल-बदल किया है और इस प्रकार उनके विरुद्ध दल-बदल रोधी कार्यवाही के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दल-बदल रोधी कानून के बारे में

संविधान की **दसवीं अनुसूची में दल-बदल के आधार पर** संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निरर्हता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं।

- **निरर्हता:** किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी सदन का सदस्य निम्नलिखित स्थिति में सदन के सदस्य के लिए **निरर्ह हो जाता है**
    - यदि वह राजनीतिक दल की **अपनी सदस्यता का स्वेच्छा से परित्याग कर देता है;** या
    - यदि वह अपने दल की पहले अनुमति लिए बिना, अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी **किसी निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान के लिए अनुपस्थित रहता है** और उसके इस प्रकार के कृत्य को दल ने 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया है।
- यदि किसी सदन का **निर्दलीय सदस्य,** चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाता है।
- सदन का कोई भी **नामनिर्देशित सदस्य,** सदन का सदस्य होने के लिए उस स्थिति में निरर्ह हो जाता है, यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से **छह महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।**
- **अपवाद:** कुछ परिस्थितियों में विधिकर्ता दल परिवर्तन के बाद भी निरर्ह घोषित नहीं होते।
    - कानून यह अनुमति प्रदान करता है कि **किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय किया जा सकता है,** बशर्ते कि विधायिका में निर्वाचित उसके दो तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।
    - यदि कोई व्यक्ति **लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति के रूप में चुना जाता है** (राज्यों के मामले में भी) तो वह अपने दल का त्याग कर सकता है, और उस पद से हट जाने के उपरांत वह उस दल अथवा अन्य दल में शामिल हो सकता है।
    - उल्लेखनीय है कि किसी दल से एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल का **त्याग कर दिए जाने की स्थिति में निरर्हता से छूट** से संबंधित दसवीं अनुसूची के प्रावधान को वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया है।
- **निर्णायक प्राधिकारी:** दल-बदल के कारण उठने वाले निरर्हता से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
- **नियम के निर्माण की शक्ति:** सदन के **पीठासीन अधिकारी** को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नियम बनाए, **ताकि दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके।**

VISION IAS

संबंधित मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या कैसे की गई है?

- **'स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ता है' वाक्यांश की व्याख्या:** 'त्यागपत्र' की तुलना में इस वाक्यांश का अधिक व्यापक अर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है कि सदस्य द्वारा दिए जाने वाले औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में, सदस्यता को त्यागने का अनुमान उसके आचरण से लगाया जा सकता है।
  - जिन सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने दल के विरोध या किसी अन्य दल के समर्थन की घोषणा की है, तो इसे उनका त्यागपत्र समझा जाना चाहिए।
- **पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है:** आरंभ में इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा। लेकिन, वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया और पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान की।
  - हालांकि, न्यायालय ने यह कहा कि इस संबंध में जब तक पीठासीन अधिकारी आदेश जारी नहीं कर देता, तब तक किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
- **पीठासीन अधिकारी की दल-परिवर्तन विरोधी मामलों पर निर्णय करने संबंधी समय-सीमा:** इस कानून के अंतर्गत निरर्ह घोषित करने वाली याचिका पर निर्णय करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा कि यदि अध्यक्ष द्वारा निरर्ह ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर उचित समय-सीमा के भीतर निर्णय नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है।

5.3. चुनावी बॉण्ड्स (Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सात में से चार राष्ट्रीय दलों अर्थात् **भाजपा (BJP), कांग्रेस (INC), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)** ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी कुल आय का 62.92% (₹2,993.826 करोड़) चुनावी बॉण्ड के माध्यम से एकत्रित अनुदान से अर्जित किया है।

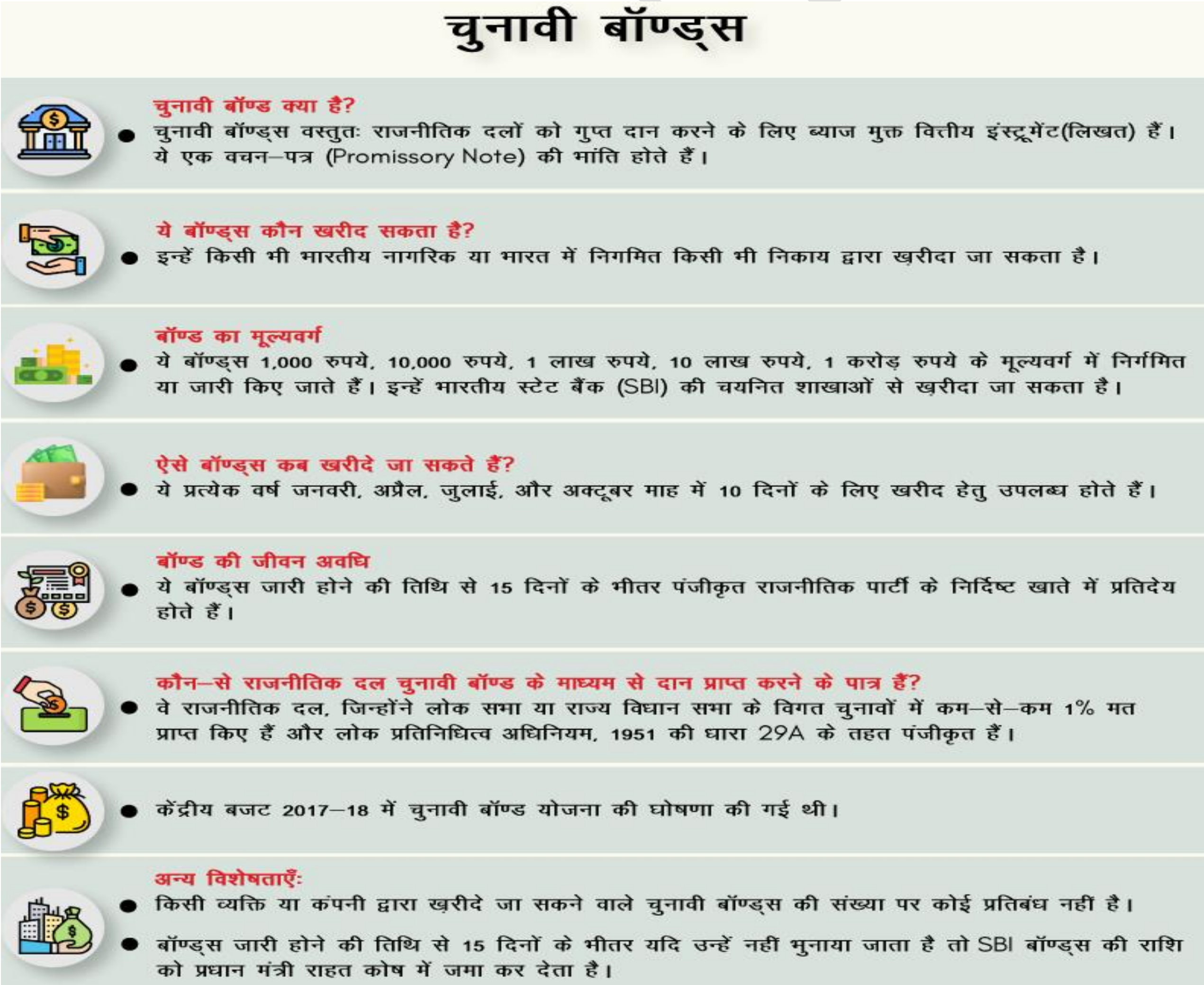

© Vision IAS

5.4. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines: EVMs)	हाल ही में, **चुनाव पर नागरिक आयोग (Citizens' Commission on Elections)** ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verifiable Paper Audit Trail: VVPAT) पर अपनी **रिपोर्ट** जारी की है। **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बारे में** • EVM एक **माइक्रोकंट्रोलर-आधारित पोर्टेबल उपकरण** है। इसे चुनाव संचालन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • इस **मशीन में दो यूनिट्स** होती हैं- कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। इन दोनों यूनिट्स को एक केबल द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। • EVM चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक साधारण बैटरी पर चलती है: • इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल **पहली बार केरल के परूर विधान सभा क्षेत्र** में वर्ष 1982 में किया गया था। • वर्ष 1988 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई **धारा 61A** जोड़ी गई थी। इस नई धारा ने निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करने का अधिकार दिया है। • चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक EVM में **अधिकतम 2,000 मत दर्ज** किये जा सकते हैं। • EVM में **अधिकतम 64 उम्मीदवारों (नोटा सहित) का नाम** शामिल किया जा सकता है। एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान होता है। • मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम अंग्रेज़ी **वर्णमाला के अनुसार (अल्फाबेटिकल)** दर्ज किये जाते हैं। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के नाम होते हैं। उसके उपरांत अन्य पंजीकृत राज्य दलों के उम्मीदवारों के नाम होते हैं। **वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के बारे में** • **VVPAT** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक अन्य स्वतंत्र मशीन है। यह मतदाता को वोट सत्यापित करने में मदद करती है। • वोट डालने के बाद, एक पर्ची छपती है। इसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह होता है। यह पर्ची सात सेकंड के लिए एक विंडो के माध्यम से दिखाई देती है। • इसके बाद छपी हुई पर्ची स्वतः VVPAT के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है।

आदर्श आचार संहिता	• आदर्श आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी **दिशा-निर्देशों का एक सेट है।** यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करती है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
	  ○ इसे उन राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित अथवा निर्मित किया जाता है, जिन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। सभी राजनीतिक दलों को इसका अक्षरशः पालन करना होता है।
	• संविधान का **अनुच्छेद 324** निर्वाचन आयोग को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद आयोग को संसद एवं राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों की निगरानी करने हेतु प्राधिकृत करता है।
	• संहिता चुनाव कार्यक्रम की **घोषणा की तारीख से परिणाम घोषित होने की तारीख** तक लागू रहती है।
	• इस संहिता के एक स्वरूप को पहली बार वर्ष 1960 में **केरल राज्य विधानसभा चुनावों** में लागू किया गया था।
	  ○ निर्वाचन आयोग ने पहली बार वर्ष 1971 (पांचवें चुनाव) में आचार संहिता जारी की थी और समय-समय पर इसमें संशोधन किया था।
	• आदर्श आचार संहिता **कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।**
	• हालांकि, **आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को** भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को लागू करके **प्रवर्तित किया जा सकता है।**

स्टार प्रचारक की स्थिति	उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा चुनावों में एक व्यक्ति के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। • एक स्टार प्रचारक प्रसिद्ध हस्ती होता है। यह सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होता है। यह राजनीतिक दलों के लिए अधिक से अधिक मत प्राप्त करने में सहायता करता है।

	• **स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इसे नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है।** • **एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक** हो सकते हैं। एक गैर-मान्यता प्राप्त (लेकिन पंजीकृत) राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। ○ महामारी के कारण संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा **40 के स्थान पर 30** होगी। **गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए यह महामारी की अवधि के दौरान 20 के स्थान पर 15 होगी।** • **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1)** के तहत स्टार प्रचारकों की सूची **मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग** को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।
परिसीमन आयोग	**जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोक सभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों** को पुनः तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। **परिसीमन आयोग के बारे में** • **परिसीमन** किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले **क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है।** • **यह एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है, जिसे परिसीमन आयोग** या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। ○ **अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि,** संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। ○ **अनुच्छेद 170 के तहत,** राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। • **वर्ष 1952, वर्ष 1963, वर्ष 1973 और वर्ष 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन** किया जा चुका है। ○ इसे **राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त** किया जाता है। **इसके आदेशों में अधिनियम की शक्ति होती है** और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती **नहीं** दी जा सकती है। • **संरचना: तीन सदस्य-** ○ अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के **सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।** ○ **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** या CEC द्वारा नामित चुनाव आयुक्त। ○ संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के **राज्य चुनाव आयुक्त।** **सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट** • **प्रोजेक्ट** में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए एक साझा सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और निवास, विशेष सुरक्षा समूह भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव के निर्माण की परिकल्पना की गई है। • **प्रोजेक्ट की आवश्यकता:** जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण (जो स्वतंत्रता के बाद से लगभग चौगुनी हो गई है) परिसीमन के माध्यम से लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान संसद में दोनों सदनों के सांसदों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं।
अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र (Floating constituency)	• कश्मीरी पंडितों ने एक 'अस्थायी' निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह सिक्किम की तर्ज पर **जम्मू-कश्मीर के कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए चुनाव लड़ने और मतदान हेतु आरक्षित** होगा। • भारत का एकमात्र 'अस्थायी' निर्वाचन क्षेत्र- **सिक्किम में लामा संघों के लिए संघ मॉडल,** भारत के संविधान में **अनुच्छेद 371 (F)** के तहत समर्थित है। ○ यह **बिना किसी भौगोलिक सीमा वाला निर्वाचन क्षेत्र** है और इसके लिए राज्य के भीतर 51 मठों में पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं।

एक राष्ट्र, एक विधायी मंच	• **अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (AIPOC)** के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले कई उपायों की घोषणा की। ○ प्रधानमंत्री ने कहा, कि उनका विचार '**वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल**' का है। एक ऐसा पोर्टल, जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी उन्नयन प्रदान करे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी कार्य करे। • AIPOC भारत में **विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय** है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। • वर्ष 1925 में महिलाओं के मतदान के अधिकार जैसे ऐतिहासिक प्रस्तावों को इस सम्मेलन में पारित किया गया था।

6. महत्त्वपूर्ण विधान/विधेयक (Important Legislations/Bills)

6.1. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पेसा अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम या पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 243M** के तहत संविधान के **भाग IX में निहित पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है।** हालांकि संसद को विधि द्वारा अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है। संसद के इस कार्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।

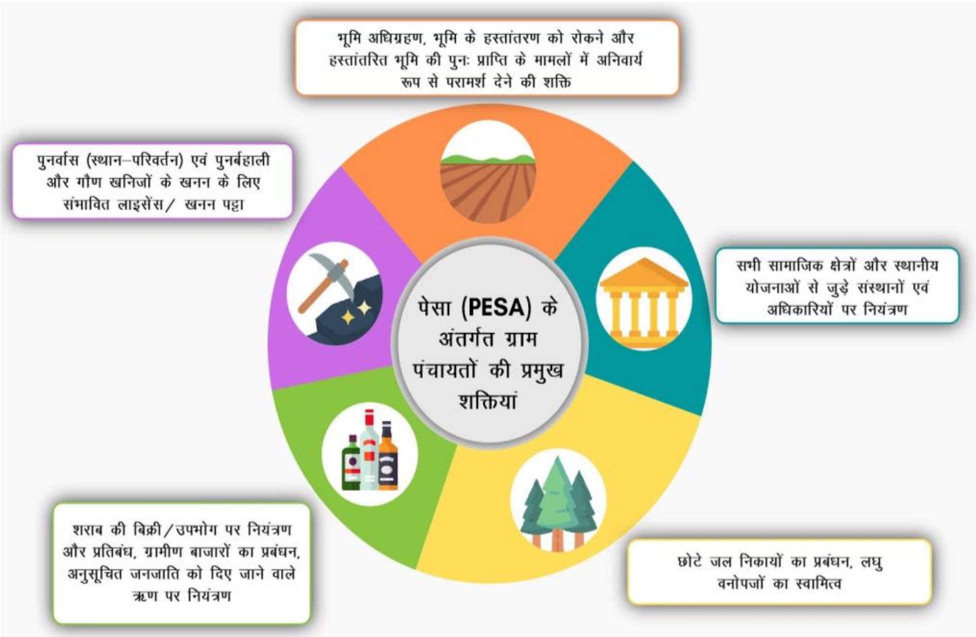

- **पेसा अधिनियम को दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों के आधार पर **वर्ष 1996 में** जनजातीय समुदायों के सशक्तीकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- पेसा अधिनियम को 'संविधान के भीतर संविधान' कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के **पंचायती राज (भाग IX) के प्रावधान** को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ **अनुच्छेद 244 के खंड (1)** के अंतर्गत **10 राज्यों** के **पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों** तक विस्तारित करता है।
    - ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना।
- यह इन क्षेत्रों में ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य सरकार को **प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार हस्तांतरित** करने का निर्देश देता है।
- **पंचायती राज मंत्रालय** पेसा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु **नोडल मंत्रालय** है।

पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं और सहभागी लोकतंत्र और राज्य पंचायती राज अधिनियमों को प्रोत्साहन देना।**
- पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए विधान, **रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों** के अनुरूप होंगे;
- प्रत्येक ग्राम की **एक ग्राम सभा** होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर **पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों** में सम्मिलित किया गया है;

- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की **परंपराओं और रूढ़ियों**, उनकी **सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रुढ़िजन्य ढंग** का **संरक्षण और परिरक्षण** करने के लिए सक्षम होगी;
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में **(न्यूनतम 50%) सीटों का आरक्षण** होगा, जो सभी स्तरों पर **पंचायतों के अध्यक्ष** के साथ उपबंधित होगा;
- **ग्राम सभाओं की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:** ग्रामों में सभी विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान करना, लाभार्थियों की पहचान करना, निधियों के उपयोग के प्रमाण पत्र जारी करना।

6.2. वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **"अनुसूचित जनजाति और अन्य-परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" {Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006}** के 'त्वरित कार्यान्वयन' हेतु सभी राज्य सरकारों को एक संयुक्त संदेश प्रेषित किया है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम को प्राय: **वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act: FRA)** के रूप में भी जाना जाता है।

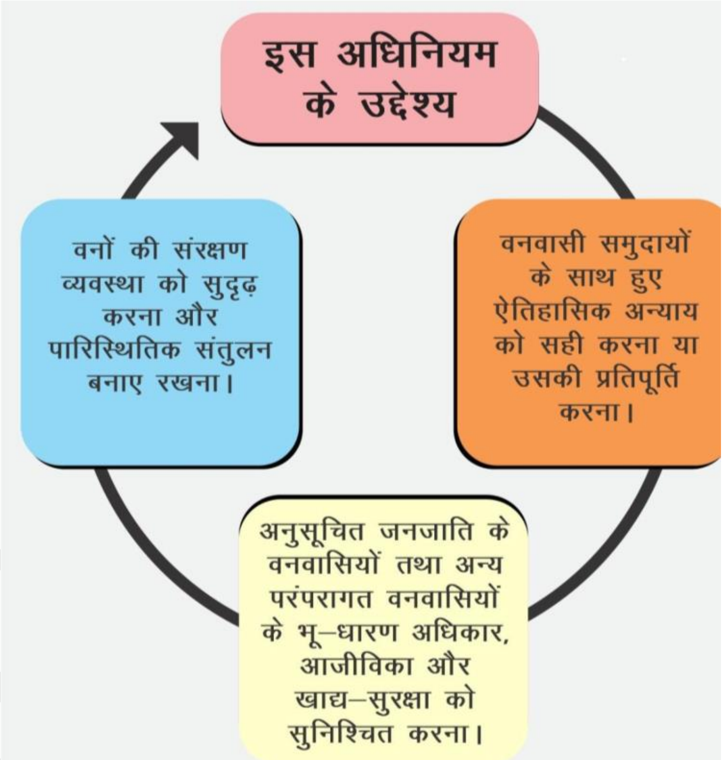

इस अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम वन भूमि पर अधिवासित अनुसूचित जनजातियों (Forest Dwelling Scheduled Tribes: FDSTs) तथा अन्य-परंपरागत वनवासियों (Other Traditional Forest Dwellers: OTFDs) के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करता है। ये पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु इनके अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकी थी।
- यह व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का प्रावधान करता है, जिन्हें निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **स्वामित्व अधिकार (Title rights):** यह FDSTs और OTFDs को अधिकतम 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है।
  - **उपयोग के अधिकार (Use rights):** लघु वनोपज संग्रह, चराई, मत्स्यन, वनों में जल निकायों तक पहुंच आदि के अधिकार।
  - **राहत और विकास संबंधी अधिकार:** अवैध निष्कासन या बलपूर्वक विस्थापन के मामले में पुनर्वास प्रदान करना और समुदाय की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकासात्मक उद्देश्यों हेतु वन भूमि आवंटित करने का अधिकार देना।
  - **वन प्रबंधन अधिकार:** इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार शामिल हैं, जिसे वे पारंपरिक रूप से संधारणीय उपयोग के लिए सुरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं।
  - **ज्ञान अधिकार:** बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार तथा पारंपरिक प्रथागत अधिकारों को मान्यता प्रदान करना।
- **ग्राम सभा** को व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights: IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights: CFR) या दोनों, जो FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा को निर्धारित करने की **प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार प्रदान** किया गया है।

इस अधिनियम के अतंर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं

सामुदायिक वन ससांधनः इसका तात्पर्य गाँव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि से है। इसमें चरवाहा समुदायों द्वारा मौसमी आधार पर उपयोग किए जाने वाले ऐसे भू–परिदृश्य भी शामिल हैं, जिसमें समुदाय की पारंपरिक पहुचं रही है। ऐसे भू–परिदृश्य में आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र जैसे कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

लघु वनोपजः इसमें बांस, झाड़ियाँ, ठूंठ, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या तेंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी–बूटियां, जड़, कंद सहित पादप उत्पत्ति के सभी गैर–काष्ठीय वन उत्पाद शामिल हैं।

वनवासी अनुसूचित जनजातियाँः अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय जो प्राथमिक रूप से वनों में वास करते हैं और जो आजीविका की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के पशुचारक समुदाय भी शामिल हैं।

अन्य पारंपरिक वनवासीः कोई भी सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से मुख्य रूप से वनों में निवास करता हो और जो अपनी आजीविका की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हो।

महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासः राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इन्हें स्थानीय रूप से नियुक्त विशेषज्ञों के परामर्श के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया जा सकता है।

वन ग्रामः वे बस्तियां जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए वनों के अंदर स्थापित की गई हैं या जिन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गांवों में परिवर्तित किया गया है।

6.3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 {Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Amendment Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति** को किशोर या जुवेनाइल कहा जाता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (children in conflict with law)** तथा **देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (children in need of care and protection)** की समस्याओं से संबंधित है। यह कुछ मामलों में विधि का उल्लंघन करने वाले **16-18 वर्ष के आयु वर्ग** के किशोरों पर वयस्कों के रूप में **अभियोजन (या मुकदमा) चलाए जाने का प्रावधान करता है।**
- इस अधिनियम को **किशोर अपराध कानून** तथा **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम), 2000** को प्रतिस्थापित करने हेतु पारित किया गया था।
- यह **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में सहयोग संबंधी हेग अभिसमय (वर्ष 1993) तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के** लिए एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करता है।
- **वर्तमान अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन**

© Vision IAS

आधार	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संबंधित प्रावधान	अधिनियम की विशेषताएं
दत्तक ग्रहण (Adoption)	• एक बार **दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट्स)** द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।	• मामलों का **त्वरित निपटान** सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने हेतु **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)** सहित **एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM)** दत्तक ग्रहण का आदेश (देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए) जारी कर सकते हैं। • **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के अतिरिक्त कार्य:** ○ मुख्य अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी **विभिन्न अभिकरणों के कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय और उनकी निगरानी करने** हेतु DM सहित ADM को भी अधिकृत किया गया है। ○ उन्हें **जिला बाल संरक्षण एककों (District Child Protection Units)** और **विशेष किशोर संरक्षण एककों की निगरानी** करने और बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee: CWC) तथा किशोर न्याय बोर्डों (Juvenile Justice Boards) की कार्यप्रणाली की **त्रैमासिक समीक्षा** करने हेतु अधिकृत किया गया है।
अपील	• **बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के लिए कोई अपील नहीं होगी, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि** उक्त बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।	• यह विधेयक इस प्रावधान को हटाता है। • DM द्वारा पारित **दत्तक ग्रहण के आदेश से व्यथित** कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर **संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।** ऐसी अपीलों का निपटान अपील दायर करने की तिथि से **चार सप्ताह के भीतर** किया जाना चाहिए।
गंभीर अपराध	• किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: ○ **जघन्य अपराध (Heinous offences)** {जिस अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) या किसी अन्य कानून के तहत सात वर्ष के कारावास का न्यूनतम दंड दिया जा सकता हो}; ○ **घोर या गंभीर अपराध (Serious offences)** (ऐसे अपराध जिनके लिए तीन से सात वर्ष के कारावास का उपबंध है); और ○ **छोटे अपराध (Petty offences)** (ऐसे अपराध जिनके लिए तीन वर्ष से कम के कारावास का उपबंध है)। • किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) किसी गंभीर अपराध के आरोपी **बच्चे के बारे में जांच** करेगा।	• यह विधेयक कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए **'घोर/गंभीर अपराध'** की परिभाषा को पुनः परिभाषित करता है, जिनके लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं: ○ जिन अपराधों के लिए 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा; ○ जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक कारावास है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का उपबंध नहीं है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर (या घोर) अपराध माना जाएगा। • यह उपबंध **शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वाद** में उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।
अभिहित न्यायालय (Designated Court)	• बालकों के विरुद्ध अपराध, **जिनमें सात वर्ष से अधिक के कारावास** का प्रावधान है, के मामलों में बाल न्यायालय (जो एक सत्र न्यायालय के समान होता है) में अभियोजन चलाया जाएगा। • अन्य अपराधों (जिनमें सात वर्ष से कम कारावास के दंड का प्रावधान है) के संबंध में **न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन** चलाया जाएगा।	• इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत **सभी अपराधों पर अभियोजन बाल न्यायालय (Children's Court) में चलाया जाएगा।**

बालकों के विरुद्ध अपराध	• अधिनियम के तहत **कोई अपराध, जिसमें तीन से सात वर्ष के बीच कारावास के दंड का प्रावधान है,** संज्ञेय (जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर-जमानती होगा।	• ऐसे अपराध **असंज्ञेय (non-cognizable)** और गैर-जमानती (non-bailable) होंगे।
बाल कल्याण समितियां (CWCs)	• देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं से निपटने हेतु राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए **एक या अधिक CWCs** का गठन करना चाहिए। • यह CWC में **सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ मानदंड** निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, एक सदस्य में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: ○ न्यूनतम सात वर्षों तक बाल स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण में शामिल हो, या ○ बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि या समाज कार्य में डिग्री प्राप्त अभ्यास करने वाला / अनुभवी पेशेवर हो।	• **यह CWC के सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ अतिरिक्त मानदंड** निर्धारित करता है। • कोई भी व्यक्ति CWC के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र ***नहीं*** होगा, यदि: ○ उसका मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के **उल्लंघन का कोई विगत रिकॉर्ड है।** ○ **वह नैतिक अधमता** वाले अपराध हेतु दोषी ठहराया गया हो तथा इस तरह के अपराध के संबंध में उसे प्रदत्त दंड को उलट नहीं दिया गया है या उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है। ○ उसे भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले उपक्रम या निगम की **सेवा से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया है।** ○ **वह कभी बाल शोषण या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कार्य** में संलिप्त रहा हो। ○ वह किसी जिले में **किसी बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन का** हिस्सा हो।

6.4. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 {Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021}	• केंद्र ने **टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए सांविधिक तंत्र प्रदान करने हेतु** केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है। ○ भारत में टेलीविजन मीडिया, **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1955** द्वारा शासित है। ○ वर्तमान में, नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक **अंतर-मंत्रालयी समिति** के रूप में एक **संस्थागत तंत्र** उपलब्ध है, किंतु **उसे कोई सांविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है।** • **केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021**, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निर्मित किए गए नए सोशल मीडिया नियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण ढांचे के अनुरूप **तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता** है।
चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप {Draft Cinematograph (Amendment) Bill, 2021}	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम (Cinematograph Act), 1952 में संशोधन करने हेतु **चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप** जारी किया है। • इसका उद्देश्य बदलते समय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए **फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के संबंध में फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना** तथा पायरेसी पर अंकुश लगाना है। • **विधेयक के प्रमुख प्रावधान** ○ **'U/A 7+', 'U/A 13+'** और **'U/A 16+'** के रूप में आयु-आधारित वर्गीकरण आरंभ कर फिल्मों की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित करना। ▪ **चलचित्र अधिनियम, 1952 में तीन श्रेणियों के तहत फिल्मों के प्रमाणन का प्रावधान** किया गया है- ✓ 'U'- अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन (Unrestricted Public Exhibition); ✓ **'अ/व' (U/A)-** 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन (दूसरे शब्दों में उपस्थिति) की आवश्यकता। ✓ व्यस्क फिल्म (Adult Films) ○ फिल्म पायरेसी के संबंध में **कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान** किया गया है।

	○ **फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में दीर्घकालिक प्रमाण-पत्र प्रदान** करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में, जारी किया गया प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध होता है। **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification: CBFC)** • **9 क्षेत्रीय कार्यालयों** के साथ CBFC का मुख्यालय **मुंबई** में स्थित है। यह चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। • यह **1952 के अधिनियम, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और केंद्र सरकार के वर्ष 1993 के दिशा-निर्देशों** के अनुसार फिल्मों का पूर्व परीक्षण (prior examination) करता है। जिसके आधार पर: ○ यह फिल्म को **धारा 5(B)** की विभिन्न श्रेणियों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकता है। ○ मंजूरी से पूर्व **प्रत्यक्ष छंटाई या संशोधन हेतु आदेश** दे सकता है; अथवा ○ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए **अनुमति देने से मना कर** सकता है।
आदर्श किरायेदारी अधिनियम (MTA)	**असम**, आदर्श किरायेदारी अधिनियम को अपनाने वाला **पहला राज्य बन गया है।** • आदर्श किरायेदारी अधिनियम का उद्देश्य **किरायेदारों एवं गृहपतियों के मध्य दायित्वों को स्पष्ट रूप से** परिभाषित करके दोनों के मध्य **विश्वास को बढ़ाना** है। • **MTA 2019 की मुख्य विशेषताएं** ○ **किरायेदारी समझौता:** कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के समझौते के बिना किसी भी परिसर को भाड़े (let out) या किराए (rent) पर नहीं देगा। ○ **सुरक्षा जमा:** अग्रिम सुरक्षा जमा को रिहायशी परिसर के लिए अधिकतम दो महीने के किराए और गैर-रिहायशी उद्देश्यों के लिए छह महीने के किराए तक सीमित किया गया है। ○ **किराया प्राधिकारी (Rent Authority):** इसे किरायेदारी समझौते के पंजीकरण के लिए **जिला कलेक्टर द्वारा राज्य / संघ शासित प्रदेश सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ नियुक्त** किया जाएगा। ○ **किरायेदारी न्यायालय एवं अधिकरण:** फास्ट ट्रैक समाधान के लिए जिलेवार किरायेदारी न्यायालय एवं अधिकरण की स्थापना के साथ सिविल न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई को रोकता है। ○ **आवश्यक आपूर्ति या सेवा को रोकना:** किरायेदार के अधीन परिसर में किसी भी आवश्यक आपूर्ति को नहीं रोका जाना चाहिए।
स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक' 2021 {Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021}	सितंबर, 2021 में संसद ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक' 2021 पारित किया था। • **इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:** ○ यह अधिनियम **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित कुछ परिचालनों** (जैसे विनिर्माण, परिवहन एवं उपभोग) को शासित करता है। ○ कुछ **अवैध गतिविधियां** जैसे गांजे की खेती और उसमें संलग्न **व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध** है। ○ दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को **कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास** (जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) और कम से कम 1 लाख रुपये के जुर्माने से **दंडित किया जा सकता है।** ○ नए प्रावधान को 1 मई 2014 से **पूर्वव्यापी प्रभाव** से लागू किया जाएगा।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 (National Anti-doping Bill, 2021)	**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 संसद में प्रस्तुत किया गया।** • **विधेयक के प्रमुख प्रावधान:** ○ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA), राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए **सांविधिक ढांचा** निर्मित किया

	जाएगा। ▪ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटियों के रूप में स्थापित NADA और NDTL को विघटित कर पुनर्गठित किया जाएगा। ○ यह NADA को **जांच,** डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए **प्रतिबंध लगाने** और **निरीक्षण, नमूना संग्रह करने तथा उसे साझा करने एवं सूचना के मुक्त प्रवाह की शक्तियां** प्रदान करता है। ▪ ध्यातव्य है कि NADA के पास पूर्व में छापा (Raid) डालने का कोई अधिकार नहीं था। ○ **खेलों में डोपिंग रोध के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड** की स्थापना की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। ○ **बोर्ड, एजेंसी और NDTL** का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा किया जाएगा। **डोपिंग के बारे में** • डोपिंग ऐसे **पदार्थों या शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी मध्यवर्ती पदार्थों (physiological mediators) के उपयोग** को दर्शाता है, **जो सामान्य रूप से मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं।** एक प्रतियोगिता के दौरान **इसे एथलीटों द्वारा अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहरी सहायता के रूप में ग्रहण** किया जाता है"। • भारत द्वारा वर्ष 2008 में NDTL और वर्ष 2009 में NADA की स्थापना की गई थी। ○ **वर्तमान में NDTL को** तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहने के कारण **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) द्वारा निलंबित कर दिया गया है।**
खासी हिल्स स्वायत्त जिला खासी संपत्ति की विरासत विधेयक (Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill), 2021	• इस विधेयक को **खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद** द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। यह परिषद **संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त** निकाय है। • यह **भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के समान वितरण** का प्रावधान करता है। ○ **खासी समुदाय एक मातृवंशीय समाज है।** इनमें माता के वंश के माध्यम से विरासत और वंशज का पता लगाया जाता है। ○ खासी समुदायों में, **सबसे छोटी पुत्री को माता-पिता की संपूर्ण संपत्ति** विरासत में मिलती है। • हालांकि, छठी अनुसूची के अनुसार एक **जिला परिषद द्वारा बनाए गए कानून को पारित करने का अधिकार अंततः राज्य विधायिका के पास ही रहता है।**
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 {Central Universities (Amendment) Bill, 2021}	हाल ही में, संसद ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित किया है। • यह विधेयक **केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन** पर केंद्रित है। इस संशोधन का प्रयोजन **संघ शासित प्रदेश लद्दाख** में "सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करना है। ○ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान हेतु **विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उन्हें निगमित करने** के लिए अधिनियमित किया गया था। यह उन विश्वविद्यालयों से संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध भी करता है। ○ वर्तमान में, संघ शासित प्रदेश लद्दाख में **कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है।**
विरासत संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार (Women's Right in the Inherited Property)	**हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति के उत्तराधिकार में महिला अधिकारों** से संबंधित मामले और **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से जुड़े अन्य मामले में** SC ने महिला सशक्तीकरण के लिए इन कानूनों में सुधार पर बल दिया है।

	• **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** ○ **यह हिंदू संयुक्त परिवार के उत्तराधिकार** संबंधी अधिकारों से जुड़े मामलों को शासित करता है। ○ इसे **वर्ष 2005 में संशोधित** किया गया था। इसके अंतर्गत पहली बार एक **हिंदू महिला को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व** प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। • **डाउरी (Dowry),** जिसे **दहेज** (उत्तर भारत) **या श्रीधनम** (दक्षिण भारत) के रूप में भी जाना जाता है, **को 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम** द्वारा परिभाषित किया गया है- ○ विवाह के संबंध में एक पक्ष/माता-पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाएगी।

VISION IAS

7. सुर्ख़ियों में रहे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक/सांविधिक/कार्यकारी निकाय (Important Constitutional/ Statutory/ Executive Bodies In News)

7.1. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (CBI and ED)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के डायरेक्टर्स (निदेशक) के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

CBI के बारे में

- CBI, **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946** से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं।
- यह **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के अधीन कार्य करती है।
- इसकी स्थापना की सिफारिश **'संथानम समिति'** (1962-1964) द्वारा की गई थी, संथानम समिति का गठन **भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव के लिए किया गया था।**
- CBI, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।

सी.बी.आई. के बारे में

विशेषताए

- यह **केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी** है, जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों और बड़े आपराधिक मामलों की जांच करती है।
- यह कोई **कानूनी संस्था नहीं** है।

सी.बी.आई. निदेशक

- **लोकपाल अधिनियम, 2013** में उल्लेख किया गया है कि सी.बी.आई. निदेशक की नियुक्त एक समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। इस समिति में **प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश शामिल होगा।**

जांच प्रक्रिया

- केंद्र सरकार, राज्य में इस प्रकार के मामलों की जांच करने का सी.बी.आई. को अधिकार दे सकती है, **परंतु संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है।**
- हालांकि, **सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय** कहीं भी इस प्रकार के अपराध होने पर उसके जांच का **आदेश सी.बी.आई. को दे सकता है।** इसके लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बारे में

- ED, **एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है** जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से निपटने के लिए जिम्मेदार है।
- इसका गठन **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947** के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से किया गया था।
- इसे प्रारंभ में वर्ष 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक 'प्रवर्तन इकाई' के रूप में स्थापित किया था। बाद में, वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर दिया गया।
- वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) **वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा** प्रशासित है।
- ED निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा/FEMA)
  - धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)

7.2. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India: PCI)	• भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बावजूद, सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किए जाने पर प्रेस एसोसिएशन ने चिंता प्रकट की है। • PCI का गठन वर्ष 1966 में प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत किया गया था। यह एक **स्वायत्त, सांविधिक तथा अर्ध-न्यायिक निकाय** है।

© Vision IAS

	○ यह परिषद, **भारतीय प्रेस के लिए एक नैतिक प्रहरी** के रूप में कार्य करती है। • **संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष (भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत) और 25 अन्य सदस्य होते हैं। • **कार्यकाल:** सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, किंतु कोई भी सदस्य कुल मिलाकर छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रह सकता है।
सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग (NCSK)	**मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को वर्ष 2022 से आगे तीन वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी** • NCSK की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। प्रारम्भ में इसका कार्यकाल 31 मार्च 1997 तक ही निर्धारित किया गया था। ○ इसके पश्चात् अधिनियम की वैधता को वर्ष 2004 तक बढ़ा दिया गया था। ○ हालांकि, वर्ष 2004 के बाद **NCSK के कार्यकाल** को समय-समय पर संकल्पों के माध्यम से बढ़ाया गया है। ऐसा NCSK को एक **गैर-सांविधिक निकाय** मानकर किया गया है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक है। • **NCSK की भूमिका:** ○ सफाई कर्मचारियों के **कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना।** ○ **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन** की निगरानी करना। ○ अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) (National Backward Classes Finance & Development Corporation and National Scheduled Castes Finance and Development Corporation)	• **NBCFDC** और **NSFDC** कोविड रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए **खाद्य वितरण कार्यक्रम** जैसी पहलें आरंभ कर रहे हैं। • NBCFDC एवं NSFDC को **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के अंतर्गत संचालित **गैर-लाभकारी कंपनियों** के रूप में निगमित किया गया है। ○ NBCFDC, पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए **आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **कंपनी अधिनियम 1956** के तहत निर्मित भारत सरकार का उपक्रम है। • NSFDC को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी** के रूप में निगमित किया गया है। • NSFDC, **अनुसूचित जाति के सदस्य, जो निर्धनता रेखा के दोगुने से भी नीचे रहते हैं, के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्त उपलब्ध** कराता है।

8. अभिशासन के महत्त्वपूर्ण पहलू (Important Aspects of Governance)

8.1. सिटीजन चार्टर (Citizen's Charter)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** ने **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR)** के सहयोग से एक **आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क** जारी किया है।

आदर्श पंचायत सिटीजन चार्टर

पंचायतें, भारतीय **ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तृतीय स्तर** का निर्माण करती हैं। ये **भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत** विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण व पेयजल के क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।

- ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का **मूल उद्देश्य** सेवाओं के संबंध में नागरिकों को सशक्त बनाना तथा **बिना किसी पूर्वाग्रह के और नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार** करना है।
    - यह पंचायत में **पेशेवर प्रवृत्ति स्थापित करता है** और बिना किसी भेदभाव के समुदाय के सभी वर्गों तक पहुंच स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।
    - पंचायतों द्वारा प्रतिबद्ध मानक **सेवा वितरण की निगरानी और मूल्यांकन** के लिए उपयोगी मानदंड है।
    - यह एक ओर **नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति** जागरूक करने में तथा दूसरी ओर **पंचायतों एवं उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्षत: जनता के प्रति जवाबदेह** बनाने में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR)

- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक **स्वायत्त संगठन** है तथा **ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र** है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **संयुक्त राष्ट्र-एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UN-ESCAP) उत्कृष्टता केंद्रों** में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका विज़न उन **नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित** करना है, जो ग्रामीण **निर्धनों को लाभान्वित** करते हैं, **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रियाओं** को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, ग्रामीण विकास कर्मियों के संचालन एवं दक्षता में सुधार करते हैं, अपनी सामाजिक प्रयोगशालाओं व **प्रौद्योगिकी पार्कों** के माध्यम से **प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा** देते हैं तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रसार करते हैं।
- यह **पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions: PRIs) और राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली** का अध्ययन करता है।

सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर की अवधारणा का विकास

- देश की जनता के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इस अवधारणा को **पहली बार वर्ष 1991 में यूनाइटेड किंगडम में व्यक्त और कार्यान्वित** किया गया था।
- **भारत द्वारा वर्ष 1997 में** नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में **सिटीजन चार्टर को अपनाया गया था।**

© Vision IAS

- **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग** (Department of Administrative Reforms and Public Grievances: DARPG) द्वारा सिटीजन चार्टरों के समन्वय, निर्माण एवं संचालन का कार्य प्रारंभ किया गया।

- **नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011 {Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011} (सिटीजन चार्टर)** नागरिकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र निर्मित करने का प्रयास करता है। हालांकि, वर्ष 2014 में लोक सभा के भंग होने के कारण यह व्यपगत हो गया था।

अन्य संबंधित तथ्य
- पंचायती राज मंत्रालय ने **पंचायतों द्वारा सेवा वितरण का मैसूर घोषणा-पत्र जारी किया है।** इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को **"शासन के केंद्र" के रूप में मान्यता देना है।**
- 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने **मैसूर घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर किए और 1 अप्रैल 2022 से देश भर में पंचायतों द्वारा **सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया।**

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें।
- **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA):** इसका उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना, पंचायतों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को सशक्त करना है।
- **आदर्श नागरिक घोषणापत्र/रूपरेखा (Model Citizen's Charter):** यह पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों, सेवा शर्तों एवं समय सीमा और स्थानीय संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ कार्यों को संरेखित करने का विवरण देता है।
- **सबकी योजना सबका विकास:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और राज्य के संबंधित विभागों के बीच अभिसरण के माध्यम से ग्राम सभा में योजना बनाने के लिए एक गहन और संरचित अभ्यास।
- **मिशन अंत्योदय:** यह मानव और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करके सरकारी हस्तक्षेपों को ग्राम पंचायतों के साथ मिलाने का प्रयास करता है।
- **ई-ग्राम स्वराज:** एक वेब आधारित पोर्टल जो ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है।

8.2. ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जन योजना अभियान 2021**[14] **- सबकी योजना सबका विकास** आरंभ किया है। साथ ही, **पंचायत विकास योजनाओं के विकास (GPDP)** को सुनिश्चित करने हेतु **वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड** का भी शुभारंभ किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और इसका महत्व

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243G** ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने एवं उसे लागू करने का दायित्व सौंपा है।** ग्राम पंचायत विकास योजना तीन आवश्यक कार्य करती है:
    - यह लोगों को एक **विजन** प्रदान करती है कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहेंगे;

[14] People's Plan Campaign (PPC) 2021

- यह उस विजन को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट **लक्ष्य** निर्धारित करती है; तथा
- उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **कार्य योजना** प्रदान करती है।

- ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यापक और समुदाय (विशेष रूप से ग्राम सभा) को शामिल करने वाली सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसे संविधान की **11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े** सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजना के साथ तालमेल पर आधारित होना चाहिए।
  - पीपल्स प्लान कैंपेन या जन योजना के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

ग्राम सभा डैशबोर्ड

यह डैशबोर्ड, **संपूर्ण वर्ष** ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति की बैठक तथा निर्वाचित पंचायत के जनप्रतिनिधियों की बैठक के माध्यम से अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगा।

- पंचायतें, **ग्रामीण भारत का रूपांतरण करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस तथ्य के संबंध में अन्य योजनाओं के साथ तालमेल या अभिसरण व्यापक महत्व रखता है।
- **पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के आदर्श दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं।** इन्हें उन सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया है जहां संविधान का भाग IX लागू है।

8.3. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया।

सुशासन सूचकांक के बारे में

- GGI **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अभिशासन (गवर्नेंस) की स्थिति का आकलन करता है।** यह राज्यों/ जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है। साथ ही, सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए **एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है।**
  - यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित **एक अर्द्धवार्षिक (वर्ष में दो बार) अभ्यास है।**
- इसका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र तैयार करना है, जिसे **केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने** के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समान रूप से उपयोग किया जा सके।
  - GGI के तहत वर्ष 2020-21 के लिए **दस क्षेत्रों की पहचान की गई** है। (इन्फोग्राफिक देखें)
  - **राज्यों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है:** पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, संघ राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्य- समूह A एवं समूह B

- **इस सूचकांक की मुख्य विशेषताएं:**
    - वर्ष 2019 के सूचकांक में प्राप्त स्कोर की तुलना में **बीस राज्यों ने अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार** किया है।
    - **ग्रुप A राज्यों में, गुजरात ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष** स्थान प्राप्त किया है, जबकि **ग्रुप B राज्यों में मध्य प्रदेश शीर्ष** स्थान पर है।
    - **संघ राज्यक्षेत्रों** की रैंकिंग में **दिल्ली शीर्ष** स्थान पर है।
    - पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में **हिमाचल प्रदेश रैंकिंग में शीर्ष** पर है।

क्या आपको याद है?

आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण (Transformation of Aspirational District Programme: TADP)

TADP **एक प्रमुख नीतिगत पहल है।** इसका उद्देश्य देश भर के 115 जिलों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में तीव्र सुधार लाना है।

- यह **कार्यक्रम प्रत्येक जिले की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है,** तत्काल सुधार के लिए कम **अविलंबकारी पहलों की पहचान करता है,** जिलों की प्रगति को श्रेणीबद्ध करके उसका मापन करता है आदि।
    - ✓ यह मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है।
- स्वास्थ्य और पोषण (30%), शिक्षा (30%), कृषि व जल संसाधन (20%), वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास (10%) तथा आधारभूत अवसंरचना (10%) सहित **5 मुख्य विषयगत क्षेत्रों के 49 संकेतकों द्वारा निगरानी** की जाएगी।

इस कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन मुख्य सिद्धांत हैं:

- केंद्र और राज्य की योजनाओं का **अभिसरण।**
- जिलास्तरीय टीमों सहित नागरिकों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के बीच **सहयोग।**
- जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्धा।**

अन्य संबंधित तथ्य

जिला सुशासन सूचकांक (District Good Governance Index: DGGI)

- इस सूचकांक को **जम्मू एवं कश्मीर सरकार की सहभागिता में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग** ने तैयार किया है। इसे **जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों** के लिए जारी किया गया है।
    - **जम्मू जिला इस सूची में शीर्ष पर है।** इसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर का स्थान है।
- DGGI ने **जिला स्तर पर विभिन्न शासन हस्तक्षेपों के प्रभाव की पहचान करने में मदद की है।** इसने लक्षित हस्तक्षेपों के साथ जिला स्तर के शासन में सुधार के लिए भविष्य का एक रोडमैप भी प्रदान किया है।

यह सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए **जिला स्तर पर शासन के समान मानकों हेतु रोडमैप उपलब्ध करवाएगा।**

8.4. मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस मिशन के एक हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार नौकरशाही की क्षमता में सुधार के लिए निजी परामर्शदाता (Private Consultant) को नियुक्त करेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- नियोजित परामर्शदाता केंद्र सरकार के लिए **भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं का ढांचा (Framework of Roles, Activities & Competencies: FRAC) अभिकल्पित एवं विकसित** करेगा। यह एक ऐसी "भविष्य हेतु उपयुक्त लोक सेवा" (Fit-For-Future Civil Service) निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो व्यापक सामाजिक व आर्थिक अधिदेश सुनिश्चित कर सकती है।
  - FRAC **व्यावहारिक विशेषताओं, कार्यात्मक कौशल और डोमेन ज्ञान में** वांछित दक्षताओं के साथ **प्रत्येक सरकारी पदों के अनुरूप भूमिकाओं और गतिविधियों** को चित्रित करेगा।

सिविल सेवाओं के कई पहलुओं पर सिफारिश करने के लिए अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया गया था–

- **संथानम समिति, 1962:** इसके द्वारा की गई सिफारिशों में भ्रष्टाचार को समाप्त करना और जवाबदेही में बढ़ोतरी करना शामिल था।
- **सिविल सेवा परीक्षा समीक्षा समिति, 2001 (प्रोफेसर योगेंद्र के. अलघ की अध्यक्षता में):** इसने वैकल्पिक विषयों की जगह एक सामान्य विषय में उम्मीदवारों का परीक्षण करने पर जोर दिया था।
- **सुरिंदर नाथ समिति, 2003:** इसने 11 में से 3 डोमेन में विशेषज्ञता प्राप्ति का सुझाव दिया था।
- **युगांधर समिति, 2003:** इसने करियर के मध्य में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता की सिफारिश की थी।
- **होता समिति, 2004:** इसने सरकारी कार्यप्रणाली के रूपांतरण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) के उपयोग की सिफारिश की थी। साथ ही, चयन के लिए अभिवृत्ति और नेतृत्व परीक्षण की शुरुआत की सिफारिश की थी।
- **बसावन समिति, 2016:** इसने प्रत्येक वर्ष आई.ए.एस. अधिकारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्थक आकलन को अपनाने की सिफारिश की थी।

मिशन कर्मयोगी

- **'मिशन कर्मयोगी':** राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम[15] का उद्देश्य संस्थागत और प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से नौकरशाही की क्षमता के निर्माण में आमूलचूल परिवर्तन लाना है।
- इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम को एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण या iGOT-कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय लोकाचार में निहित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्राप्त विषय-वस्तु शामिल होगी।
  - यह शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर एक पोर्टल है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना है।

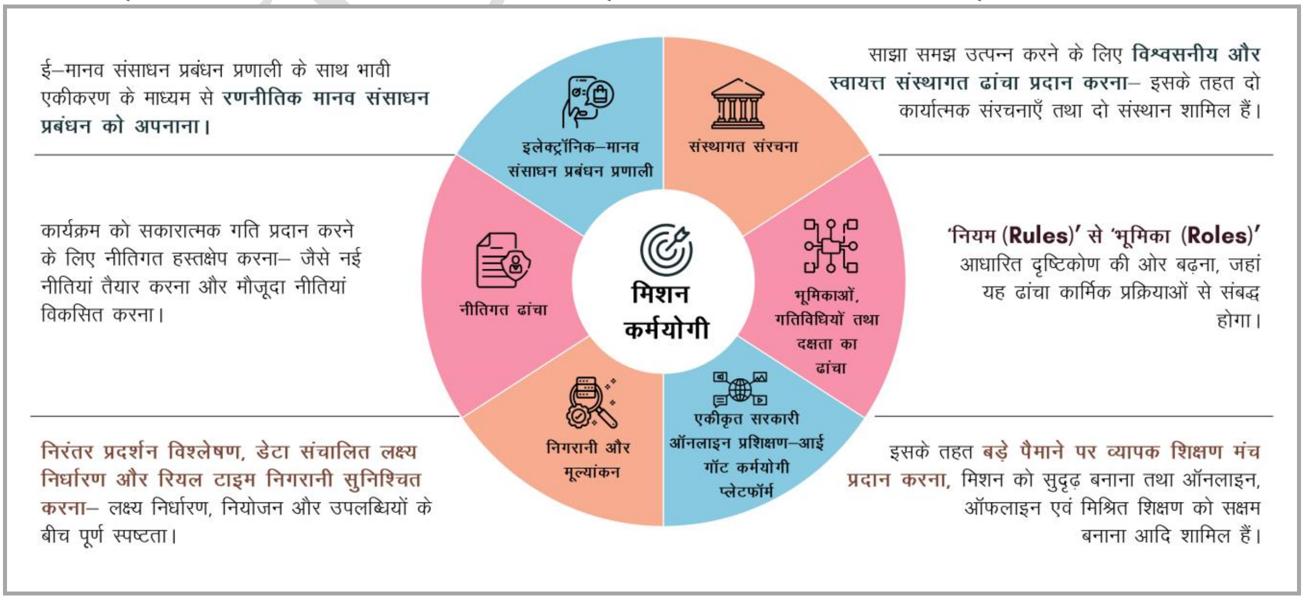

[15] National Programme for Civil Services Capacity Building: NPCSCB

8.5. डिजिटल अधिकार (Digital Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूरोपीय आयोग ने विश्व में पहली बार **डिजिटल अधिकारों और सिद्धांतों (Digital Rights and Principles)** का एक सेट प्रस्तावित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह यूरोपीय संघ परिषद की **"डिजिटल समाज और मूल्य-आधारित डिजिटल सरकार पर बर्लिन घोषणा-पत्र"**[16] का विस्तार है।
- **6 अधिकारों और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है** (इन्फोग्राफिक देखें)।

डिजिटल अधिकारों के बारे में?

- डिजिटल अधिकारों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता से गहरा संबंध है। डिजिटल अधिकार ऐसे अधिकार हैं, जो **लोगों को डिजिटल मीडिया तक पहुँचने, उपयोग करने, कंटेंट सृजित करने और प्रकाशित** करने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार नेटवर्क तक पहुँचने एवं उनका उपयोग करने की भी अनुमति देते हैं।
- डिजिटल अधिकार वस्तुतः **संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित अधिकारों का एक विस्तार मात्र** है। ये अधिकार ऑनलाइन विश्व पर भी लागू होते हैं।
- यह एक व्यापक अवधारणा है जिसका आशय **निजता के अधिकार और डेटा संरक्षण** से है। ये **ट्रोलिंग, ऑनलाइन धमकियों और अभद्र भाषा से संबंधित** हो सकते हैं। इसके अलावा, ये आर्थिक स्थिति और असमर्थताओं पर ध्यान दिए बिना इंटरनेट तक समान पहुँच के व्यापक मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं।

8.6. सार्वजनिक खरीद (अधिप्राप्ति) और परियोजना प्रबंधन (Public Procurement and Project Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[16] Berlin declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government

भारत में सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन ढांचा

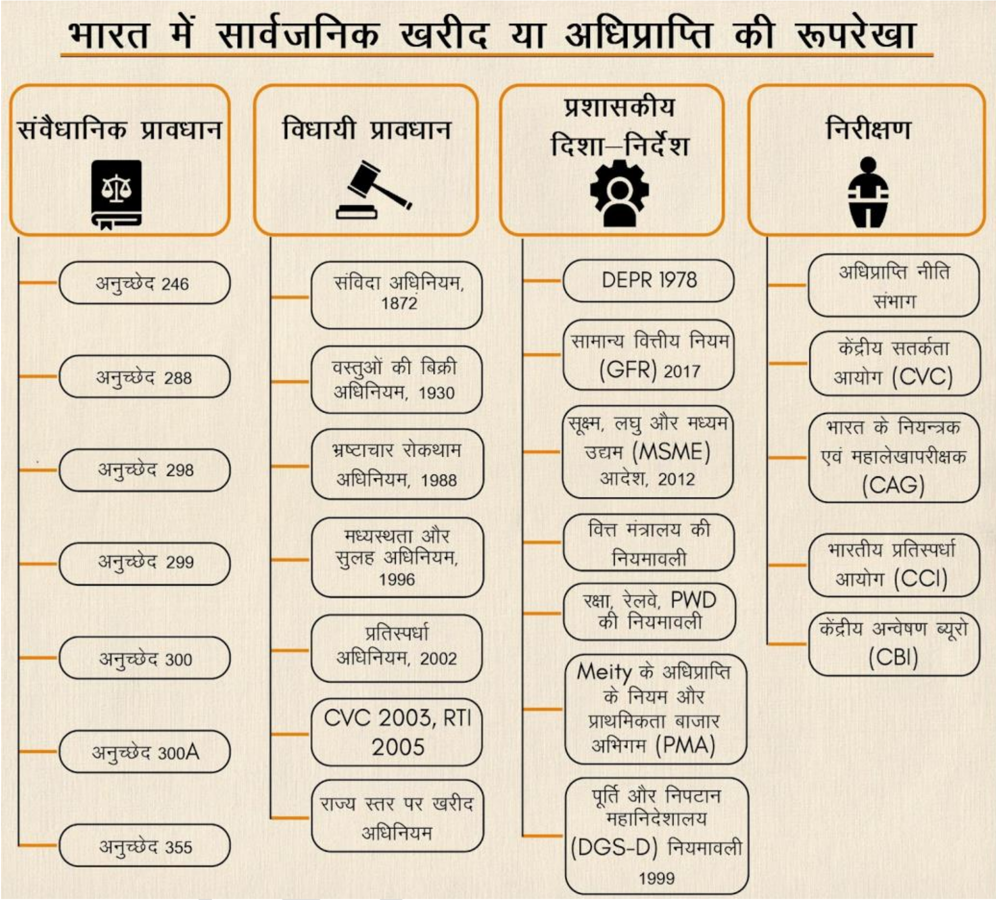

- **सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन** में सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद तथा विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन शामिल है। उदाहरण के लिए, **सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा खरीदी गई वस्तुएं या सेवाएं।**
- वर्तमान में, **सामान्य वित्तीय नियम (2017)** और **वित्त मंत्रालय की खरीद नियमावली** सामान्य दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। इनका सभी एजेंसियों द्वारा पालन किया जाता है। इनमें एजेंसियों को सामान्य नियमों का अनुपालन करते हुए अपने स्वयं के खरीद नियम निर्मित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
    - उदाहरण के लिए, **रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय** आदि के **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020** जैसे अपने स्वयं के खरीद दिशा-निर्देश हैं। ज्ञातव्य है कि ये मंत्रालय अपने **बजट का लगभग 50% सार्वजनिक खरीद** पर व्यय करते हैं।

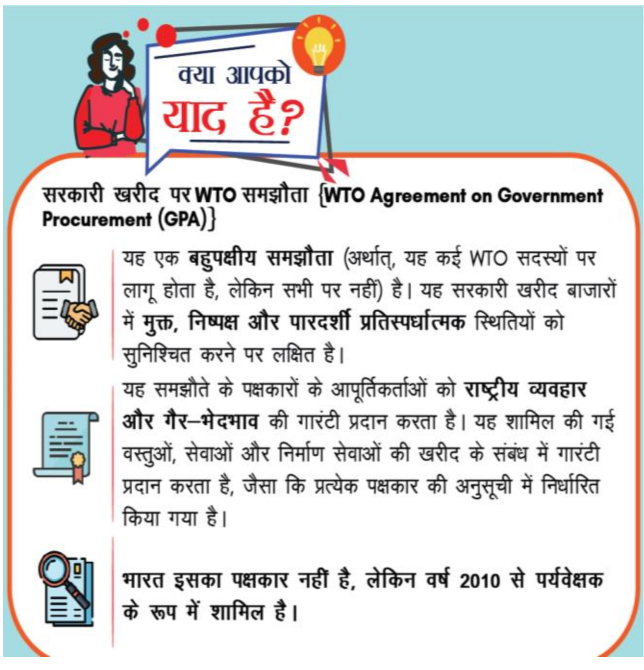

 © Vision IAS

8.7. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

लोकपाल (Lokpal)	केंद्र सरकार ने अब तक **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** द्वारा निर्दिष्ट **जांच निदेशक की नियुक्ति** नहीं की है।
	• लोकपाल, **लोकपाल अधिनियम 2013** के तहत परिभाषित लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए एक **राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी ओम्बुड्समैन** है।
	• अधिनियम के अनुसार, एक **जांच निदेशक** की नियुक्ति की जाएगी। यह निदेशक संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा तथा इसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह **लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच** के कर्तव्य का निर्वहन करेगा।
	  ○ यद्यपि लोकपाल वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था, किंतु अभी तक जांच निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है।
	• **लोकपाल अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं**
	  ○ **लोकपाल का अधिकार क्षेत्र:** इसमें प्रधान मंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और क, ख, ग एवं घ समूह के अधिकारी शामिल होंगे।
	  ○ लोकपाल एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 8 सदस्यों वाला निकाय है (4 न्यायिक सदस्य होंगे)।
	  ○ शेष 4 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।
	• **8 सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।** इन आठ सदस्यों में प्रधानमंत्री, लोक सभा के अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या CJI द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे।

ई-गवर्नेंस	**24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन** ने सभी की सहमति से **हैदराबाद घोषणा-पत्र** को स्वीकार किया है।
	• **हैदराबाद घोषणा-पत्र की मुख्य विशेषताएं:**
	  ○ आधार, यू.पी.आई., डिजिलॉकर, उमंग, ई-साइन आदि का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को बदलना।
	  ○ प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि) में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जल्दी कार्यान्वयन करना।
	  ○ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G आदि के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
	  ○ महामारी जैसी बाधाओं से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी समाधान सुनिश्चित करना।
	  ○ डिजिटल तकनीक को सरकारी सेवा डिजाइन और वितरण का प्राथमिक पहलू बनाना।
	  ○ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण के मूल्यांकन (NeSDA) को MeITY के सहयोग से अपनाया जाएगा।
	
	कुछ ई-गवर्नेंस पहलें:
	• **भूमि परियोजना (कर्नाटक):** भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता।
	• **ई-सेवा** (आंध्र प्रदेश)।
	• **ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश):** सेवा आपूर्ति पहल।
	• **लोकवाणी (उत्तर प्रदेश):** शिकायतों के निपटान, भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव और आवश्यक सेवाओं का मिश्रण प्रदान करने के लिए।
	• **फ्रेंड्स योजना (केरल):** सेवाओं के वितरण के लिए तेज़, विश्वसनीय, कुशल व तत्काल नेटवर्क।

डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद {DIGITAL MEDIA CONTENT REGULATORY	डिजिटल मीडिया सामग्री/अंतर्वस्तु विनियामक परिषद (DMCRC) को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) द्वारा डिजिटल **ओटीटी प्लेटफॉर्म (ओवर-द-टॉप) के लिए उद्योग समर्थित/संचालित स्व-विनियामक निकाय (SRB)** के रूप में गठित किया गया है।

<table>
<tr>
<td>COUNCIL (DMCRC)}</td>
<td>

- इसका गठन **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021} के अधिदेश के तहत किया गया है।
- IBDF को पूर्व में **इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के रूप में जाना जाता था। इसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। यह प्रसारकों और ओ.टी.टी. ऑपरेटरों हेतु स्थापित एक शीर्ष निकाय है।**
- **यह अपीलीय-स्तर पर** निर्मित एक **द्वितीय-स्तरीय तंत्र** है। साथ ही, इसे प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (Broadcast Content Complaint Council: BCCC) के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- BCCC, जून 2011 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) द्वारा **गैर-समाचार सामान्य मनोरंजन चैनलों के लिए स्थापित एक स्वतंत्र स्व-विनियामक निकाय है।**

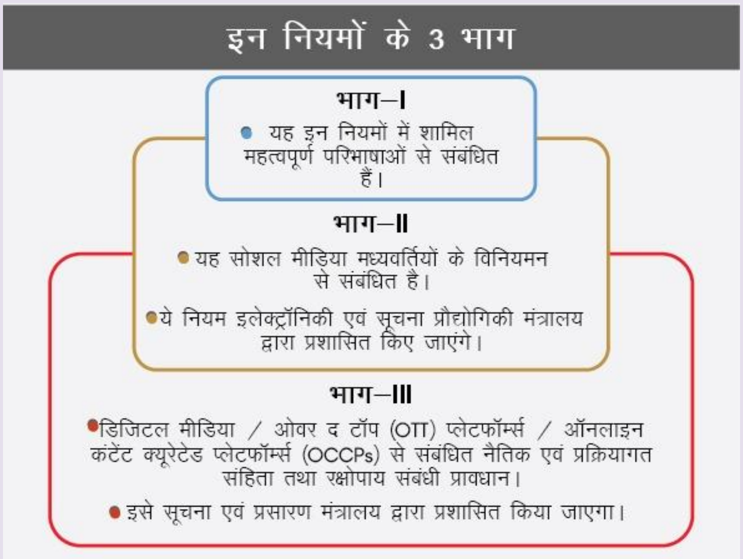

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के बारे में

- केंद्र सरकार ने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** की **धारा 87(2)** के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को तैयार किया है। ज्ञातव्य है कि इन नियमों को पूर्ववर्ती **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश) नियमावली 2011** {IT (Intermediary Guidelines) Rules 2011} के स्थान पर लाया गया है।
- नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध समाचार और समसामयिकी से जुड़ी सामग्री को **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** के दायरे के अधीन ला दिया था।

</td>
</tr>
<tr>
<td>मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना: मेघईए (MeghEA)</td>
<td>

- हाल ही में, मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना (MeghEA) को आरंभ किया गया है। **मेघईए (MeghEA)** का लक्ष्य पारंपरिक सेवा वितरण प्रक्रिया को डिजिटल सेवा प्रणाली में परिवर्तित करना है।
- **मेघईए 6 स्तंभों में विस्तारित है:** अभिशासन (गवर्नेंस), मानव संसाधन,

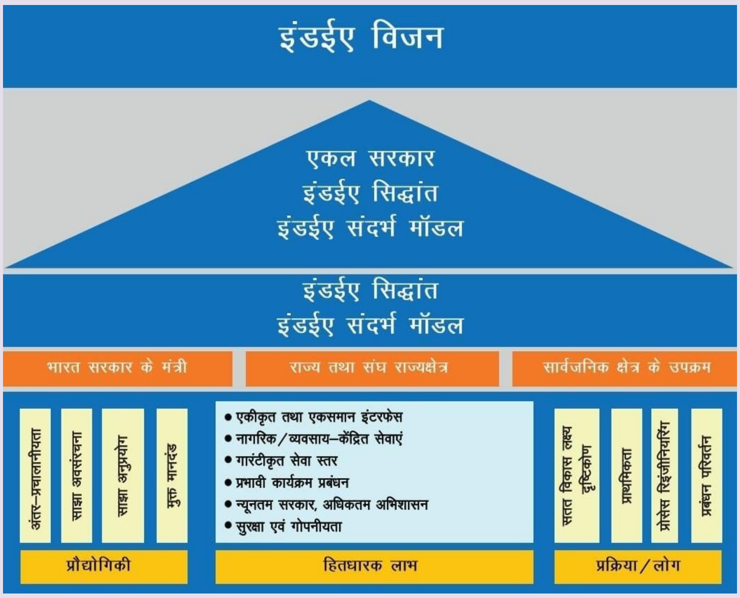

</td>
</tr>
</table>

PT 365 - राजव्यवस्था और संविधान

© Vision IAS

	उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा तथा पर्यावरण। • ध्यातव्य है कि मेघालय **भारत उद्यम स्थापत्य (IndEA /इंडईए) को मेघईए** के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य है। • इंडईए को **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक ऐसा तंत्र है, जो समान मॉडल एवं मानकों के अनुरूप संपूर्ण भारत में सभी सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र एवं समानांतर रूप से **एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर्स** के विकास व उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। ○ यह ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने का एक माध्यम है। • **इस तंत्र में आठ संदर्भ मॉडल शामिल हैं: व्यवसाय, एप्लीकेशन, डेटा, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, सुरक्षा, अखंडता और आर्किटेक्चर गवर्नेंस (संरचना शासन)।**
माईगॉव (MyGov) मंच	**वर्ष 2014** में आरंभ किए गए माईगॉव (MyGov) पोर्टल ने **सहभागितापूर्ण अभिशासन (Participatory Governance)** के सात वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। • MyGov पोर्टल एक अभिनव नागरिक संलग्नता मंच है। यहां सरकार **नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करके तथा जनहित और कल्याण के मुद्दों पर उनकी राय प्राप्त करके** सुशासन की दिशा में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। ○ MyGov, **डिजिटल इंडिया कारपोरेशन** का हिस्सा है। यह **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी है।
इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF)	**हाल ही में** भारत में **पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम** का आयोजन किया जाएगा। • **IIGF का गठन** यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) के **ट्यूनिस एजेंडे के अनुरूप किया गया है।** • IGF एक बहु-हितधारक मंच है। **यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाता है।** • **IIGF अंतर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों,** नागरिक समाज संगठनों आदि के मध्य परिचर्चा संबंधी सुविधा प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि ये सभी इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित सार्वजनिक नीति से संबद्ध मुद्दों में संलिप्त हैं।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स	इसे **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा** जारी किया गया है। • इस सूचकांक में भारत **180 देशों में 85वें स्थान पर है।** भारत को **40 अंक मिले हैं।** पिछले वर्ष यह 86वें स्थान पर था। • इस रिपोर्ट के अनुसार **पिछले एक दशक में भारत का स्कोर स्थिर रहा है।** इसका कारण है कि कुछ तंत्र जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद कर सकते हैं, कमजोर हो रहे हैं। • **डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड** ने संयुक्त रूप से सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। • यह सूचकांक देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त **भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर** रैंक प्रदान करता है। इसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों से जानकारी ली जाती है। ○ यह **0** (अत्यधिक भ्रष्ट) **से 100** (शून्य भ्रष्टाचार) **के पैमाने का उपयोग** करता है।

अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन	इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का **विषय/थीम "नया शहरी भारत"** (New Urban India) है। • शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के **महापौर/अध्यक्ष, नगर निकाय के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं।** • वर्तमान में, **महापौरों का चुनाव नगर पार्षदों द्वारा किया जाता** है, जो प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।

VISION IAS

9. विविध (Miscellaneous)

9.1. जुआ/द्यूत (Gambling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने हेतु उचित कदम उठाने की मांग की गई थी।

दांव बनाम फिक्सिंग (Betting vs Fixing)

- लोढ़ा समिति का **गठन उच्चतम न्यायालय** द्वारा आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में किया गया था। इसे **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में सुधारों की जांच करने एवं उपयुक्त अनुशंसाएं** करने हेतु गठित किया गया था।
- यह **समिति दांव और फिक्सिंग के मध्य स्पष्ट अंतर करती है।** यह समिति दांव (क्रिकेट में लगने वाली सट्टेबाजी) को वैध और फिक्सिंग को अपराध घोषित करती है।

जुआ (GAMBLING)

यह सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 34 के अंतर्गत **राज्य सूची का एक विषय** है।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65-B (15) के अनुसार, "सट्टेबाजी या जुआ" का अर्थ विशेष रूप से कुछ मूल्यवान वस्तु विशेषकर पैसे को, खेल या प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम के बारे में जानते हुए, लाभ की उम्मीद से दांव पर लगाना है। खेल या प्रतियोगिता का परिणाम संयोगवश या दुर्घटनावश अथवा 'हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है' संभावना से निर्धारित होता है।

लॉटरी

लॉटरी को भारत के **संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 40** के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है और सामान्यतः **"जुआ" की सीमा से बाहर रखा गया है।**

यह **लॉटरी (विनियम) अधिनियम** से नियंत्रित होती है।

वर्तमान समय में भारत में जुए की विधिक स्थिति

- **भारत में घुड़दौड़ वैध है।** घुड़दौड़ के लिए कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जुए से संबंधित नहीं है।
- **अनेक भारतीय राज्यों द्वारा लॉटरी को वैधता प्रदान की गई है।** ये राज्य हैं- गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
- सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1976 (Public Gambling Act, 1976) के अंतर्गत **गोवा, सिक्किम, नागालैंड और दमन में ऑनलाइन जुआ एवं कैसिनो को वैधता प्रदान की गई है।**
- **महाराष्ट्र में जुए पर प्रतिबंध है** और जुए को बॉम्बे द्यूत रोकथाम अधिनियम, 1887 के अंतर्गत अवैध माना जाता है।
- **सिक्किम और नागालैंड में ई-गेमिंग (गेम ऑफ़ चांस) को वैध कर दिया गया है।**
- तेलंगाना राज्य गेमिंग अधिनियम, 1974 के अनुसार तेलंगाना में और अरुणाचल प्रदेश में कौशल के खेल को अवैध माना जाता है।
- ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, द रमी फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपने सभी विज्ञापनों के लिए एक स्व-विनियमन संहिता को अपनाया है।

9.2. अन्य महत्त्वपूर्ण सुर्ख़ियां (Other Important News)

<table>
<tr>
<td>इंटरनेट शटडाउन</td>
<td>सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने इंटरनेट शटडाउन को लेकर केंद्र की आलोचना की है।
• यह रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन को सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किसी विशिष्ट जनसांख्यिकी क्षेत्र या स्थान के लिए इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध करने के रूप में परिभाषित करती है। इंटरनेट शटडाउन के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं:
  ○ इंटरनेट ब्लैकआउट (Internet blackouts): इसमें इंटरनेट तक पहुँच पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाती है।
  ○ सोशल मीडिया शटडाउन (Social media shutdowns): इसमें फेसबुक व व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच अवरुद्ध कर दी जाती है।
  ○ थ्रॉटलिंग (Throttling): इसमें इंटरनेट की स्पीड (गति) कम कर उसे 2G के स्तर तक पहुँचा दिया जाता है।
भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान
  ○ वर्ष 2017 तक, अधिकतर प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 और भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत शासित होते थे।</td>
</tr>
</table>

	○ वर्ष 2017 में, **दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात और लोक सुरक्षा) नियमों** को अधिसूचित किया गया था। नियमों के बावजूद सरकार ने **धारा 144** के तहत व्यापक शक्तियों का भी उपयोग किया है। ○ **सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69A** कुछ विशेष वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है।
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली	मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की

दोहरी कमान प्रणाली	कमिश्नरी प्रणाली
• एक जिले में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को साझा किया जाता है। • इसके तहत **नियंत्रण की एक 'दोहरी व्यवस्था'** होती है। इसमें पुलिस प्रशासन के निरीक्षण के लिए SP को DM के साथ कार्य करना होता है। ○ DM को गिरफ्तारी वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि SP के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं। • इस व्यवस्था को शक्तियों के केन्द्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को DM के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है।	• पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police: CP) एक एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। • इस पद को **मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त** होती हैं। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। ○ डी.आई.जी. या उससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी को CP के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे विशेष/संयुक्त/अपर/उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। • ऐसे अधिकारियों को निवारक गिरफ्तारी, धारा 144 लागू करने और आवश्यकतानुसार कार्यवाही शुरू करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ○ पुलिस के पास अधिकतम दो वर्षों के लिए लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने और किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने की भी शक्ति होती है। • इससे जटिल शहर-केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।

डिफ़ॉल्ट/ वैधानिक ज़मानत	राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने **एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध** उच्चतम न्यायालय में अपील की है। • डिफ़ॉल्ट या वैधानिक जमानत **एक अधिकार** (अपराध की प्रकृति से निरपेक्ष) है, जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है, **जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति की एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है।** ○ यह **दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है।** • अधिकांश अपराधों के लिए, **पुलिस के पास जांच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय होता है।** ○ हालांकि, **कुछ अपराधों के लिए 90 या 180 दिन की सीमा भी है।** • **उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न श्रेणियों के अपराधों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।**

श्रेणी	अपराध	जमानत के लिए मानदंड
A	• **दंडनीय अपराध जिसके तहत सात वर्ष या उससे कम के कारावास का प्रावधान किया गया है।**	• आरोप-पत्र दाखिल करते समय अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए **अभियुक्तों को सामान्य समन जारी किए जाते हैं।** • अगर पेशी नहीं होती है, तो **पहले जमानती वारंट जारी किया जाता है और उसके बाद गैर-जमानती वारंट जारी किए जाते हैं।**
B	• **दंड के रूप में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी जा सकती है।**	• **जमानत अर्जी** पर आरोपी के न्यायालय में पेश होने के उपरांत **योग्यता/मेरिट के आधार पर निर्णय किए जाते हैं।**

© Vision IAS

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr>
<td>C</td>
<td>स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), धन- शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) आदि जैसे विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय, जिनके तहत जमानत के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं।</td>
<td>विशेष कानूनों के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त शर्तों के साथ श्रेणी B और D के समान।</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आर्थिक अपराध को शामिल नहीं किया गया है।</td>
<td>आरोपी के न्यायालय में पेश होने के उपरांत योग्यता/मेरिट के आधार पर जमानत अर्जी पर निर्णय लिए जाते हैं।</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>पैरोल बनाम फर्लो</td>
<td>
फर्लो और पैरोल कारागार अधिनियम (The Prisons Act), 1894 के अंतर्गत आते हैं। ये कारावास से एक अल्पकालिक अस्थायी रिहाई को संदर्भित करते हैं।

दोनों को कारागार प्रणाली के मानवीयकरण की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था।
जेल राज्य सूची का विषय है

<table>
<tr><th>पैरोल (Parole)</th><th>फर्लो (Furlough)</th></tr>
<tr>
<td>पैरोल, कैदी को एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया जाता है।</td>
<td>फर्लो को बिना किसी कारण के (एक निर्धारित अवधि के कारावास के बाद) दिया जा सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>पैरोल, एक कैदी को दंड के निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है।</td>
<td>किसी कैदी को दी गई फर्लो की अवधि को उसके दंड में परिहार (remission) के रूप में माना जाता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>कैदी के पास पैरोल का दावा करने का पूर्ण विधिक अधिकार नहीं है।
विभिन्न हत्याओं या आतंकवाद रोधी विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967[17] के तहत सिद्धदोष बंदी पैरोल के लिए पात्र नहीं हैं।</td>
<td>कैदी के पास फर्लो का दावा करने का पूर्ण विधिक अधिकार नहीं है।
फर्लो दिया जाना जनहित के साथ संतुलित होना चाहिए। कुछ श्रेणियों के कैदियों को फर्लो प्रदान करने से इंकार भी किया जा सकता है।</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>पी.एम. केयर्स फंड</td>
<td>
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पी.एम. केयर्स फंड, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी फंड नहीं है। इसका कारण यह है कि इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं की जाती है।

यह 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष' (पीएम केयर्स फंड)' के नाम से स्थापित एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।
यह किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या विपदा की स्थिति से निपटने (जैसे कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकट से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने) के लिए एक समर्पित कोष है।

</td>
</tr>
</table>

[17] Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

	• **प्रधान मंत्री, पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं** तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन न्यासी (Trustees) हैं। • किसी भी कंपनी या पीएसयू द्वारा पीएम केयर्स फंड में किए गए दान की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उपबंधित **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में की जा सकती है। साथ ही, आयकर से 100% कर छूट भी प्राप्त की जा सकती है।** • पीएम केयर्स फंड को **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के सभी प्रावधानों से छूट** प्रदान की गई है। • पी.एम. केयर्स फंड का **लेखा परीक्षण एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है।**

ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Rural Area Development Plan Formulation And Implementation (RADPFI) Guidelines}	**हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।**
	• संशोधित RADPFI दिशा-निर्देशों का उद्देश्य गांवों के समग्र एकीकृत विकास के लिए **स्थानिक विकास की योजना बनाना है।**
	• **नये दिशा-निर्देश (वर्ष 2021) निम्नलिखित पर केंद्रित हैं:**
	  ○ स्थानिक विकास योजना तैयार करने के लिए **गांवों की टाइपोलॉजी** पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत गांवों की जनसंख्या, कृषि-जलवायु क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आपदाओं का घटित होना इत्यादि शामिल हैं।
	  ○ सहयोगात्मक योजना निर्माण पर आधारित समुदाय के माध्यम से **ग्राम कस्बा नियोजन योजना (Village Town Planning Scheme: VPS)।**
	  ○ ग्राम स्तरीय योजना निर्माण के संबंध में **15वें वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग से जोड़ना।**
	  ○ 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम (GPDP) के अनुसार रुर्बन क्लस्टर्स/ब्लॉक/जिला योजना के साथ ग्राम पंचायत विकास का एकीकरण/समेकन करना।
	  ○ **स्थानिक डेटा बुनियादी ढांचे के माध्यम से ई-गवर्नेंस** में सुधार करना।
	  ○ आबादी क्षेत्र (भूमि रिकॉर्ड्स को जोड़ने) के लिए **'ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण' (SVAMITVA/स्वामित्व) योजना** तथा अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना।
	  ○ **पर्यावरणीय लाभ** और आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाना।

सरकारी संगठनों द्वारा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उपरांत नियुक्ति से संबंधित नियम (Rules for post-retirement hiring of officials by government organisations)	• **संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति से पूर्व सरकारी संगठनों को स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।** हालांकि, इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया जाना अपरिहार्य होगा। ○ यदि सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक से अधिक संगठनों में सेवा प्रदान की है, **तो उन सभी संगठनों से मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जहां वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति से पूर्व 10 वर्षों के दौरान नियोजित था।** • CVC ने सभी सरकारी संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए उचित नियम तैयार करने का भी निर्देश दिया है, **ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र में किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व, कूलिंग ऑफ पीरियड (cooling off period) का पालन किया गया है या नहीं।**

9.3. न्यायालय के ऐतिहासिक वाद/मामले (Landmark Court Cases)

न्यायालय के अति महत्वपूर्ण वाद

धर्मांतरण रोधी कानून (Anti-Conversion Laws)	• रेवरेंड स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य वाद (वर्ष 1977) • सरला मुद्गल वाद (वर्ष 1995) • लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद • एम. चंद्र बनाम एम. थंगमुतु तथा अन्य वाद (वर्ष 2010)
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)	• शाह बानो वाद (वर्ष 1985) • सरला मुद्गल वाद (वर्ष 1995) • डेनियल लतीफी वाद (वर्ष 2001)
राजद्रोह (Sedition)	• रोमेश थापर वाद (वर्ष 1950) • केदारनाथ सिंह वाद (वर्ष 1962) • कन्हैया कुमार वाद (वर्ष 2017)
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (PWDs) पदोन्नति में आरक्षण	• सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य वाद, जनवरी 2020 का निर्णय • नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाद (वर्ष 2013) • राजीव कुमार गुप्ता वाद (वर्ष 2016)
लाभ का पद (Office of profit)	• प्रद्युत बोरदोलोई बनाम स्वपन राय वाद (वर्ष 2001) • जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2006)
पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति	• प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2006)
उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली	• तीन न्यायाधीशों के मामले (वर्ष 1981, 1995 और 1998 में)

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियां – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

Heartiest Congratulations to all successful candidates

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS

ABHYAAS 2022

ALL INDIA GS PRELIMS (GS + CSAT) MOCK TEST SERIES

3 TEST

TEST-1	TEST-2	TEST-3
17 APRIL	1 MAY	15 MAY

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN | DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJENDRA NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR | GREATER NOIDA | GUNTUR | GURGAON | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATA | KOTA | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL | KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK | NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE | SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA | VARANASI | VIJAYAWADA | VISHAKHAPATNAM | WARANGAL

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI